

Civil Defence Plan - 2026

Rajsamand



अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
01	जिला नागरिक सुरक्षा योजना	2
भाग - I		
02	नागरिक सुरक्षा परिचय व संगठन	3-6
भाग - II		
03	राजसमंद जिले की रूपरेखा व जिला प्रशासन	7-49
भाग - III		
04	नागरिक सुरक्षा सेवायें, उनकी अधिकृत नफरी व सेवा प्रभारी अधिकारी	49-51
05	मुख्यालय (Headquarter Service)	51-54
06	संचार सेवा (Communication Service)	55-58
07	वार्डन सेवा (Warden Service)	60
08	अग्निशमन सेवा (Fire Service)	61
09	प्रशिक्षण सेवा (Training Service)	61-62
10	हताहत सेवा (Casualty Service)	63
11	बचाव सेवा (Rescue Service)	64
12	निस्तारण सेवा (Salvage Service)	64
13	पूर्ति सेवा (Supply Service)	65
14	डिपो व परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)	65-60
15	शव निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)	67
16	कल्याण सेवा (Welfare Service)	68-69
भाग - IV		
17	निष्क्रमण (Evacuation)	70-72
18	रिपेयर एवं डेमोलेशन	72-73
19	आवश्यक सेवायें व पशुओं की देखभाल	74
20	हवाई हमले की स्थिति में प्रकाश प्रबन्धन	75-76
भाग - V		
21	रासायनिक युद्ध	77-79
22	जैविक युद्ध	80-81
23	आणविक युद्ध	82-90
भाग - VI		
24	जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची	91-92
25	जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची	92-103
26	जिले में उपलब्ध खोज व बचाव उपकरणों एवं अन्य संसाधनों की सूची	103-104

जिला नागरिक सुरक्षा योजना

यह एक विचित्र किन्तु वास्तविक है कि विश्व में सामाजिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक उन्नति के साथ-साथ बढ़ती प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के कारण जन-धन हानि में अपार वृद्धि हुई है। राजसमंद जिला प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं की सभावनाओं से अछूता नहीं है। आपदाओं से निपटने में नागरिक सुरक्षा के लिए किये जाने वाले उपायों एवं कार्य योजना के अभाव में कई बार प्रशासन भी कर्तव्य विमूढ़, असहाय एवं दिशा भ्रमित सा हो जाता है। अतः आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुख्यतः मानव जनित आपदा जैसे- युद्ध के समय होने वाला हवाई हमला, बम विस्फोट, परमाणु, रसायन व जैविक युद्ध, औद्योगिक दुर्घटनायें इत्यादि जिससे होने वाली जन-धन की हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए स्थानीय नागरिकों द्वारा एवं प्रशासन के सहायोग से अपने ही नागरिकों की होने वाली क्षति को कम से कम करने, उनका मनोबल बनाए रखने, आर्थिक उत्पादन जारी रखने इत्यादि एवं समस्त संभावित आपदाओं का आंकलन एवं सूचनाओं को संकलित कर एक संगठित नागरिक सुरक्षा योजना के रूप में कार्य योजना तैयार की गई है। राजसमन्द जिले की जनसंख्या की गणना 2011 के अनुसार 11 लाख है।

तैयार की गई योजना में जनता को पूर्ण जानकारी देने के लिए अथवा घटनाओं के समय जनता के ही सहयोग से एक जुट कार्य करने हेतु एक प्रशिक्षित स्वयंसेवी संगठन जो कि प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के समय कार्य के संचालन एवं सम्पादन में पूर्ण सहयोग करेगा, का निर्माण किया गया है। योजना तैयार करते समय व्यवहारिकता एवं क्रियात्मकता का ध्यान रखा गया है तथा प्रयास किया गया है कि सभी स्थानीय समस्याओं को इस योजना में समायोजित कर लिया जावे। फिर भी समय-समय पर आने वाली नयी समस्याओं से निपटने के उपायों को इस योजना में सम्मिलित कर लिया जावेगा।

भारत व राज्य सरकार द्वारा जिला राजसमन्द को नागरिक सुरक्षा कैटेगरी III जिला घोषित है।

दिनांक :

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर पदेन नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा, राजसमन्द

भाग – I

1.1 नागरिक सुरक्षा : परिचय

द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के दौरान देश के मुख्य बन्दरगाह (मुम्बई व कोलकता) में हवाई हमले तथा अक्टूबर 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान देश के शहरों पर हुए हवाई हमलों में आगजनी व भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण हुए जान-माल का भारी नुकसान हुआ। इसे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1962 में नागरिक सुरक्षा विभाग के गठन किये जाने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसकी पालना में राजस्थान सरकार द्वारा 13 नवम्बर 1962 को अधिसूचना जारी कर राज्य के सीमावर्ती जिलों में बाहरी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय नागरिकों की जान व माल की सुरक्षा हेतु स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु राज्य में 12 नागरिक सुरक्षा नगरों की अधिसूचना जारी कर, वहां नागरिक सुरक्षा इकाईयां स्थापित की गयी।

नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा 1965 एवं 1971 के भारत-पाक युद्धों के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाते हुए, जान व माल के नुकसान को कम करने में सराहनीय सहयोग दिया गया। 2001 में गुजरात भूकम्प, 2004 में सुनामी व प्राकृतिक/मानवीकृत आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम लाया गया। साथ ही नागरिक सुरक्षा विभाग में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों का हवाई हमले के साथ ही आपदा/विपदाओं के दौरान सदुपयोग किये जाने हेतु नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक बदलाव करते हुए, नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) 2009 जारी किया गया, जिससे इस विभाग की हवाई हमले के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन में भी अहम भूमिका हो गयी है।

1.2 नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य

देश/राष्ट्र पर आने वाली संकटकालीन स्थिति में हो रहे जान-माल की क्षति को कम करने, खोज बचाव कार्य प्रभावितों के मनोबल को बनाये रखने एवं आर्थिक उत्पादन जारी रखने के लिए सरकार, स्थानीय जनता/संस्था/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया गया स्वैच्छिक प्रयास ही नागरिक सुरक्षा है। अर्थात् नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य **“नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा”** करना है। इस उद्देश्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य में सहयोग के लिए इच्छुक महिला व पुरुषों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर नियंत्रक (जिला कलक्टर) के द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक मनोनीत किया जाता है। नागरिक सुरक्षा विभाग आपदा/विपदा एवं दुश्मन देश द्वारा आक्रमण किये जाने की स्थिति में स्थानीय लोगों को उनके माध्यम से ही (नागरिक सुरक्षा के स्थानीय स्वयंसेवक) किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देने का कार्य करता है।

1.3 राज्य में नागरिक सुरक्षा विभाग

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के लागू होने के उपरान्त, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के आपदा प्रबन्धन में उपयोग लिए जाने को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक संशोधन कर "नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009 संशोधन" किया गया है। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसकी प्राथमिक भूमिका "बाहरी आक्रमण/हवाई हमला" के साथ-साथ द्वितीय भूमिका आपदा प्रबन्धन में दी गयी है। इससे नागरिक सुरक्षा विभाग की आपदा प्रबन्धन में अहम भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2015 को जारी अधिसूचना के तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के अधीन कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2017 को अधिसूचना जारी कर राज्य के समस्त जिलों को "नागरिक सुरक्षा जिले" घोषित कर दिया गया।

1.4 नियन्त्रण :

(क) निदेशालय, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर – नागरिक सुरक्षा विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन है। वर्तमान में आयुक्त (विभागाध्यक्ष) नागरिक सुरक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पास है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, उप निदेशक, सीनियर स्टाफ आफिसर एवं अन्य अधिकारी/कार्मिक स्वीकृत हैं।

(ख) नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर –नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त/निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन है। वर्तमान में संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जयपुर के पास निदेशक, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।


(ग) नागरिक सुरक्षा जिला कार्यालय – जिले में जिला कलक्टर नागरिक सुरक्षा के नियंत्रक हैं। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के सहयोग हेतु जिले में उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ स्वीकृत है।

(घ) नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा – वर्तमान में नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के अधीन राज्य के केवल 12 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन


सेवा संचालित है। शेष जिलों में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

1.5 नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण :-

(क) नागरिक सुरक्षा, विभाग (राज्यस्तरीय संगठन)



(ख) नागरिक सुरक्षा (जिला स्तर)



1.6 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 (संख्या 27)


भारत सरकार द्वारा 24 मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संख्या 27) के तहत देश में दुश्मन देश द्वारा बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से होने वाले नुकसान एवं स्थानीय लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित करने तथा बचाव कार्यों के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के गठन किये जाने की स्वीकृति दी गयी। इसमें नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के साथ-साथ नागरिक सुरक्षा नियम 1968 एवं नागरिक सुरक्षा विनियम 1968 भी बनाये गये।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनाये जाने के पश्चात, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के हवाई हमले के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन में उपयोग को देखते हुए, वर्ष 2009 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में संशोधन करते हुए "नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 2009" जारी किया गया। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसके प्राइमरी रोल "बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से सुरक्षा" के साथ ही सैकेण्डरी रोल "आपदा प्रबन्धन" भी कर दिया गया।

भाग - II

राजसमंद जिले की रूपरेखा

2.1 राजसमंद जिले का नक्सा



जिले की रूपरेखा

➤ भौगोलिक स्थिति

राजस्थान के दक्षिणी भाग में बसा राजसमंद राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों में से एक है। राजसमन्द जिला, राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में $24^{\circ}46'$ एवं $26^{\circ}01'$ तक उत्तरी अक्षांश तथा $73^{\circ}28'$ एवं $74^{\circ}18'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जिले की सीमा उत्तर में अजमेर, दक्षिण में उदयपुर, पश्चिम में पाली और पूर्व में भीलवाड़ा जिले से मिलती है।

राजसमन्द जिले का भौगोलिक धरातल पर्वतीय एवं ऊंचा-नीचा हैं, यह जिला समुद्र तल से लगभग 350 मीटर ऊंचा है। जिले की महत्वपूर्ण बनास नदी जिले को दो भागों में विभाजित करती है। अरावली पहाड़ी की श्रृंखलाएं इधर-उधर फैली हुई पाई जाती है। जिले का सामान्य ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण एवं पूर्व की ओर है। विशाल स्थली प्रायः भू-भाग और स्फुटिकमय लम्बी पर्वत श्रेणी से बना हुआ है जो कि अरावली पर्वत से पूर्व लगभग 2500 मिलियन वर्ष प्राचीन चट्टानों द्वारा निर्मित है।

➤ प्रशासनिक संरचना

राजसमन्द जिला निम्नलिखित 7 उपखण्डों एवं बारह तहसीलों में विभाजित है :-

उपखण्ड का नाम	तहसील का नाम	ग्रामों की संख्या	पटवार मण्डल	पुलिस थाने	जनसंख्या (2011)
राजसमन्द	राजसमन्द	115	28	4	235170
	कुँवारिया	57	15	1	
रेलमगरा	रेलमगरा	91	30	1	131800
भीम	भीम	131	27	3	171023
देवगढ़	देवगढ़	139	20	1	110723
कुंभलगढ़	कुंभलगढ़	82	24	1	144231
	गढबोर	86	15	1	नवीन तहसील का सृजन
आमेट	आमेट	93	12	1	118949
	सरदारगढ़	60	60		
नाथद्वारा	नाथद्वारा	97	20	2	244731
	खमनोर	60	17	1	
	देलवाडा	66	12	1	
	12	1077	232	17	1156597

➤ ग्रामों की सूची

क्र.सं.	तहसील	RI Circle	पटवार मंडल	गाँव
1	आमेट	आमेट	लीकी	आक्या
2	आमेट	आमेट	लीकी	गांगागुडा
3	आमेट	आमेट	लीकी	बल्लों का खेड़ा
4	आमेट	आमेट	लीकी	भोपजी का खेड़ा
5	आमेट	आमेट	लीकी	भोपालपुरा
6	आमेट	आमेट	लीकी	भोलीखेड़ा
7	आमेट	आमेट	लीकी	मुण्डको शया
8	आमेट	आमेट	लीकी	लालजी का खेड़ा
9	आमेट	आमेट	लीकी	लीकी
10	आमेट	आमेट	लीकी	वरणीया
11	आमेट	आमेट	आमेट	आमेट
12	आमेट	आमेट	आगरिया	आगरिया
13	आमेट	आमेट	आगरिया	आगरिया का वाड़ा
14	आमेट	आमेट	आगरिया	कानजी का खेड़ा
15	आमेट	आमेट	आगरिया	कोटडी
16	आमेट	आमेट	आगरिया	परवती
17	आमेट	आमेट	आगरिया	भगवानपुरा

18	आमेट	आमेट	आगरिया	मोडारडा का खेडा
19	आमेट	आमेट	आगरिया	लोट का गुडा
20	आमेट	आमेट	आगरिया	सरदारपुरा
21	आमेट	आमेट	आगरिया	हवाला
22	आमेट	आमेट	आईडाणा	आईडाणा
23	आमेट	आमेट	आईडाणा	ओडा गुजरान
24	आमेट	आमेट	आईडाणा	खेतों की भागल
25	आमेट	आमेट	आईडाणा	गुगली
26	आमेट	आमेट	आईडाणा	चतराजी का गुडा
27	आमेट	आमेट	आईडाणा	जवानजी का खेडा
28	आमेट	आमेट	आईडाणा	डाबला
29	आमेट	आमेट	आईडाणा	ताणवाण
30	आमेट	आमेट	आईडाणा	बलाचांचकागुडा
31	आमेट	आमेट	आईडाणा	बाण्डा
32	आमेट	आमेट	आईडाणा	सपरावकागुडा
33	आमेट	सेलागुडा	खाखरमाला	आसन कोटेश्वरी
34	आमेट	सेलागुडा	खाखरमाला	खाखरमाला
35	आमेट	सेलागुडा	खाखरमाला	चौकडी
36	आमेट	सेलागुडा	खाखरमाला	टणका
37	आमेट	सेलागुडा	खाखरमाला	टीकड
38	आमेट	सेलागुडा	खाखरमाला	धुकल संहजी का खेडा
39	आमेट	सेलागुडा	खाखरमाला	ननाणा
40	आमेट	सेलागुडा	खाखरमाला	पबराना
41	आमेट	सेलागुडा	खाखरमाला	शोभागपुरा
42	आमेट	सेलागुडा	गोवल	गोवल
43	आमेट	सेलागुडा	गोवल	जवा लया
44	आमेट	सेलागुडा	गोवल	डेगाना
45	आमेट	सेलागुडा	गोवल	देवडों का गुडा
46	आमेट	सेलागुडा	गोवल	देवाजी का गुडा
47	आमेट	सेलागुडा	गोवल	नवल संहजी का खेडा
48	आमेट	सेलागुडा	गोवल	नारूजी का गुडा
49	आमेट	सेलागुडा	गोवल	भेरूदासजी का खेडा
50	आमेट	सेलागुडा	बीकावास	आसन
51	आमेट	सेलागुडा	बीकावास	केमरी
52	आमेट	सेलागुडा	बीकावास	गर्जीगजी की भागल
53	आमेट	सेलागुडा	बीकावास	गादरोला

54	आमेट	सेलागुडा	बीकावास	चाम्पा का गुडा
55	आमेट	सेलागुडा	बीकावास	ढेरडों का गुडा
56	आमेट	सेलागुडा	बीकावास	ढाक णयावास
57	आमेट	सेलागुडा	बीकावास	फला सया
58	आमेट	सेलागुडा	बीकावास	बीकावास
59	आमेट	सेलागुडा	बीकावास	सोडा की भागल
60	आमेट	सेलागुडा	बीकावास	हाक्यावास
61	आमेट	सेलागुडा	सेलागुडा	काजीगुडा कलां
62	आमेट	सेलागुडा	सेलागुडा	काजीगुडा खुर्द
63	आमेट	सेलागुडा	सेलागुडा	खारा
64	आमेट	सेलागुडा	सेलागुडा	ढेलाणा
65	आमेट	सेलागुडा	सेलागुडा	सेलागुडा
66	आमेट	साकरडा	साकरडा	डेकवाडा
67	आमेट	साकरडा	साकरडा	दूदा लया
68	आमेट	साकरडा	साकरडा	बरजाल
69	आमेट	साकरडा	साकरडा	भामरों का वा डया
70	आमेट	साकरडा	साकरडा	माकरडा
71	आमेट	साकरडा	साकरडा	लक्ष्मीपुरा
72	आमेट	साकरडा	साकरडा	सबलों का खेडा
73	आमेट	साकरडा	साकरडा	साकरडा
74	आमेट	साकरडा	राछेटी	कसनपुरा
75	आमेट	साकरडा	राछेटी	गुमानजी का गुडा
76	आमेट	साकरडा	राछेटी	डीडवाना
77	आमेट	साकरडा	राछेटी	माणकदेह
78	आमेट	साकरडा	राछेटी	राछेटी
79	आमेट	साकरडा	राछेटी	राछेटी का खेडा
80	आमेट	साकरडा	राछेटी	राछेटी की ढाणी
81	आमेट	साकरडा	सेफटिया	कुलांची
82	आमेट	साकरडा	सेफटिया	कोला का खेडा
83	आमेट	साकरडा	सेफटिया	चावण्ड खेडा
84	आमेट	साकरडा	सेफटिया	नाबरिया
85	आमेट	साकरडा	सेफटिया	पाटिया खेडा
86	आमेट	साकरडा	सेफटिया	बानियाखेडा
87	आमेट	साकरडा	सेफटिया	सेफटिया
88	आमेट	साकरडा	सेफटिया	सरेवडी
89	आमेट	साकरडा	जिलोला	गो वन्दपुरा

90	आमेट	साकरडा	जिलोला	जसवन्तपुरा
91	आमेट	साकरडा	जिलोला	जिलोला
92	आमेट	साकरडा	जिलोला	फतहपुरिया
93	आमेट	साकरडा	जिलोला	भादला
94	कुम्भलगढ	ओडा	कणुजा	उपलावास
95	कुम्भलगढ	ओडा	कणुजा	कणुजा
96	कुम्भलगढ	ओडा	कणुजा	देवडों की भागल
97	कुम्भलगढ	ओडा	कणुजा	रामावर्तो की भागल
98	कुम्भलगढ	ओडा	कणुजा	हलाई की भागल
99	कुम्भलगढ	ओडा	कुंचोली	कुंचोली
100	कुम्भलगढ	ओडा	कुंचोली	केसर
101	कुम्भलगढ	ओडा	कुंचोली	वावदा
102	कुम्भलगढ	ओडा	काकरवा	काकरवा
103	कुम्भलगढ	ओडा	काकरवा	चाम्बुआ सरजेला
104	कुम्भलगढ	ओडा	ओडा	ओडा
105	कुम्भलगढ	ओडा	ओडा	कोदार
106	कुम्भलगढ	ओडा	ओडा	दोवास
107	कुम्भलगढ	केलवाड़ा	मजेरा	मजेरा
108	कुम्भलगढ	केलवाड़ा	केलवाड़ा	केलवाड़ा
109	कुम्भलगढ	केलवाड़ा	गवार	आरेट की भागल
110	कुम्भलगढ	केलवाड़ा	गवार	कला कुम्भलगढ
111	कुम्भलगढ	केलवाड़ा	गवार	गवार
112	कुम्भलगढ	केलवाड़ा	गवार	बीड़ की भागल
113	कुम्भलगढ	केलवाड़ा	तलादरी	गामडी
114	कुम्भलगढ	केलवाड़ा	तलादरी	गामडी की नाल
115	कुम्भलगढ	केलवाड़ा	तलादरी	तलादरी
116	कुम्भलगढ	केलवाड़ा	तलादरी	मेलावडी
117	कुम्भलगढ	केलवाड़ा	तलादरी	हमेरीपाल
118	कुम्भलगढ	गजपुर	बड़गांव	खेड़ लया
119	कुम्भलगढ	गजपुर	बड़गांव	चैहानों का गुडा
120	कुम्भलगढ	गजपुर	बड़गांव	बड़गांव
121	कुम्भलगढ	गजपुर	गजपुर	गजपुर
122	कुम्भलगढ	गजपुर	गजपुर	चतराजी का गुडा
123	कुम्भलगढ	गजपुर	गजपुर	थोरिया
124	कुम्भलगढ	गजपुर	गजपुर	बारिण्ड
125	कुम्भलगढ	गजपुर	गजपुर	मोयणा

126	कुम्भलगढ	गजपुर	गजपुर	वरडाया
127	कुम्भलगढ	गजपुर	कोयल	कोयल
128	कुम्भलगढ	गजपुर	कोयल	गांगागुडा
129	कुम्भलगढ	गजपुर	कोयल	गोवल
130	कुम्भलगढ	गजपुर	कोयल	झीतरिया
131	कुम्भलगढ	गजपुर	कोयल	डबकु डया
132	कुम्भलगढ	गजपुर	कोयल	भवानी की भागल
133	कुम्भलगढ	गजपुर	कोयल	ससोदियों का गुडा
134	कुम्भलगढ	गजपुर	का लंजर	का लंजर
135	कुम्भलगढ	गजपुर	का लंजर	कतावतों की भागल
136	कुम्भलगढ	गजपुर	का लंजर	धुणी की भागल
137	कुम्भलगढ	गजपुर	का लंजर	पछोरों की भागल
138	कुम्भलगढ	गजपुर	का लंजर	बड़गुल्ला
139	कुम्भलगढ	गजपुर	का लंजर	बल्लों का गुडा
140	कुम्भलगढ	गजपुर	का लंजर	मादरेचों का गुडा
141	कुम्भलगढ	गजपुर	का लंजर	मामादेव की भागल
142	कुम्भलगढ	पीपला	पीपला	जड़फा
143	कुम्भलगढ	पीपला	पीपला	पीपला
144	कुम्भलगढ	पीपला	पीपला	माचड़ा
145	कुम्भलगढ	पीपला	बनोकड़ा	परमारों की भागल
146	कुम्भलगढ	पीपला	बनोकड़ा	बनोकड़ा
147	कुम्भलगढ	पीपला	बनोकड़ा	लखमावतों का गुडा
148	कुम्भलगढ	पीपला	उसर	अठडुम्बा
149	कुम्भलगढ	पीपला	उसर	उसर
150	कुम्भलगढ	पीपला	उसर	कोडाकड़ा
151	कुम्भलगढ	पीपला	उसर	चपटेलों की भागल
152	कुम्भलगढ	पीपला	पासुन	पासुन
153	कुम्भलगढ	मोरचा	मोरचा	मोरचा
154	कुम्भलगढ	मोरचा	ओलादर	ओलादर
155	कुम्भलगढ	मोरचा	ओलादर	खेराण
156	कुम्भलगढ	मोरचा	ओलादर	बलवास
157	कुम्भलगढ	मोरचा	समीचा	डंग का वास
158	कुम्भलगढ	मोरचा	समीचा	देवी का वास
159	कुम्भलगढ	मोरचा	समीचा	मेफावतों का वास
160	कुम्भलगढ	मोरचा	समीचा	समीचा
161	कुम्भलगढ	मोरचा	धोरण	धोरण

162	कुम्भलगढ	वरदडा	क.डया	उठडों की भागल
163	कुम्भलगढ	वरदडा	क.डया	क.डया
164	कुम्भलगढ	वरदडा	क.डया	कम्बोडा
165	कुम्भलगढ	वरदडा	क.डया	सयां
166	कुम्भलगढ	वरदडा	पीपाणा	जेतारण
167	कुम्भलगढ	वरदडा	पीपाणा	देलवा.डया
168	कुम्भलगढ	वरदडा	पीपाणा	पीपाणा
169	कुम्भलगढ	वरदडा	आंतरी	आंतरी
170	कुम्भलगढ	वरदडा	आंतरी	बारां
171	कुम्भलगढ	वरदडा	आंतरी	संदुकों का गुडा
172	कुम्भलगढ	वरदडा	वरदडा	उदावड
173	कुम्भलगढ	वरदडा	वरदडा	कल्थाना
174	कुम्भलगढ	वरदडा	वरदडा	कोटडा
175	कुम्भलगढ	वरदडा	वरदडा	वरदडा
176	देवगढ	कुंवाथल	स्वादडी -बी	जोगेला
177	देवगढ	कुंवाथल	स्वादडी -बी	बीड देवगढ
178	देवगढ	कुंवाथल	स्वादडी -बी	भुण्डवास
179	देवगढ	कुंवाथल	स्वादडी -बी	माण्डावाडा
180	देवगढ	कुंवाथल	स्वादडी -बी	वेरावास
181	देवगढ	कुंवाथल	कुंवाथल	कुंवाथल
182	देवगढ	कुंवाथल	कुंवाथल	गु णया
183	देवगढ	कुंवाथल	कुंवाथल	जडसा
184	देवगढ	कुंवाथल	कुंवाथल	पीथाखेडा
185	देवगढ	कुंवाथल	कुंवाथल	बियाना
186	देवगढ	कुंवाथल	जीरण	चुन्दी
187	देवगढ	कुंवाथल	जीरण	जीरण
188	देवगढ	कुंवाथल	जीरण	टेगी
189	देवगढ	कुंवाथल	जीरण	दोलाजी का खेडा
190	देवगढ	कुंवाथल	जीरण	मोयणा
191	देवगढ	कुंवाथल	जीरण	सु लया
192	देवगढ	कुंवाथल	जीरण	सांसरिया
193	देवगढ	कुंवाथल	जीरण	सोलं कयों का गुडा
194	देवगढ	कुंवाथल	स्वादडी -ए	कशनपुरा
195	देवगढ	कुंवाथल	स्वादडी -ए	चारडा
196	देवगढ	कुंवाथल	स्वादडी -ए	तलवाडा
197	देवगढ	कुंवाथल	स्वादडी -ए	धाम णयां

198	देवगढ	कुंवाथल	स्वादडी -ए	रघुनाथपुरा
199	देवगढ	कुंवाथल	स्वादडी -ए	वालुण्डिया
200	देवगढ	कुंवाथल	स्वादडी -ए	स्वादडी -ए
201	देवगढ	कुंवाथल	स्वादडी -ए	स्वादडी -बी
202	देवगढ	देवगढ	कामली	कामला
203	देवगढ	देवगढ	कामली	कामली
204	देवगढ	देवगढ	कामली	कीटों का वा ड्या
205	देवगढ	देवगढ	कामली	चेताआसन
206	देवगढ	देवगढ	कामली	चारनिया
207	देवगढ	देवगढ	कामली	नारायणजी का बीडा
208	देवगढ	देवगढ	कामली	फु कयाथड
209	देवगढ	देवगढ	कामली	वजयपुरा
210	देवगढ	देवगढ	कामली	संग्रामपुरा
211	देवगढ	देवगढ	कामली	हवाला
212	देवगढ	देवगढ	कामली	हीरा की बस्सी (अ)
213	देवगढ	देवगढ	कामली	हीरा की बस्सी (ब)
214	देवगढ	देवगढ	देवगढ	देवगढ
215	देवगढ	देवगढ	मयाला	आसन
216	देवगढ	देवगढ	मयाला	खेडा
217	देवगढ	देवगढ	मयाला	मयाला
218	देवगढ	देवगढ	मयाला	शक्करगढ
219	देवगढ	देवगढ	सांगावास	कुण्डेली
220	देवगढ	देवगढ	सांगावास	पांता की आंती
221	देवगढ	देवगढ	सांगावास	राशमी
222	देवगढ	देवगढ	सांगावास	सांगावास ए
223	देवगढ	देवगढ	सांगावास	सांगावास बी
224	देवगढ	पारडी	पारडी	कवास का गुडा
225	देवगढ	पारडी	पारडी	कोटडा
226	देवगढ	पारडी	पारडी	डांगडी
227	देवगढ	पारडी	पारडी	नान्दवा
228	देवगढ	पारडी	पारडी	पानिया
229	देवगढ	पारडी	पारडी	पारडी
230	देवगढ	पारडी	पारडी	बंजारिया
231	देवगढ	पारडी	पारडी	भुरवाडा
232	देवगढ	पारडी	पारडी	भारत संहजी का गुडा
233	देवगढ	पारडी	माद	कमेरी

234	देवगढ़	पारडी	माद	डाला का खेड़ा
235	देवगढ़	पारडी	माद	दुदा लया
236	देवगढ़	पारडी	माद	देवरिया
237	देवगढ़	पारडी	माद	दांतडा
238	देवगढ़	पारडी	माद	माद
239	देवगढ़	पारडी	माद	मालाजी का गुड़ा
240	देवगढ़	पारडी	नराणा	केरपुरा
241	देवगढ़	पारडी	नराणा	जवारजी का खेड़ा
242	देवगढ़	पारडी	नराणा	नराणा
243	देवगढ़	पारडी	नराणा	पानड़ी
244	देवगढ़	पारडी	नराणा	महा संहजी का खेड़ा
245	देवगढ़	पारडी	नराणा	माता का गाँव
246	देवगढ़	पारडी	नराणा	मो इयाखेड़ा
247	देवगढ़	पारडी	नराणा	रान
248	देवगढ़	पारडी	नराणा	वगतपुरा ए
249	देवगढ़	पारडी	नराणा	वगतपुरा बी
250	देवगढ़	पारडी	नराणा	सामरनाका
251	देवगढ़	पारडी	कुंदवा	अनोपपुरा
252	देवगढ़	पारडी	कुंदवा	आम्बाखेड़ा
253	देवगढ़	पारडी	कुंदवा	कणवेरा
254	देवगढ़	पारडी	कुंदवा	कुंदवा
255	देवगढ़	पारडी	कुंदवा	तेलीखेड़ा
256	देवगढ़	पारडी	कुंदवा	बूझड़ा
257	देवगढ़	पारडी	कुंदवा	भचर इया
258	देवगढ़	पारडी	कुंदवा	लालजी का खेड़ा
259	देवगढ़	मदारिया	कालेसरिया	कुंवारिया
260	देवगढ़	मदारिया	कालेसरिया	कालेसरिया
261	देवगढ़	मदारिया	कालेसरिया	खाखरड़ा
262	देवगढ़	मदारिया	कालेसरिया	चवलारेल का खेड़ा
263	देवगढ़	मदारिया	कालेसरिया	झांकरा
264	देवगढ़	मदारिया	कालेसरिया	नीमझर
265	देवगढ़	मदारिया	कालेसरिया	मालजी का खेड़ा
266	देवगढ़	मदारिया	दौलपुरा	तीखी
267	देवगढ़	मदारिया	दौलपुरा	दौलपुरा
268	देवगढ़	मदारिया	दौलपुरा	पीतामपुरा
269	देवगढ़	मदारिया	दौलपुरा	फरा लया

270	देवगढ़	मदारिया	दौलपुरा	सोपरी
271	देवगढ़	मदारिया	मदारिया	घोड़ा तलाई
272	देवगढ़	मदारिया	मदारिया	बाघाखेड़ा
273	देवगढ़	मदारिया	मदारिया	बारवालों का खेड़ा
274	देवगढ़	मदारिया	मदारिया	भैरुखेड़ा
275	देवगढ़	मदारिया	मदारिया	मदारिया
276	देवगढ़	मदारिया	मदारिया	मा लयों का वास
277	देवगढ़	मदारिया	मदारिया	वेणाखेड़ा
278	देवगढ़	मदारिया	मदारिया	हदवा का वास
279	देवगढ़	मदारिया	मदारिया	हीरा खेड़ा
280	देवगढ़	मदारिया	आंजना	आंजना
281	देवगढ़	मदारिया	आंजना	घाटी
282	देवगढ़	मदारिया	आंजना	जेमाखेड़ा
283	देवगढ़	मदारिया	आंजना	बिलाखी
284	देवगढ़	मदारिया	आंजना	सा लया का खेड़ा
285	देवगढ़	लसानी	काकरोद	काकरोद
286	देवगढ़	लसानी	काकरोद	खुमाखेड़ा
287	देवगढ़	लसानी	काकरोद	खरनिया
288	देवगढ़	लसानी	काकरोद	गुदली
289	देवगढ़	लसानी	काकरोद	पुसालों का खेड़ा
290	देवगढ़	लसानी	काकरोद	मालक मा लया
291	देवगढ़	लसानी	काकरोद	मालकोट
292	देवगढ़	लसानी	काकरोद	वा डया
293	देवगढ़	लसानी	काकरोद	सूरतपुरा
294	देवगढ़	लसानी	लसानी	कुराछों का खेड़ा
295	देवगढ़	लसानी	लसानी	कलालों की आंती
296	देवगढ़	लसानी	लसानी	लसानी
297	देवगढ़	लसानी	लसानी	सेण्ड का खेड़ा
298	देवगढ़	लसानी	ताल	अर्जुनगढ़
299	देवगढ़	लसानी	ताल	उण्डावासन
300	देवगढ़	लसानी	ताल	कालागुन
301	देवगढ़	लसानी	ताल	चक कालागुन
302	देवगढ़	लसानी	ताल	ताल
303	देवगढ़	लसानी	ताल	पीली का चौड़ा
304	देवगढ़	लसानी	ताल	स मति
305	देवगढ़	लसानी	ताल	सरोदनिया

306	देवगढ	लसानी	ताल	सरोला
307	देवगढ	लसानी	ताल	सोहनगढ
308	देवगढ	लसानी	ताल	हेमपुरा
309	देवगढ	लसानी	ईशरमण्ड	ईशरमण्ड
310	देवगढ	लसानी	ईशरमण्ड	देवपुरा
311	देवगढ	लसानी	ईशरमण्ड	पुनियाना
312	देवगढ	लसानी	ईशरमण्ड	रघुनाथपुरा
313	देवगढ	लसानी	ईशरमण्ड	लक्ष्मीपुरा
314	देवगढ	लसानी	ईशरमण्ड	वा णयाहाटडी
315	नाथद्वारा	कोठारिया	नमाना	कुमारिया खेड़ा
316	नाथद्वारा	कोठारिया	नमाना	नेनपुरिया
317	नाथद्वारा	कोठारिया	नमाना	नमाना
318	नाथद्वारा	कोठारिया	नमाना	सांगा का खेड़ा
319	नाथद्वारा	कोठारिया	बिजनोल	खेड़ी
320	नाथद्वारा	कोठारिया	बिजनोल	फुलपुरा
321	नाथद्वारा	कोठारिया	बिजनोल	बांकों का गुड़ा
322	नाथद्वारा	कोठारिया	बिजनोल	बिजनोल
323	नाथद्वारा	कोठारिया	बिजनोल	लच्छीपुरा
324	नाथद्वारा	कोठारिया	कयावास	उठारड़ा
325	नाथद्वारा	कोठारिया	कयावास	कयावास
326	नाथद्वारा	कोठारिया	कयावास	कोचली
327	नाथद्वारा	कोठारिया	कयावास	चालीया
328	नाथद्वारा	कोठारिया	कयावास	जगेला
329	नाथद्वारा	कोठारिया	कयावास	जीवाखेड़ा
330	नाथद्वारा	कोठारिया	कयावास	ढाणी रेबारियान्
331	नाथद्वारा	कोठारिया	कयावास	धर्मतलाई
332	नाथद्वारा	कोठारिया	कोठारिया	कोठारिया "ए"
333	नाथद्वारा	कोठारिया	कोठारिया	कोठारिया "बी"
334	नाथद्वारा	कोठारिया	कोठारिया	खोखाढाणी
335	नाथद्वारा	कोठारिया	कोठारिया	बड़लावाला
336	नाथद्वारा	कोठारिया	कोठारिया	मोडवा
337	नाथद्वारा	गुंजोल	गुंजोल	उमरड़ा तलाई
338	नाथद्वारा	गुंजोल	गुंजोल	कुंचोली
339	नाथद्वारा	गुंजोल	गुंजोल	करजिया
340	नाथद्वारा	गुंजोल	गुंजोल	कल्लाखेड़ी खारा
341	नाथद्वारा	गुंजोल	गुंजोल	कल्लाखेड़ी पाटिया

342	नाथद्वारा	गुंजोल	गुंजोल	कल्लाखेडी बडलावाली
343	नाथद्वारा	गुंजोल	गुंजोल	कल्लाखेडी वीरान
344	नाथद्वारा	गुंजोल	गुंजोल	गुंजोल
345	नाथद्वारा	गुंजोल	गुंजोल	चेनपुरिया
346	नाथद्वारा	गुंजोल	गुंजोल	बाण्डिनाल
347	नाथद्वारा	गुंजोल	गुंजोल	बांसडा
348	नाथद्वारा	गुंजोल	बामनहेडा	उलपुरा नदीवाला
349	नाथद्वारा	गुंजोल	बामनहेडा	खुमानपुरा
350	नाथद्वारा	गुंजोल	बामनहेडा	दूदपुरा
351	नाथद्वारा	गुंजोल	बामनहेडा	बामनहेडा
352	नाथद्वारा	गुंजोल	बामनहेडा	श्यामपुरा
353	नाथद्वारा	गुंजोल	बामनहेडा	शरहमगरी
354	नाथद्वारा	गुंजोल	धांयला	उठडों की भागल
355	नाथद्वारा	गुंजोल	धांयला	कोटेला
356	नाथद्वारा	गुंजोल	धांयला	गुडला
357	नाथद्वारा	गुंजोल	धांयला	धांयला
358	नाथद्वारा	गुंजोल	धांयला	बोरानों का गुडा
359	नाथद्वारा	गुंजोल	धांयला	सूरत संह जी की भागल
360	नाथद्वारा	गुंजोल	खेडाणा	केसरपुरा
361	नाथद्वारा	गुंजोल	खेडाणा	खेडाणा
362	नाथद्वारा	गुंजोल	खेडाणा	खेडीवीरान
363	नाथद्वारा	गुंजोल	खेडाणा	खेमाखेडा
364	नाथद्वारा	गुंजोल	खेडाणा	रकमगढ
365	नाथद्वारा	गुंजोल	खेडाणा	सुरतपुरा
366	नाथद्वारा	नाथद्वारा	नाथद्वारा	नाथद्वारा
367	नाथद्वारा	नाथद्वारा	नाथद्वारा	नाथुवास
368	नाथद्वारा	नाथद्वारा	नाथद्वारा	भलावतों का खेडा
369	नाथद्वारा	नाथद्वारा	रूपलीओडन	रूपली ओडन
370	नाथद्वारा	नाथद्वारा	रूपलीओडन	डगेला
371	नाथद्वारा	नाथद्वारा	रूपलीओडन	निचली ओडन
372	नाथद्वारा	नाथद्वारा	उथनोल	अडगेला
373	नाथद्वारा	नाथद्वारा	उथनोल	उथनोल
374	नाथद्वारा	नाथद्वारा	उथनोल	उलपुरा मगरा पाछला
375	नाथद्वारा	नाथद्वारा	उथनोल	काजियावास
376	नाथद्वारा	नाथद्वारा	उथनोल	गोपाकुआ
377	नाथद्वारा	नाथद्वारा	उथनोल	जेतेला

378	नाथद्वारा	नाथद्वारा	उथनोल	पातलपुरा
379	नाथद्वारा	नाथद्वारा	उथनोल	रामपुरिया
380	नाथद्वारा	नाथद्वारा	उथनोल	सरदारपुरा
381	नाथद्वारा	नाथद्वारा	उथनोल	सरूपरा
382	नाथद्वारा	नाथद्वारा	बागोल	जो शयों की मादडी
383	नाथद्वारा	नाथद्वारा	बागोल	परावाल
384	नाथद्वारा	नाथद्वारा	बागोल	पानेरियों की मादडी
385	नाथद्वारा	नाथद्वारा	बागोल	बागोल
386	नाथद्वारा	मण्डियाना	मोगाना	मोगाना
387	नाथद्वारा	मण्डियाना	मोगाना	रूपावली
388	नाथद्वारा	मण्डियाना	पाखण्ड	आकोदडा
389	नाथद्वारा	मण्डियाना	पाखण्ड	पाखण्ड
390	नाथद्वारा	मण्डियाना	पाखण्ड	हालावास
391	नाथद्वारा	मण्डियाना	मण्डियाना	तक डर्यों का गुडा
392	नाथद्वारा	मण्डियाना	मण्डियाना	देपुर
393	नाथद्वारा	मण्डियाना	मण्डियाना	मण्डियाना
394	नाथद्वारा	मण्डियाना	सालोर	बारो लयों का खेडा
395	नाथद्वारा	मण्डियाना	सालोर	मल्ला खेडी
396	नाथद्वारा	मण्डियाना	सालोर	सालोर
397	नाथद्वारा	शशोदा	कूठाँवा	एक पनिया का गुडा
398	नाथद्वारा	शशोदा	कूठाँवा	कूठवा
399	नाथद्वारा	शशोदा	कूठाँवा	खेड लया
400	नाथद्वारा	शशोदा	कूठाँवा	रावों की गुडली
401	नाथद्वारा	शशोदा	कूठाँवा	शशोदा खुर्द
402	नाथद्वारा	शशोदा	सार्यों का खेडा	सार्यों का खेडा
403	नाथद्वारा	शशोदा	शशोदा	अटाटिया
404	नाथद्वारा	शशोदा	शशोदा	अटाटिया मजरा कन्दोई
405	नाथद्वारा	शशोदा	शशोदा	दडवल
406	नाथद्वारा	शशोदा	शशोदा	धींधागढ
407	नाथद्वारा	शशोदा	शशोदा	मोकेला
408	नाथद्वारा	शशोदा	शशोदा	शशोदा कलां
409	नाथद्वारा	शशोदा	शशोदा	सतलेवा
410	नाथद्वारा	शशोदा	चकलवास	चकलवास
411	नाथद्वारा	शशोदा	चकलवास	मडका
412	भीम	कुकडा	कुकडा	कुकडा
413	भीम	कुकडा	कुकडा	बारलाचौडा

414	भीम	कुकड़ा	कुकड़ा	मोहरिया
415	भीम	कुकड़ा	कुकड़ा	राजारेल
416	भीम	कुकड़ा	थानेटा	जेलवा
417	भीम	कुकड़ा	थानेटा	जालपा
418	भीम	कुकड़ा	थानेटा	थानेटा
419	भीम	कुकड़ा	थानेटा	रूपारेल
420	भीम	कुकड़ा	बली	आड़ावाला
421	भीम	कुकड़ा	बली	करकरा
422	भीम	कुकड़ा	बली	बली
423	भीम	कुकड़ा	लसा इया	उपरला (करकाला)
424	भीम	कुकड़ा	लसा इया	परतों का चौड़ा
425	भीम	कुकड़ा	लसा इया	बडी का देह
426	भीम	कुकड़ा	लसा इया	बडों की रेल
427	भीम	कुकड़ा	लसा इया	मयाला खेत
428	भीम	कुकड़ा	लसा इया	लसा इया
429	भीम	काछबली	काछबली	काछबली
430	भीम	काछबली	काछबली	तलाई
431	भीम	काछबली	काछबली	पायरी
432	भीम	काछबली	काछबली	मे इया
433	भीम	काछबली	लाखागुडा	उदपुरा
434	भीम	काछबली	लाखागुडा	कथार
435	भीम	काछबली	लाखागुडा	धवाला कलां
436	भीम	काछबली	लाखागुडा	नाबरी
437	भीम	काछबली	लाखागुडा	लाखागुडा
438	भीम	काछबली	लाखागुडा	हामातों की गुआर
439	भीम	काछबली	मंडावर	चतरपुरा
440	भीम	काछबली	मंडावर	ढाक का चौड़ा
441	भीम	काछबली	मंडावर	मंडावर
442	भीम	काछबली	मंडावर	रोहिडा
443	भीम	कालादेह	समे लया	तीतरी
444	भीम	कालादेह	समे लया	दहे इया
445	भीम	कालादेह	समे लया	पालरा
446	भीम	कालादेह	समे लया	समे लया
447	भीम	कालादेह	कालादेह	आमनेर
448	भीम	कालादेह	कालादेह	कालादेह
449	भीम	कालादेह	कालादेह	धोटी

450	भीम	कालादेह	कालादेह	बंगला का बा डया
451	भीम	कालादेह	कालादेह	भैरूखेडा
452	भीम	कालादेह	कालादेह	भीलखेडा
453	भीम	कालादेह	कालादेह	सम्बुरिया
454	भीम	कालादेह	अजीतगढ	अजीतगढ
455	भीम	कालादेह	अजीतगढ	घाटा
456	भीम	कालादेह	अजीतगढ	दर्दा
457	भीम	कालादेह	अजीतगढ	नालोई लालपुरा
458	भीम	दिवेर	दिवेर	खेडा जस्सा
459	भीम	दिवेर	दिवेर	दिवेर
460	भीम	दिवेर	दिवेर	पीपरेलु
461	भीम	दिवेर	दिवेर	बांसावारी
462	भीम	दिवेर	कालागुमान	केशागुडा
463	भीम	दिवेर	कालागुमान	कालागुमान
464	भीम	दिवेर	कालागुमान	गुढा चाट
465	भीम	दिवेर	कालागुमान	झुठिया
466	भीम	दिवेर	कालागुमान	मुठिया
467	भीम	दिवेर	कालागुमान	मनकीयावास
468	भीम	दिवेर	छापली	कानावास
469	भीम	दिवेर	छापली	चांदेला की गवार
470	भीम	दिवेर	छापली	छापली
471	भीम	दिवेर	छापली	ढाणा
472	भीम	दिवेर	छापली	नंगातो की गवार
473	भीम	दिवेर	छापली	नव लयापग
474	भीम	दिवेर	नरदास का गुडा	उमराज
475	भीम	दिवेर	नरदास का गुडा	टोकरा
476	भीम	दिवेर	नरदास का गुडा	डो डया खेडा
477	भीम	दिवेर	नरदास का गुडा	तपालों का खेडा
478	भीम	दिवेर	नरदास का गुडा	दराडा
479	भीम	दिवेर	नरदास का गुडा	नरदास का गुडा
480	भीम	दिवेर	नरदास का गुडा	मादा की बस्सी
481	भीम	दिवेर	नरदास का गुडा	रतना का गुडा
482	भीम	दिवेर	नरदास का गुडा	सुरजी का खेडा
483	भीम	दिवेर	नरदास का गुडा	हालेला
484	भीम	दिवेर	खीमा खेडा	खीमा खेडा
485	भीम	दिवेर	खीमा खेडा	इंगावास

486	भीम	बग्गड़	बग्गड़	कालीघाटी
487	भीम	बग्गड़	बग्गड़	झूतरा
488	भीम	बग्गड़	बग्गड़	टेलड़ा
489	भीम	बग्गड़	बग्गड़	धवाला खुर्द
490	भीम	बग्गड़	बग्गड़	बग्गड़
491	भीम	बग्गड़	बरजाल	बडी बरजाल
492	भीम	बग्गड़	बरजाल	बरजाल
493	भीम	बग्गड़	बरजाल	भेरागुड़ा
494	भीम	बग्गड़	बाघाना	अंटाली
495	भीम	बग्गड़	बाघाना	कानियाना
496	भीम	बग्गड़	बाघाना	खीमा गुड़ा
497	भीम	बग्गड़	बाघाना	चेता
498	भीम	बग्गड़	बाघाना	डाबजर
499	भीम	बग्गड़	बाघाना	पीथागुड़ा
500	भीम	बग्गड़	बाघाना	बाघाना
501	भीम	बग्गड़	बाघाना	मोटागुड़ा
502	भीम	बग्गड़	बाघाना	वीरमगुड़ा
503	भीम	बग्गड़	पीपलीनगर	डुंगागुड़ा
504	भीम	बग्गड़	पीपलीनगर	थोरिया
505	भीम	बग्गड़	पीपलीनगर	पीपलीनगर
506	भीम	बग्गड़	पीपलीनगर	वेर
507	भीम	बरार	कुकर खेड़ा	कुकर खेड़ा
508	भीम	बरार	कुकर खेड़ा	कालेटरा
509	भीम	बरार	कुकर खेड़ा	पावटीया
510	भीम	बरार	कुकर खेड़ा	सदारण
511	भीम	बरार	कुकर खेड़ा	सुनार कुड़ी
512	भीम	बरार	बरार	ओटा
513	भीम	बरार	बरार	खेदरा
514	भीम	बरार	बरार	दपटा
515	भीम	बरार	बरार	देवराज नगर
516	भीम	बरार	बरार	पदमेला
517	भीम	बरार	बरार	बरार
518	भीम	बरार	बरार	बिछुदड़ा
519	भीम	बरार	बरार	मायलाखेत
520	भीम	बरार	बरार	हामेला की वेर
521	भीम	बरार	ठीकरवास कलां	कहारी

522	भीम	बरार	ठीकरवास कलां	ठीकरवास कलां
523	भीम	बरार	ठीकरवास कलां	ठीकरवास खुर्द
524	भीम	बरार	कुशलपुरा	आठो लया
525	भीम	बरार	कुशलपुरा	कुशलपुरा
526	भीम	बरार	कुशलपुरा	चाकहिरात
527	भीम	बरार	कुशलपुरा	धोरेला
528	भीम	भीम	डांसरीया	डूंगा जी का गाँव
529	भीम	भीम	डांसरीया	डांसरीया
530	भीम	भीम	डांसरीया	भागवड
531	भीम	भीम	भीम	नेडी
532	भीम	भीम	भीम	पेलाडोल
533	भीम	भीम	भीम	बालातों की गुआर
534	भीम	भीम	भीम	भीम
535	भीम	भीम	भीम	मोडाकाकर
536	भीम	भीम	टोगी	टीबाना
537	भीम	भीम	टोगी	टोगी
538	भीम	भीम	टोगी	नन्दावट
539	भीम	भीम	गोदाजी का गाँव	आडीकाकर
540	भीम	भीम	गोदाजी का गाँव	कुण्डाल की गवार
541	भीम	भीम	गोदाजी का गाँव	कला लया
542	भीम	भीम	गोदाजी का गाँव	गोदाजी का गाँव
543	रेलमगरा	कुरज	जुणदा	कशनपुरिया
544	रेलमगरा	कुरज	जुणदा	गणेशपुरा
545	रेलमगरा	कुरज	जुणदा	चक जुणदा
546	रेलमगरा	कुरज	जुणदा	जुणदा
547	रेलमगरा	कुरज	जुणदा	जुणदा की खेड़ी
548	रेलमगरा	कुरज	जुणदा	माताजी का खेड़ा
549	रेलमगरा	कुरज	गोगाथला	गोगाथला
550	रेलमगरा	कुरज	गोगाथला	पेमाखेड़ा
551	रेलमगरा	कुरज	गोगाथला	माऊ
552	रेलमगरा	कुरज	गोगाथला	मालीखेड़ा
553	रेलमगरा	कुरज	कुरज	कुरज
554	रेलमगरा	कुरज	कुरज	कानाखेड़ा
555	रेलमगरा	कुरज	कुरज	माण्ड पयाखेड़ा
556	रेलमगरा	कोटड़ी	काबरा	काबरा
557	रेलमगरा	कोटड़ी	काबरा	गणेशपुरा

558	रेलमगरा	कोटडी	काबरा	मकनपुरिया
559	रेलमगरा	कोटडी	काबरा	सुनारियाखेड़ा
560	रेलमगरा	कोटडी	काबरा	सांव लया खेड़ा
561	रेलमगरा	कोटडी	कोटडी	कोटडी
562	रेलमगरा	कोटडी	पीपावास	उदलपुरा
563	रेलमगरा	कोटडी	पीपावास	पीपावास
564	रेलमगरा	कोटडी	पीपावास	माताजी का खेड़ा
565	रेलमगरा	कोटडी	राजपुरा	माली खेड़ा
566	रेलमगरा	कोटडी	राजपुरा	राजपुरा
567	रेलमगरा	कोटडी	राजपुरा	सरव डयाखेड़ी
568	रेलमगरा	कोटडी	राजपुरा	सन्देसर खुर्द
569	रेलमगरा	गलुण्ड	गलुण्ड	गलुण्ड
570	रेलमगरा	गलुण्ड	जवा सया	गांगास
571	रेलमगरा	गलुण्ड	जवा सया	जवा सया
572	रेलमगरा	गलुण्ड	जवा सया	सांवलपुरा
573	रेलमगरा	गलुण्ड	पनोतिया	करमाखेड़ी
574	रेलमगरा	गलुण्ड	पनोतिया	जगपुरा
575	रेलमगरा	गलुण्ड	पनोतिया	पनोतिया
576	रेलमगरा	गलुण्ड	पनोतिया	बैठुम्बी
577	रेलमगरा	गलुण्ड	कुण्डिया	कुण्डिया
578	रेलमगरा	गलुण्ड	कुण्डिया	कोलपुरा
579	रेलमगरा	चौकडी	सादडी	भराई
580	रेलमगरा	चौकडी	सादडी	लक्ष्मीपुरा
581	रेलमगरा	चौकडी	सादडी	सादडी
582	रेलमगरा	चौकडी	कारो लया	कारो लया
583	रेलमगरा	चौकडी	कारो लया	मे णया
584	रेलमगरा	चौकडी	ओड़ा	अरड कया
585	रेलमगरा	चौकडी	ओड़ा	ओड़ा
586	रेलमगरा	चौकडी	ओड़ा	नारायणगंज
587	रेलमगरा	चौकडी	चौकडी	चौकडी
588	रेलमगरा	चौकडी	चौकडी	भूरवाड़ा
589	रेलमगरा	पछमता	संदेसरकलां	लाठियाखेड़ी
590	रेलमगरा	पछमता	संदेसरकलां	संदेसरकलां
591	रेलमगरा	पछमता	पछमता	चाम्पाखेड़ी
592	रेलमगरा	पछमता	पछमता	पछमता
593	रेलमगरा	पछमता	पछमता	सोनियाणा

594	रेलमगरा	पछमता	खडबाम णया	अमरपुरा
595	रेलमगरा	पछमता	खडबाम णया	खडबाम णया
596	रेलमगरा	पछमता	खडबाम णया	छतरीखेडा
597	रेलमगरा	पछमता	खडबाम णया	दामोदरपुरा
598	रेलमगरा	पछमता	खडबाम णया	लखमीपुरा
599	रेलमगरा	पछमता	खडबाम णया	वगतपुरा
600	रेलमगरा	पछमता	खडबाम णया	शवपुरा
601	रेलमगरा	पछमता	बाम णयाकलां	बाम णयाकलां
602	रेलमगरा	बने इया	बने इया	अर्जुनगढ
603	रेलमगरा	बने इया	बने इया	ढीली
604	रेलमगरा	बने इया	बने इया	ढीली का खेडा
605	रेलमगरा	बने इया	बने इया	तु कया खेडा
606	रेलमगरा	बने इया	बने इया	बने इया
607	रेलमगरा	बने इया	चराणा	चराणा
608	रेलमगरा	बने इया	खटुकडा	खटुकडा
609	रेलमगरा	बने इया	खटुकडा	छडंगा खेडा
610	रेलमगरा	बने इया	खटुकडा	जगत सह का खेडा
611	रेलमगरा	बने इया	पीपली डो डयान	पीपली डो डयान
612	रेलमगरा	बने इया	पीपली डो डयान	फुं कया
613	रेलमगरा	बने इया	पीपली डो डयान	भामाखेडा
614	रेलमगरा	मेहन्दुरिया	सांसेरा	गमेरपुरा
615	रेलमगरा	मेहन्दुरिया	सांसेरा	छडंगाखेडी
616	रेलमगरा	मेहन्दुरिया	सांसेरा	सांसेरा
617	रेलमगरा	मेहन्दुरिया	धनेरिया	चावण्डिया
618	रेलमगरा	मेहन्दुरिया	धनेरिया	छापरी
619	रेलमगरा	मेहन्दुरिया	धनेरिया	धनेरिया
620	रेलमगरा	मेहन्दुरिया	मेहन्दुरिया	कांटियाखेडा
621	रेलमगरा	मेहन्दुरिया	मेहन्दुरिया	दरीबा
622	रेलमगरा	मेहन्दुरिया	मेहन्दुरिया	मेहन्दुरिया
623	रेलमगरा	मेहन्दुरिया	मेहन्दुरिया	शोपुरा
624	रेलमगरा	मेहन्दुरिया	गवारडी	आंजना
625	रेलमगरा	मेहन्दुरिया	गवारडी	गवारडी
626	रेलमगरा	मेहन्दुरिया	गवारडी	लडपचा
627	रेलमगरा	रेलमगरा	रेलमगरा	रेलमगरा
628	रेलमगरा	रेलमगरा	जीतावास	जीतावास
629	रेलमगरा	रेलमगरा	जीतावास	जीवाखेडा

630	रेलमगरा	रेलमगरा	सकरावास	मदारा
631	रेलमगरा	रेलमगरा	सकरावास	मोखमपुरा
632	रेलमगरा	रेलमगरा	सकरावास	मोरी
633	रेलमगरा	रेलमगरा	सकरावास	सकरावास
634	राजसमन्द	केलवा	केलवा	केलवा
635	राजसमन्द	केलवा	पसून्द	करणपुर
636	राजसमन्द	केलवा	पसून्द	पसून्द
637	राजसमन्द	केलवा	पसून्द	मोखमपुरा
638	राजसमन्द	केलवा	पसून्द	मोरचना
639	राजसमन्द	केलवा	आत्मा	आत्मा
640	राजसमन्द	केलवा	आत्मा	पोदावली
641	राजसमन्द	केलवा	तलाई	झांझर
642	राजसमन्द	केलवा	तलाई	ढाणी
643	राजसमन्द	केलवा	तलाई	तलाई
644	राजसमन्द	केलवा	तलाई	पप लया
645	राजसमन्द	केलवा	तलाई	सार्दुल
646	राजसमन्द	कांकरोली	धोईन्दा	जावद
647	राजसमन्द	कांकरोली	धोईन्दा	धोईन्दा
648	राजसमन्द	कांकरोली	कांकरोली	आसोटिया
649	राजसमन्द	कांकरोली	कांकरोली	कांकरोली
650	राजसमन्द	कांकरोली	कांकरोली	गुडली
651	राजसमन्द	कांकरोली	कांकरोली	हवाला
652	राजसमन्द	कांकरोली	एमडी	एमडी
653	राजसमन्द	कांकरोली	एमडी	केरोट
654	राजसमन्द	कांकरोली	एमडी	नान्दोली
655	राजसमन्द	कांकरोली	एमडी	नोगामा
656	राजसमन्द	कांकरोली	एमडी	भट्टखेडा
657	राजसमन्द	पीपरडा	सुन्दरचा	गच्छालों का गुडा
658	राजसमन्द	पीपरडा	सुन्दरचा	डप्टी खेडा
659	राजसमन्द	पीपरडा	सुन्दरचा	दोवड
660	राजसमन्द	पीपरडा	सुन्दरचा	सुन्दरचा
661	राजसमन्द	पीपरडा	पीपरडा	देवपुरिया
662	राजसमन्द	पीपरडा	पीपरडा	पीपरडा
663	राजसमन्द	पीपरडा	पीपरडा	वेर
664	राजसमन्द	पीपरडा	पीपरडा	शंकरपुरा
665	राजसमन्द	पीपरडा	बडारडा	अभय संह जी का खेडा

666	राजसमन्द	पीपरडा	बडारडा	चन्तामणी का मादडा
667	राजसमन्द	पीपरडा	बडारडा	तेजपुरिया
668	राजसमन्द	पीपरडा	बडारडा	देवाणा
669	राजसमन्द	पीपरडा	बडारडा	नान्दोडा
670	राजसमन्द	पीपरडा	बडारडा	बडारडा
671	राजसमन्द	पीपरडा	बडारडा	मजा
672	राजसमन्द	फरारा	कानादेव का गुडा	काडा का तालाब
673	राजसमन्द	फरारा	कानादेव का गुडा	कानादेव का गुडा
674	राजसमन्द	फरारा	कानादेव का गुडा	धनवल
675	राजसमन्द	फरारा	साकरोदा	तारोट
676	राजसमन्द	फरारा	साकरोदा	पुनावली
677	राजसमन्द	फरारा	साकरोदा	बाघ सिंह जी का नाडा
678	राजसमन्द	फरारा	साकरोदा	साकरोदा
679	राजसमन्द	फरारा	फरारा	ऊरी
680	राजसमन्द	फरारा	फरारा	फरारा
681	राजसमन्द	फरारा	फरारा	सरकेला
682	राजसमन्द	फरारा	सांगठ कलां	खरवडों की भागल
683	राजसमन्द	फरारा	सांगठ कलां	दमाला
684	राजसमन्द	फरारा	सांगठ कलां	बन्शाव लर्यों का गुडा
685	राजसमन्द	फरारा	सांगठ कलां	बागोटा
686	राजसमन्द	फरारा	सांगठ कलां	बीडा की भागल
687	राजसमन्द	फरारा	सांगठ कलां	सांगठ कलां
688	राजसमन्द	फरारा	सांगठ कलां	सांगठ खुर्द
689	राजसमन्द	फरारा	सांगठ कलां	सापोल
690	राजसमन्द	बामन टुकडा	बामन टुकडा	दौलतपुरा
691	राजसमन्द	बामन टुकडा	बामन टुकडा	बामन टुकडा
692	राजसमन्द	बामन टुकडा	बामन टुकडा	मयारी
693	राजसमन्द	बामन टुकडा	पडासली	कनावदा
694	राजसमन्द	बामन टुकडा	पडासली	केरिंग जी का खेडा
695	राजसमन्द	बामन टुकडा	पडासली	दे वर्यों की मेरडा
696	राजसमन्द	बामन टुकडा	पडासली	पडासली
697	राजसमन्द	बामन टुकडा	पडासली	माण्डावाडा
698	राजसमन्द	बामन टुकडा	पडासली	मादडी देवस्थान

699	राजसमन्द	बामन टुकड़ा	धांयला	उम्मेदपुरा
700	राजसमन्द	बामन टुकड़ा	धांयला	कशनपुरा
701	राजसमन्द	बामन टुकड़ा	धांयला	देवपुरा
702	राजसमन्द	बामन टुकड़ा	धांयला	धांयला
703	राजसमन्द	बामन टुकड़ा	धांयला	भुण्डल
704	राजसमन्द	बामन टुकड़ा	धांयला	रघुनाथपुरा
705	राजसमन्द	बामन टुकड़ा	करेड़ा	आरवाड़ा
706	राजसमन्द	बामन टुकड़ा	करेड़ा	करेड़ा
707	राजसमन्द	राजनगर	पीपलान्त्री कलां	आरणा
708	राजसमन्द	राजनगर	पीपलान्त्री कलां	उमठी
709	राजसमन्द	राजनगर	पीपलान्त्री कलां	गुगलेटा
710	राजसमन्द	राजनगर	पीपलान्त्री कलां	पीपलान्त्री कलां
711	राजसमन्द	राजनगर	पीपलान्त्री कलां	पीपलान्त्री खुर्द
712	राजसमन्द	राजनगर	पीपलान्त्री कलां	भुडान
713	राजसमन्द	राजनगर	पीपलान्त्री कलां	मोरवड़
714	राजसमन्द	पीपरड़ा	देवथड़ी	टुकड़ा खुर्द
715	राजसमन्द	पीपरड़ा	देवथड़ी	डप्टी
716	राजसमन्द	पीपरड़ा	देवथड़ी	देवथड़ी
717	राजसमन्द	राजनगर	सनवाड़	सनवाड़
718	राजसमन्द	राजनगर	राजनगर	कशोर नगर
719	राजसमन्द	राजनगर	राजनगर	रूण राजसमन्द अ
720	राजसमन्द	राजनगर	राजनगर	राजनगर
721	राजसमन्द	राजनगर	राजनगर	सेवाली
722	राजसमन्द	राजनगर	बोरज	केरड़ी
723	राजसमन्द	राजनगर	बोरज	खारण्डिया
724	राजसमन्द	राजनगर	बोरज	निर्झरना
725	राजसमन्द	राजनगर	बोरज	बोरज
726	राजसमन्द	राजनगर	बोरज	बोरज का खेड़ा
727	राजसमन्द	राजनगर	बोरज	सार्दुलखेड़ा
728	राजसमन्द	राजनगर	मुण्डोल	पुठोल
729	राजसमन्द	राजनगर	मुण्डोल	भगवान्दा खुर्द
730	राजसमन्द	राजनगर	मुण्डोल	मुण्डोल
731	राजसमन्द	राजनगर	मुण्डोल	मादडी गोव लया
732	राजसमन्द	राज्यावास	मोही	करणीनगर
733	राजसमन्द	राज्यावास	मोही	पाण्डोलाई
734	राजसमन्द	राज्यावास	मोही	मोही

735	राजसमन्द	राज्यावास	भाटोली	नाकली
736	राजसमन्द	राज्यावास	भाटोली	पीथावास
737	राजसमन्द	राज्यावास	भाटोली	फतहनगर का खेड़ा
738	राजसमन्द	राज्यावास	भाटोली	फतहपुरा
739	राजसमन्द	राज्यावास	भाटोली	भाटोली
740	राजसमन्द	राज्यावास	भाटोली	मेंगटिया कलां
741	राजसमन्द	राज्यावास	भाटोली	मेंगटिया खुर्द
742	राजसमन्द	राज्यावास	भाटोली	सथाना
743	राजसमन्द	राज्यावास	अमलोई	अमलोई
744	राजसमन्द	राज्यावास	अमलोई	जोधपुरिया
745	राजसमन्द	राज्यावास	अमलोई	तेजपुरा
746	राजसमन्द	राज्यावास	अमलोई	देवगांव
747	राजसमन्द	राज्यावास	अमलोई	फतहनगर
748	राजसमन्द	राज्यावास	राज्यावास	राज्यावास
749	गढबोर	गढबोर	गढबोर	गढबोर
750	गढबोर	गढबोर	गढबोर	भोपजी की भागल
751	गढबोर	गढबोर	मानावतों का गुडा	उपला घाटड़ा
752	गढबोर	गढबोर	मानावतों का गुडा	निचला घाटड़ा
753	गढबोर	गढबोर	मानावतों का गुडा	बागुन्दा
754	गढबोर	गढबोर	मानावतों का गुडा	बोरडा की भागल
755	गढबोर	गढबोर	मानावतों का गुडा	मानावतों का गुडा
756	गढबोर	गढबोर	मानावतों का गुडा	रूपनगर
757	गढबोर	गढबोर	मानावतों का गुडा	हट्टा जी का गुडा
758	गढबोर	गढबोर	टाडावाड़ा गुजरान	खाखा का गुडा
759	गढबोर	गढबोर	टाडावाड़ा गुजरान	चे चर्यों का गुडा
760	गढबोर	गढबोर	टाडावाड़ा गुजरान	टाडावाड़ा गुजरान

761	गढबोर	गढबोर	टाडावाडा गुजरान	ढोडीवास
762	गढबोर	गढबोर	टाडावाडा गुजरान	मावेलों का गुडा
763	गढबोर	गढबोर	टाडावाडा गुजरान	मोराणा
764	गढबोर	गढबोर	टाडावाडा गुजरान	लेवों का तालाब
765	गढबोर	गढबोर	झीलवाडा	चदाणा की भागल
766	गढबोर	गढबोर	झीलवाडा	झीलवाडा
767	गढबोर	गढबोर	झीलवाडा	नाथाजी का गुडा
768	गढबोर	गढबोर	झीलवाडा	मेवा डया
769	गढबोर	जनावद	धानीन	अम लयार
770	गढबोर	जनावद	धानीन	आमली का गुडा
771	गढबोर	जनावद	धानीन	धानीन
772	गढबोर	जनावद	धानीन	बा णया टुकडा
773	गढबोर	जनावद	धानीन	मान संह जी का गुडा
774	गढबोर	जनावद	धानीन	मोजावतों का गुडा
775	गढबोर	जनावद	धानीन	मोहनराम जी का गुडा
776	गढबोर	जनावद	जनावद	अमरतिया
777	गढबोर	जनावद	जनावद	आयत्री
778	गढबोर	जनावद	जनावद	जनावद
779	गढबोर	जनावद	जनावद	जस्सा जी का गुडा
780	गढबोर	जनावद	जनावद	डूंगर जी का गुडा
781	गढबोर	जनावद	जनावद	निमडी
782	गढबोर	जनावद	जनावद	सोनियाणा
783	गढबोर	जनावद	लाम्बोडी	खारा आसन
784	गढबोर	जनावद	लाम्बोडी	गुड लया
785	गढबोर	जनावद	लाम्बोडी	जवा लया
786	गढबोर	जनावद	लाम्बोडी	टाडावाडा सोलं कयान
787	गढबोर	जनावद	लाम्बोडी	लाम्बोडी
788	गढबोर	जनावद	खरनोटा	खरनोटा
789	गढबोर	जनावद	खरनोटा	गटोरिया
790	गढबोर	जनावद	खरनोटा	जवारिया
791	गढबोर	जनावद	खरनोटा	जोज
792	गढबोर	जनावद	खरनोटा	हापेला

793	गढबोर	रीछेड	रीछेड	रीछेड
794	गढबोर	रीछेड	सुंखार	करडों का गुडा
795	गढबोर	रीछेड	सुंखार	जुड
796	गढबोर	रीछेड	सुंखार	रोद का गुडा
797	गढबोर	रीछेड	सुंखार	सुंखार
798	गढबोर	रीछेड	अण्टा लया	अण्टा लया
799	गढबोर	रीछेड	अण्टा लया	ओवरी का वालरा
800	गढबोर	रीछेड	अण्टा लया	कुंवारिया
801	गढबोर	रीछेड	अण्टा लया	जरडाया
802	गढबोर	रीछेड	अण्टा लया	बीडा की भागल
803	गढबोर	रीछेड	अण्टा लया	राती तलाई
804	गढबोर	रीछेड	थुरावड	थुरावड
805	गढबोर	रीछेड	थुरावड	धोला की ओड
806	गढबोर	रीछेड	थुरावड	नाथेला
807	गढबोर	रीछेड	थुरावड	पावणा
808	गढबोर	सेवन्त्री	उमरवास	आसन
809	गढबोर	सेवन्त्री	उमरवास	उमरवास
810	गढबोर	सेवन्त्री	उमरवास	काकरिया
811	गढबोर	सेवन्त्री	उमरवास	कतेला
812	गढबोर	सेवन्त्री	उमरवास	खरनी खेडा
813	गढबोर	सेवन्त्री	उमरवास	चुण्डावर्तो का खेडा
814	गढबोर	सेवन्त्री	उमरवास	ढिलो डया
815	गढबोर	सेवन्त्री	उमरवास	तेजा का गुडा
816	गढबोर	सेवन्त्री	उमरवास	बांसा
817	गढबोर	सेवन्त्री	उमरवास	बोरी
818	गढबोर	सेवन्त्री	उमरवास	मावा का गुडा
819	गढबोर	सेवन्त्री	उमरवास	सरस का गुडा
820	गढबोर	सेवन्त्री	सा थया	थोरियावास
821	गढबोर	सेवन्त्री	सा थया	देवाजी की भागल
822	गढबोर	सेवन्त्री	सा थया	धनायका
823	गढबोर	सेवन्त्री	सा थया	धनायका की भागल
824	गढबोर	सेवन्त्री	सा थया	बाम णया
825	गढबोर	सेवन्त्री	सा थया	बोरड
826	गढबोर	सेवन्त्री	सा थया	लोर
827	गढबोर	सेवन्त्री	सा थया	सा थया
828	गढबोर	सेवन्त्री	सेवन्त्री	कछार

829	गढबोर	सेवन्त्री	सेवन्त्री	कीकाथोरिया की भागल
830	गढबोर	सेवन्त्री	सेवन्त्री	कोयला
831	गढबोर	सेवन्त्री	सेवन्त्री	खेड़ा
832	गढबोर	सेवन्त्री	सेवन्त्री	जाम्बु का तालाब
833	गढबोर	सेवन्त्री	सेवन्त्री	पुठिया
834	गढबोर	सेवन्त्री	सेवन्त्री	सेवन्त्री
835	खमनोर	के शवाड़ा	सरोही की भागल	सरोही की भागल
836	खमनोर	के शवाड़ा	सरोही की भागल	सोगड़ी की भागल
837	खमनोर	के शवाड़ा	के शवाड़ा	के शवाड़ा
838	खमनोर	के शवाड़ा	के शवाड़ा	तलायों का भीलवाड़ा
839	खमनोर	के शवाड़ा	के शवाड़ा	मोखाड़ा
840	खमनोर	के शवाड़ा	के शवाड़ा	सादूला
841	खमनोर	के शवाड़ा	गांवगुड़ा	गांवगुड़ा
842	खमनोर	के शवाड़ा	गांवगुड़ा	रत्नावतों की भागल
843	खमनोर	के शवाड़ा	गांवगुड़ा	रांकड़ का भीलवाड़ा
844	खमनोर	के शवाड़ा	गांवगुड़ा	सपत लयों का भीलवाड़ा
845	खमनोर	के शवाड़ा	झालों की मदार	झालों की मदार
846	खमनोर	के शवाड़ा	झालों की मदार	तालाबों की भागल
847	खमनोर	के शवाड़ा	झालों की मदार	सरव डया की भागल
848	खमनोर	के शवाड़ा	झालों की मदार	हरिदासजी का गुड़ा
849	खमनोर	खमनोर	मोलेला	उदावतों की भागल
850	खमनोर	खमनोर	मोलेला	मोलेला
851	खमनोर	खमनोर	टांटोल	चान्दनिया
852	खमनोर	खमनोर	टांटोल	टांटोल
853	खमनोर	खमनोर	टांटोल	पासुनिया
854	खमनोर	खमनोर	टांटोल	भयाज
855	खमनोर	खमनोर	टांटोल	माल का गुड़ा
856	खमनोर	खमनोर	टांटोल	रूपजी का गुड़ा
857	खमनोर	खमनोर	टांटोल	सरसुनिया
858	खमनोर	खमनोर	खमनोर	खमनोर
859	खमनोर	खमनोर	खमनोर	गुर्जरगढ़
860	खमनोर	खमनोर	खमनोर	वारणी की भागल
861	खमनोर	खमनोर	खमनोर	सोई की भागल
862	खमनोर	खमनोर	उनवास	उनवास

863	खमनोर	खमनोर	उनवास	कुरियावाड़ा
864	खमनोर	खमनोर	उनवास	खरवडों की ढाणी
865	खमनोर	खमनोर	उनवास	बलीचा
866	खमनोर	खमनोर	उनवास	रेबारियों की ढाणी
867	खमनोर	मचीन्द	मचीन्द	कराई
868	खमनोर	मचीन्द	मचीन्द	मचीन्द
869	खमनोर	मचीन्द	फतहपुर	कामा
870	खमनोर	मचीन्द	फतहपुर	चारणों की मदार
871	खमनोर	मचीन्द	फतहपुर	फतहपुर
872	खमनोर	मचीन्द	फतहपुर	बिल्ली की भागल
873	खमनोर	मचीन्द	सलोदा	खेड़ा की भागल
874	खमनोर	मचीन्द	सलोदा	सर की भागल
875	खमनोर	मचीन्द	सलोदा	सलोदा
876	खमनोर	मचीन्द	सगरुण	अंगोर की भागल
877	खमनोर	मचीन्द	सगरुण	डाबुन
878	खमनोर	मचीन्द	सगरुण	सगरुण
879	खमनोर	मचीन्द	सगरुण	सरोही की भागल
880	खमनोर	सेमा	छोटा भाणुजा	काडों का गुड़ा
881	खमनोर	सेमा	छोटा भाणुजा	छोटा भाणुजा
882	खमनोर	सेमा	छोटा भाणुजा	मेराजिया रेबारियों की ढाणी
883	खमनोर	सेमा	बड़ा भाणुजा	धनवाड़ा
884	खमनोर	सेमा	बड़ा भाणुजा	बड़ा भाणुजा
885	खमनोर	सेमा	बड़ा भाणुजा	राछेटी
886	खमनोर	सेमा	सेमा	खेड़ी
887	खमनोर	सेमा	सेमा	म लदा
888	खमनोर	सेमा	सेमा	सेमा
889	खमनोर	सेमा	भैंसाकमेड़	बाम णया वेर
890	खमनोर	सेमा	भैंसाकमेड़	भैंसाकमेड़
891	खमनोर	सेमा	भैंसाकमेड़	मादरेचों का गुड़ा
892	खमनोर	सेमा	उसरवास	उसरवास
893	खमनोर	सेमा	उसरवास	बड़ी बल्लों की भागल
894	खमनोर	सेमा	उसरवास	रेबारियों की ढाणी
895	कुंवारिया	कुंवारिया	खण्डेल	खण्डेल
896	कुंवारिया	कुंवारिया	खण्डेल	ताराखेड़ा
897	कुंवारिया	कुंवारिया	खण्डेल	दौलतपुरा
898	कुंवारिया	कुंवारिया	खण्डेल	रामपुरिया

899	कुंवारीया	कुंवारीया	खण्डेल	लापस्या
900	कुंवारीया	कुंवारीया	खण्डेल	वगतपुरा
901	कुंवारीया	कुंवारीया	जोधपुरा	आकोदियों का खेड़ा
902	कुंवारीया	कुंवारीया	जोधपुरा	गाडरियावास
903	कुंवारीया	कुंवारीया	जोधपुरा	गोव लया
904	कुंवारीया	कुंवारीया	जोधपुरा	जोधपुरा
905	कुंवारीया	कुंवारीया	जोधपुरा	नाथुवास
906	कुंवारीया	कुंवारीया	पीपली अहीरान	प्रेमपुरा
907	कुंवारीया	कुंवारीया	पीपली अहीरान	पीपली अहीरान
908	कुंवारीया	कुंवारीया	पीपली अहीरान	मेघाखेड़ा
909	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	पीपली आचार्यान	केशवनगर
910	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	पीपली आचार्यान	पीपली आचार्यान
911	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	पीपली आचार्यान	बड लया
912	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	पीपली आचार्यान	लालपुर
913	कुंवारीया	कुंवारीया	फयावड़ी	खातीखेड़ा
914	कुंवारीया	कुंवारीया	फयावड़ी	पदमपुरा
915	कुंवारीया	कुंवारीया	फयावड़ी	फयावड़ी
916	कुंवारीया	कुंवारीया	कुंवारीया	कुंवारीया
917	कुंवारीया	कुंवारीया	कुंवारीया	खाख लया खेड़ा
918	कुंवारीया	भाणा	खटामला	खटामला
919	कुंवारीया	भाणा	खटामला	देवडों का खेड़ा
920	कुंवारीया	भाणा	खटामला	धनजी का खेड़ा
921	कुंवारीया	भाणा	खटामला	बागुन्दड़ा
922	कुंवारीया	भाणा	खटामला	वासनी
923	कुंवारीया	भाणा	तासोल	छापर खेड़ी
924	कुंवारीया	भाणा	तासोल	तासोल
925	कुंवारीया	भाणा	तासोल	पर्वत खेड़ी
926	कुंवारीया	भाणा	तासोल	मण्डावर
927	कुंवारीया	भाणा	भगवान्दा कलां	बागडोला
928	कुंवारीया	भाणा	भगवान्दा कलां	बांसोल
929	कुंवारीया	भाणा	भगवान्दा कलां	भगवान्दा कलां
930	कुंवारीया	भाणा	भगवान्दा कलां	लवाणा

931	कुंवारीया	भाणा	भाणा	भाणा
932	कुंवारीया	भाणा	भाणा	रूण राजसमन्द चक 2
933	कुंवारीया	भाणा	भावा	तर संगड़ा
934	कुंवारीया	भाणा	भावा	प्रताप पुरा
935	कुंवारीया	भाणा	भावा	बाघपुरा
936	कुंवारीया	भाणा	भावा	भावा
937	कुंवारीया	भाणा	भावा	सोनियाणा
938	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	महासतियों की मादड़ी	डूमखेड़ा
939	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	महासतियों की मादड़ी	डु लयाना
940	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	महासतियों की मादड़ी	महासतियों की मादड़ी
941	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	घाटी	अमरतलाई
942	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	घाटी	खेमाखेड़ा
943	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	घाटी	घाटी
944	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	घाटी	रूपाखेड़ा
945	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	घाटी	रावों का खेड़ा
946	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	वणाई	देवरी खेड़ा
947	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	वणाई	मादड़ा
948	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	वणाई	वणाई
949	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	वणाई	सादड़ा
950	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	बिनोल	करणपुरिया
951	कुंवारीया	महासतियों की मादड़ी	बिनोल	बिनोल
952	देलवाड़ा	करोली	शशवी	झाड़सादड़ी
953	देलवाड़ा	करोली	शशवी	देवड़ों का गुड़ा

954	देलवाड़ा	करोली	शशवी	बाजून्दा
955	देलवाड़ा	करोली	शशवी	रामपुरिया
956	देलवाड़ा	करोली	शशवी	लोलेरों का गुड़ा
957	देलवाड़ा	करोली	शशवी	शशवी
958	देलवाड़ा	करोली	शशवी	शशवी की ढाणी
959	देलवाड़ा	करोली	शशवी	स लयों का गुड़ा
960	देलवाड़ा	करोली	शशवी	सोडावास
961	देलवाड़ा	करोली	करोली	करोली
962	देलवाड़ा	करोली	करोली	करोली की ढाणी
963	देलवाड़ा	करोली	करोली	डाबियों का गुड़ा
964	देलवाड़ा	करोली	केसूली	केसूली
965	देलवाड़ा	करोली	केसूली	ढाणा
966	देलवाड़ा	करोली	केसूली	पापामाल
967	देलवाड़ा	करोली	केसूली	पीपलवास
968	देलवाड़ा	करोली	केसूली	रातितालाई
969	देलवाड़ा	करोली	केसूली	माण्डक का गुड़ा
970	देलवाड़ा	करोली	लालमादडी	राणावतों का गुड़ा
971	देलवाड़ा	करोली	लालमादडी	राबचा
972	देलवाड़ा	करोली	लालमादडी	लालमादडी
973	देलवाड़ा	देलवाड़ा	नेग डया	करमठों का ढाणा
974	देलवाड़ा	देलवाड़ा	नेग डया	गुडली
975	देलवाड़ा	देलवाड़ा	नेग डया	गोरेला
976	देलवाड़ा	देलवाड़ा	नेग डया	झीपों का रहट
977	देलवाड़ा	देलवाड़ा	नेग डया	नेग डया
978	देलवाड़ा	देलवाड़ा	नेग डया	रठूंझणा
979	देलवाड़ा	देलवाड़ा	बिलोता	कोटडी का ढाणा
980	देलवाड़ा	देलवाड़ा	बिलोता	नेता का गूड़ा
981	देलवाड़ा	देलवाड़ा	बिलोता	बापड़ा
982	देलवाड़ा	देलवाड़ा	बिलोता	बिलावास
983	देलवाड़ा	देलवाड़ा	बिलोता	बिलोता
984	देलवाड़ा	देलवाड़ा	बिलोता	मजेरा
985	देलवाड़ा	देलवाड़ा	बिलोता	शकारवाडी
986	देलवाड़ा	देलवाड़ा	देलवाड़ा	देलवाड़ा
987	देलवाड़ा	देलवाड़ा	कालीवास	कमली का गुड़ा
988	देलवाड़ा	देलवाड़ा	कालीवास	कालीवास
989	देलवाड़ा	देलवाड़ा	कालीवास	कोलर

990	देलवाड़ा	देलवाड़ा	कालीवास	गामेठों का नोहरा
991	देलवाड़ा	देलवाड़ा	कालीवास	तंतेला
992	देलवाड़ा	देलवाड़ा	कालीवास	दामावाड़ी
993	देलवाड़ा	देलवाड़ा	कालीवास	बेरन
994	देलवाड़ा	देलवाड़ा	कालीवास	बरवा
995	देलवाड़ा	देलवाड़ा	कालीवास	बरवा लया
996	देलवाड़ा	देलवाड़ा	कालीवास	मुंझेला
997	देलवाड़ा	देलवाड़ा	कालीवास	राय णया
998	देलवाड़ा	देलवाड़ा	कालीवास	ललेरा
999	देलवाड़ा	देलवाड़ा	कालीवास	श्यामजी का गुड़ा
1000	देलवाड़ा	देलवाड़ा	कालीवास	सयोल
1001	देलवाड़ा	देलवाड़ा	कालीवास	सोनगरिया
1002	देलवाड़ा	नेड़च	घोड़च	घाटी का मठ
1003	देलवाड़ा	नेड़च	घोड़च	घोड़च
1004	देलवाड़ा	नेड़च	घोड़च	छापरा
1005	देलवाड़ा	नेड़च	घोड़च	राया
1006	देलवाड़ा	नेड़च	नेड़च	खेतपाल का गुड़ा
1007	देलवाड़ा	नेड़च	नेड़च	जूनागुड़ा
1008	देलवाड़ा	नेड़च	नेड़च	दाइमी
1009	देलवाड़ा	नेड़च	नेड़च	नेड़च
1010	देलवाड़ा	नेड़च	नेड़च	बरावा
1011	देलवाड़ा	नेड़च	नेड़च	बोर का कुआ
1012	देलवाड़ा	नेड़च	नेड़च	भूम लयों का गुड़ा
1013	देलवाड़ा	नेड़च	नेड़च	शव संह का गुड़ा
1014	देलवाड़ा	नेड़च	सेमल	कागमदारडा
1015	देलवाड़ा	नेड़च	सेमल	सेमल
1016	देलवाड़ा	नेड़च	सेमल	सीम की भागल
1017	देलवाड़ा	नेड़च	उषाण	उषाण
1018	देलवाड़ा	नेड़च	उषाण	कुण्डा
1019	सरदारगढ़	गलवा	झौर	उलपुरा
1020	सरदारगढ़	गलवा	झौर	गोव लया
1021	सरदारगढ़	गलवा	झौर	झौर
1022	सरदारगढ़	गलवा	झौर	रकमपुरा
1023	सरदारगढ़	गलवा	मूरडा	गाडरियावास
1024	सरदारगढ़	गलवा	मूरडा	बुधपुरा
1025	सरदारगढ़	गलवा	मूरडा	मुरडा

1026	सरदारगढ़	गलवा	औलनाखेड़ा	अरनिया
1027	सरदारगढ़	गलवा	औलनाखेड़ा	औलनाखेड़ा
1028	सरदारगढ़	गलवा	औलनाखेड़ा	गोपालपुरा
1029	सरदारगढ़	गलवा	औलनाखेड़ा	गोलेराकुआं
1030	सरदारगढ़	गलवा	औलनाखेड़ा	डूंगाखेड़ा
1031	सरदारगढ़	गलवा	औलनाखेड़ा	धनकपुरा
1032	सरदारगढ़	गलवा	औलनाखेड़ा	रावों का खेड़ा
1033	सरदारगढ़	गलवा	औलनाखेड़ा	शम्भूपुरा
1034	सरदारगढ़	गलवा	औलनाखेड़ा	सारनीयाखेड़ा
1035	सरदारगढ़	गलवा	गलवा	करतवास
1036	सरदारगढ़	गलवा	गलवा	कलामतोंकाखेड़ा
1037	सरदारगढ़	गलवा	गलवा	काबरी
1038	सरदारगढ़	गलवा	गलवा	गलवा
1039	सरदारगढ़	गलवा	गलवा	देवली
1040	सरदारगढ़	गलवा	गलवा	बाघपुरा
1041	सरदारगढ़	सरदारगढ़	घोसुण्डी	कालेसरिया
1042	सरदारगढ़	सरदारगढ़	घोसुण्डी	कशनपुरिया
1043	सरदारगढ़	सरदारगढ़	घोसुण्डी	घोसूण्डी
1044	सरदारगढ़	सरदारगढ़	घोसुण्डी	चतरपुरा
1045	सरदारगढ़	सरदारगढ़	घोसुण्डी	भीलमगरा
1046	सरदारगढ़	सरदारगढ़	घोसुण्डी	राजपुरा
1047	सरदारगढ़	सरदारगढ़	घोसुण्डी	सालमपुरा
1048	सरदारगढ़	सरदारगढ़	पनोतिया	अमरतीया
1049	सरदारगढ़	सरदारगढ़	पनोतिया	धनोली
1050	सरदारगढ़	सरदारगढ़	पनोतिया	पनोतिया
1051	सरदारगढ़	सरदारगढ़	पनोतिया	बुकरड़ा
1052	सरदारगढ़	सरदारगढ़	लोढीयाना	कशनपुरा
1053	सरदारगढ़	सरदारगढ़	लोढीयाना	गाडरीयावास
1054	सरदारगढ़	सरदारगढ़	लोढीयाना	तिकरडी
1055	सरदारगढ़	सरदारगढ़	लोढीयाना	देवरिया
1056	सरदारगढ़	सरदारगढ़	लोढीयाना	भोपाकीभागल
1057	सरदारगढ़	सरदारगढ़	लोढीयाना	लोढीयाना
1058	सरदारगढ़	सरदारगढ़	लोढीयाना	लोढीयाना का वाड़ा
1059	सरदारगढ़	सरदारगढ़	लोढीयाना	वीरवास
1060	सरदारगढ़	सरदारगढ़	सरदारगढ़	सरदारगढ़
1061	सरदारगढ़	सरदारगढ़	साकरोदा	जाटियाखेड़ा

1062	सरदारगढ़	सरदारगढ़	साकरोदा	साकरोदा
1063	सरदारगढ़	सरदारगढ़	साकरोदा	समाल
1064	सरदारगढ़	सयाणा	जैतपुरा	आगलगांव
1065	सरदारगढ़	सयाणा	जैतपुरा	उदावतोंकाखेड़ा
1066	सरदारगढ़	सयाणा	जैतपुरा	जैतपुरा
1067	सरदारगढ़	सयाणा	जैतपुरा	भाकरोदा
1068	सरदारगढ़	सयाणा	जैतपुरा	मालीखेड़ा
1069	सरदारगढ़	सयाणा	दोवड़ा	खेडीया
1070	सरदारगढ़	सयाणा	दोवड़ा	डंगरोल
1071	सरदारगढ़	सयाणा	दोवड़ा	दोवड़ा
1072	सरदारगढ़	सयाणा	दोवड़ा	पप लया
1073	सरदारगढ़	सयाणा	दोवड़ा	सेगनवास
1074	सरदारगढ़	सयाणा	सयाणा	खटीकों की भागल
1075	सरदारगढ़	सयाणा	सयाणा	मेरड़ाखालसा
1076	सरदारगढ़	सयाणा	सयाणा	सुमाडीया
1077	सरदारगढ़	सयाणा	सयाणा	सयाणा
1078	सरदारगढ़	सयाणा	सयाणा	सरोडी

जिले में एक जिला परिषद, 8 पंचायत समितियां, 214 ग्राम पंचायतें एवं 5 शहरी स्थानीय निकाय हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैं :-

जिला परिषद का मुख्यालय राजसमन्द में स्थित है। जिला परिषद में 25 सदस्य हैं एवं इसके अध्यक्ष जिला प्रमुख हैं :-

➤ पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का विवरण :-

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	राजसमन्द	33
2.	रेलमगरा	29
3.	कुंभलगढ़	37
4.	आमेट	20
5.	भीम	34
6.	देवगढ़	20
7.	खमनोर	25
8.	देलवाडा	16
कुल 08		214

शहरी स्थानीय निकायों का विवरण :-

क्र.सं.	स्थानीय निकाय	शहर/कस्बा
1.	राजसमन्द	शहर
2.	नाथद्वारा	शहर
3.	आमेट	कस्बा
4.	देवगढ़	कस्बा
5.	भीम	कस्बा

जिले में 4 विधान सभा क्षेत्र – राजसमन्द, भीम, कुंभलगढ़ एवं नाथद्वारा है। जिला राजसमन्द संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें इस जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के अतिरिक्त ब्यावर (अजमेर) मेडता, डेगाना (नागोर) एवं जेतारण (पाली) विधानसभा क्षेत्र भी सम्मिलित हैं।

➤ भौतिक स्वरूप

क्षेत्रफल –

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का कुल क्षेत्रफल 4655 वर्ग कि.मी. है। इसकी जनसंख्या 1156597 है तथा घनत्व 248 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

मृदा (मिट्टी) –

जिले की मिट्टी सामान्यतः लिमोसोल, भूरी एवं लाल है परन्तु जिले का दक्षिण-पश्चिमी भाग पहाड़ीयों से युक्त है। जिले में भीम, देवगढ़, आमेट में सेन्डीलूम मिट्टी जबकि कुंभलगढ़ में हेनीवेल मिट्टी पाई जाती है।

भूमि उपयोग –

जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 453073 हेक्टेयर है, परन्तु कृषि उपयोग में आने वाली जमीन का 2022-23 में प्रतिवेदित क्षेत्रफल 144772 हेक्टेयर है। जिले में भूमि का वर्गीकरण इस संदर्भ अवधि में निम्न प्रकार है –

क्र.सं.	भूमि का उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वि०वि०
1	वन	26380	
2	अकृषि योग्य	183038	
3	कृषि योग्य पड़त	149644	
4	दुपज भूमि	50761	
5	वास्तविक बायो गया क्षेत्र	94011	
6	बोया गया कुल क्षेत्रफल	144772	
7.	सिंचित क्षेत्र	52651	

जलवायु –

जिले की जलवायु सामान्य रूप से शुष्क एवं स्वास्थ्यवर्धक है। जनवरी महीने के मध्य अधिकतम तापमान का क्रम 46° सै. रहता है जबकि मध्य दैनिक न्यूनतम तापमान का क्रम 4° सै. रहता है। मार्च के महीने से तापमान क्रमशः बढ़ता जाता है सामान्यतः मई उष्णतम महीना होता है जबकि माध्य दैनिक अधिकतम तापमान का क्रम 40° सै. रहता है। दिनों में पृथक रूप से दिन का तापमान अधिक से अधिक 46° सै. तक जा सकता है। नवम्बर मध्य से जनवरी तक मौसम ठंडा रहता है। मानसून में, जो कि जून के तृतीय सप्ताह से प्रारम्भ होकर सितम्बर माह के मध्य तक चलता है, वातावरण आर्द्र रहता है।

वर्षा

जिले में गत दस वर्षों की औसत वर्षा 700 मीलीमीटर होती है किन्तु यह सामान्यतः दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पूर्व की ओर कम होती जाती है। कुल वार्षिक वर्षा की लगभग 93 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के महीने में होती है इनमें से जुलाई व अगस्त भारी वर्षा होती है। जनवरी एवं फरवरी माह में

भी यदा-कदा वर्षा होती है। वर्तमान में माह जून 2023 में बिपरजॉय चक्रवात से हुई अतिवृष्टि के कारण जिले में 739 मीलीमीटर वर्षा हुई है।

नदियां, बाँध, तालाब

नदियाँ— बनास, खारी, गोमती, कोठारी और चन्द्रभागा जिले की प्रमुख नदियाँ हैं।

बाँध— राजसमन्द, नन्दसमन्द, कुंडली, मनोहरसागर, चिकलवास, बाघेरी मुख्य हैं।

झीले व तालाब— जिले में कोई प्राकृतिक झील नहीं है।

2.4 आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति

प्रमुख फसलें

जिले में रबी की फसलें प्रमुख हैं तथा साथ में खरीफ एवं जायद की फसलें भी बोयी जाती हैं।

रबी — गेहूँ, जौ, सरसों, अलसी, मटर, जीरा, धनिया, मैथी आदि।

खरीफ — मक्का, मूंगफली, तिल, उड़द, मूंग, आदि।

प्रमुख उद्योग

यह जिला औद्योगिकरण की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में से है। रेल यातायात के मार्ग से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ नहीं होने के कारण यहाँ पर बड़े उद्योगों की स्थापना नहीं हो पा रही है। राजसमन्द जिले में यातायात का मार्ग मात्र नेशनल हाईवे है जिससे यहाँ पर सड़क यातायात से सम्बन्धित उद्योग धन्धे ही अधिक मात्रा में कार्यशील हैं। जिले में मार्बल खनन एवं परिसंस्करण उद्योग प्रमुख हैं वहीं जे.के. टायर, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एवं मिराज ग्रुप की इकाईयां प्रमुख हैं।

संचार एवं यातायात :-

राजसमन्द जिला मुख्यालय रेल से जुड़ा हुआ है। जिले में से रेल लाईनों की लम्बाई लगभग 100 कि.मी. है।

जिले में वायुयान सेवा उपलब्ध नहीं है हालांकि जे.के. हवाई पट्टी एवं गुंजोल हेलीपेड अवश्य है।

जिले में से राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 (नया नं० 58) गुजरता है जो कि भीम, देवगढ़, राजसमन्द, नाथद्वारा आदि स्थानों से होता हुआ दिल्ली से मुम्बई को जाता है। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 156 कि.मी. है।

जनसंख्या :- 2011 की जनगणना के अनुसार राजसमन्द जिले की जनसंख्या के आंकड़े निम्नानुसार हैं।

क्र. सं.	उपखण्ड	नगरीय		ग्रामीण		कुल	साक्षरता			साक्षरता प्रतिशत
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री		पुरुष	स्त्री	योग	
1	राजसमन्द	35033	32765	84777	82565	235140	84244	55292	139536	
2	रेलमगरा	0	0	66260	65540	131800	43435	24964	68399	
3	कुंभलगढ़	0	0	70366	73865	144231	39829	23237	63066	
4	आमेट	8782	8553	51080	50534	118949	37455	22946	60101	
5	भीम	0	0	86365	84658	171023	60383	34449	94832	
6	देवगढ़	8899	8705	46323	46796	110723	34922	21298	56220	
7	नाथद्वारा	21695	20321	101759	100956	244731	83066	53619	136685	

योग	74409	70344	506930	504914	1156597	383334	235805	619139
-----	-------	-------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

2.5 सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां

यहां वर्षों से कई स्थानीय मेले लगते रहते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण गणगौर का मेला, प्रताप जयन्ति का मेला, पशुमेला राजसमन्द, आमेट व देवगढ़ में लगते हैं इसके अतिरिक्त अन्य कई छोटे-छोटे मेले सभी तहसीलों में लगते रहते हैं।

2.6 ऐतिहासिक एवं धार्मिक केन्द्र

राजसमन्द जिले में जिला मुख्यालय पर ऐतिहासिक नौ चौकी की पाल, नाथद्वारा तहसील में हल्दीघाटी की वीर भूमि, देलवाड़ा के जैन मंदिर, रकमगढ़ की छापर एवं कुंभलगढ़ तहसील में कुंभलगढ़ दुर्ग विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है।

राजसमन्द से 17 किलोमीटर दक्षिण दिशा में वैष्णव सम्प्रदाय का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। जहां प्रतिदिन लगभग 5000 दर्शनार्थी दर्शनार्थ आते हैं। दिपावली त्योहार पर नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन हेतु लगभग 50000 दर्शनार्थी आते हैं।

राजसमन्द से 40 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी दिशा में श्री चारभुजा जी का मंदिर स्थित है। जहां जलझुलनी एकादशी का भव्य मेला आयोजित होता है जिसमें लगभग 50000 दर्शनार्थी दर्शन हेतु भाग लेते हैं।

राजसमन्द झील के किनारे प्रभु द्वारिकाधीश का भव्य मंदिर है जो वल्लभ सम्प्रदाय की द्वितीय प्रमुख पीठ है।

2.6 जिला प्रशासन की सूची

Rajsamand District Administration Contact List						
S.No.	Department	Name	Designation	Office	Home	Mobile
1	DM/ADM	Mr. Arun Kumar Hasija, IAS	District Collector & District Magistrate	220536	220537	9413320754
2		Mr. Naresh Bunkar, RAS	Additional District Collector & Additional District Magistrate	220220	220448	9460581403
3	SP/ASP	Mr. Hemant Kalal, IPS	District Superintendent Of Police	220536	221564	9660502966
4		Mr. Mahendra Pareek, RPS	Additional District Superintendent Of Police	220294	220293	7737205348
5		Mr. Rajat Bishnoi, RPS	Additional District Superintendent Of Police (SIUCAW)	299069		7877317773
6	Zila Parishad	Mr. Brijmohan Bairwa, RAS	Chief Executive Officer	220568	220534	avnl
7	Forest	Mr. Ramanand Bhakar	Deputy Conservator of Forest	220096	222415	7427068341
8	Nathdwara Temple Board	Mr. Jitendra Kumar Pandey	Chief Executive Officer			7357534172

SDO						
1	Revenue	Mr. Brijesh Gupta	SDM, Rajsamand	220103		9649600154
2		Mrs. Raksha Pareek	SDM, Nathdwara	231855		9782221743
3		Mr. Govind Singh	SDM, Amet			9983581700
4		Ms. Mokham singh	SDM, Devgarh	253061		9950540470
5		Ms. Sakshi Puri	SDM, Kumbhalgarh			7357265598
6		Mr. Vikas Sharma	SDM, Bhim	250229		7665979804
7		Bindu Bala Ji Rajawat	SDM, Railmagra			9460722763 7976627453
8		Vacant	Assistant Collector, Nathdwara			

Tehsildar						
S.No.	Department	Name	Designation	Office	Home	Mobile
1	Revenue	Mr. Paras Rana	Tehsildar, Amet 2908	250048		9460290864
2		Mr. Manoj kumar Gang	Tehsildar, Bhim 02951	250239		9413080323 8949245100
3		Mr. Sajjanram	Tehsildar, Devgarh 02904	252025		9571904749
4		Mr. Parvat Singh	Tehsildar, Kumbhalgarh 02954	242235		9414702233
5		Mr. Hastimal Mahatma	Tehsildar, Nathdwara	233092		9460207781
6		Mr. Kalu singh ji	Tehsildar, Railmagra	267228		9928246401
7		Mr. Pushpendra kitawat	Tehsildar, Rajsamand	272601		9001234009
8		Mr. Tolaram	Tehsildar, Charbhujia 02954	248253		9460032061
9		Mr. Suresh Nahar	Tehsildar, Khamnor 02953	285830		9414759871
10		Mr. Hemant	Tehsildar, Delwara			9413812401
11		Mr. Sundar Katara	Tehsildar, Kunwariya	272601		9783378172
12		Mr Paras Bunkar	Tehsildar, Sardargarh			9413026769

BDO						
S.No.	Department	Name	Designation	Office	Home	Mobile
1	Panchayati Raj	Mr. Gulab Singh Gurjar	BDO, Amet	250048		8949775053
2		Mr. Krishan Murari Chaliya	BDO, Bhim	250239		9414606729
3		Mr. Gulab Singh Gurjar Add. Charge	BDO, Deogarh	252025		8949775053
4		Mr. Mangilal Ji	BDO, Kumbhalgarh	242235		9116692255
5		Mr. Hanuweer Singh	BDO, Khamnore	233092		9660223653
6		Mr. Naveen Gaur	BDO, Delwara	267228		9029060671
7		Mr. Mamraj Meena	BDO, Railmagra	272601		9799528812
8		Mr. Bhawani Shankar Add. Charge	BDO, Rajsamand	248253		9413953906 9680030800

DLO						
S.No.	Department	Name	Designation	Office	Home	Mobile
1	Treasury	Mr. Vishal Agarwal	District Treasury Officer	220205	223944	7041456023
2	DIPR	Mr. Pravesh Pardeshi	District Information & Public Relations Officer (PRO)	221210		9468628406
3		Mrs. Kalpana Yadav	Additional District Information & Public Relations Officer (APRO)			9773070852
4	PHED	Mr. Ramavtar	Superintendent Engineer	222536		9413974980
5		Mr. Lokesh Saini	Executive Engineer, Rajsamand	223136		7300298601
6		Mr. Dharmraj	Executive Engineer, Nathdwara			7976562262
		Mr. Sandeep Jain	Ground Water			8619212995
7	AVVNL	Mr. B. S. Sharma	Superintending Engineer	220542	221546	
8		Mr. Satyendra Pal Singh	Executive Engineer, Amet			9413391829
9		Mr. M.K. Raigar	Executive Engineer, Kankroli	220543		9413391828
10		Mr. S. N. Sanchora	Executive Engineer, Nathdwara			9413391830
11	Mines & Geology	Mr.	Superintending Engineer			
12		Mr. Jinesh Hummad	Mining Engineer I / D.M.F.T			9414856447
13		Mr. Lalit Bachhra	Mining Engineer II	220190		9829555562
14	PWD	Mr. R.L. Mehta	Superintending Engineer	222400	223536	9660877709
15		Mr. Hiralal Salvi	Executive Engineer, Rajsamand			9829315798
16		Mr. Bhanu Mathur	Executive Engineer, Nathdwara	230403		9414353408
		Mr. Lakhan Ji Meena	ExEn, Bageri			9414753507
17	Nagar Parishad	Mr.	Commissioner	220034		
18		Mr. Tarun Baheti	Executive Engineer			9610120623
19		Mr. Nandlal Suthar	Assistant Engineer			7014046778
20	Transport	Mr. Raghav	District Transport	220652		9828504693

		Sharma	Officer			
21	Industries	Mr. Bhanu Pratap Singh Ranawat	General Manager	221382	221380	8619557403
22		Mr. Radhakishan Gupta	Sr. Manager, RIICO			9414041445
23	Medical & Health	Dr. Hemant Bindal	CMHO	221716	221718	9829487992
24		Dr. Narendra Yadav	Dy Cm&Ho (FW)			7014480599
25		Dr. Ramesh Rajak	PMO, Distt. Hospital, Rajsamand	220033	222920	9414354096
26		Dr. Anil Shah	PMO, Distt. Hospital, Nathdwara			9414343874
27		Dr. Suresh Meena	Rcho Rajsamand			9414681911
28	ICDS	Mr. Kartik Add. Charge	Deputy Director	221728		7877442633
29		Mr. Pramod Pareek	CDPO, Amet			6309432643
31	Women Empowerment	Mrs. Rashmi Kaushik	Assistant Director			9983987188
32	Ayurveda	Dr. Ramesh Chandra Meena	Joint Director			9413019686
33	Tourism	Mrs. Shikha Saxena	Deputy Director, Udaipur			9413955015
34	Education	Mr. Rameshwar ji	CDEO			9252133174
35		Mr. Bihari Lal	DEO(Secondary)	230622		9982278697
36		Mr. Girija Shankar	DEO(Elementary)	231547		9413764501
37		Mr. Shiv Kumar Vyas	ADEO (Secondary)	222520		9001634989
38		Mr. Ghanshyam Gaur	ADPC, Samsa			9414292945
39	Agriculture	Mr. Bhupendra Singh Rathore	Joint Director (Extension)	230069	230841	9414660448
40		Mr. Santosh Duriya	Assistant Director (Extension)			9414660447
41		Mr. Kalp Verma	Deputy Director (Horticulture)	230080		6375770081
42	Statistics	Mr. Plyush Bhandari	Deputy Director	221306		9460003879
43	Social Justice	Mr. Deependra Singh	Deputy Director	221169		9929989888
44	Employment	Mr. Raju Singh	District Employment Officer (Additional Charge)	222522		9694347734
45	Watershed	Mr. Badri Lal Jat	Superintendent Engineer	223414		8559851129
46	DSO	Mr. Vijay Singh	District Supply Officer	220633		8890932670

47	Animal Husbandry	Mr. Shakti Singh	Joint Director	220600		9460804141
48	Excise	Mr. Lokesh Joshi	District Excise Officer	221650		9530078868
49	Water Resources	Mr. Man Singh Jorwal	Executive Engineer	230002	230009	9718265066
50		---	Executive Engineer(Bagheri Naka)			---
51	Cooperative	Mr. Vinod Kothari	Deputy Registrar	220078		9001302150
52	Labour	Mr. Kuldeep Singh	Labour Welfare Officer	222522		7891451333
53	Minority	Khushbu Ji Sharma	Minority Welfare Officer	220260		8764327343
54	CPO	Dr. Sanjay Sharma	Chief Planning Officer	221381		8741910009
55	BSNL	Mr. Neeraj Mathur	Deputy Regional Engineer	221134		9414001448
56	Scout	Mr.	C.O.			
57	RSRTC	Mr. Purendra Sharma	Depot Manager, Roadways	222411		9549653528 9462204051
58	Rajivika	Mrs. Suman Ajmera	DPM Rajivika& ACEO Zila Parishad	220632		9929815174
59	LDM	Mr. Premshankar Jeenagar	District Lead Bank Officer	220396		9413398052
60	SGST	Mr. Naina Ram Prajapati	Deputy Commissioner	220194		9549845662
61	DOITC	Mr. Rajendra Nayak	Joint Director	224750		9829317413
		Mr.	Dy. Director			
62	Sports	Mr. Dharamdev Singh Add. Charge	District Sports Officer			9414156250
63	Nabard	Mr. Ashish Jain	DDM	222725		7851866562
64	NIC	Mr. Milind Sharma	DIO, NIC	221838		9414062188
65	Pollution	Mr. Ashok Jelia	Regional Officer			7891900099
66	Ground Water	Mr. Sandeep Jain	Ground Water Scientist			9252738105
67	Dairy	Smt. Vimlesh	MD, Dairy			9001097959
68	RSLDC	Mr. Praveen Choudhary	District Skill Consultant			9587682013 dscrajsaman d@rajasthan. gov.in
69	District Jail	Mr. Hemant	Jailer			8209151462

JUDICIARY						
S. No	HEAD QUARTER	NAME OF JUDICIAL OFFICER	S.T.D CODE	OFFICE	RESIDENCE	MOBILE
1	RAJSAMAND	SHRI RAGHAVENDRA KACHAWAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, RAJSAMAND	02952	220165	220164	80033-95879 98280-20728
2		SMT. PURNIMA GAUR JUDGE, POCSO COURT, RAJSAMAND	02952	223165	224333	94147-70435 81077-95009
3		SHRI ASHWANI KUMAR YADAV (Add Charge) JUDGE, FAMILY COURT, RAJSAMAND	02952	221165	223164	94139-08689
4		SHRI ASHWANI KUMAR YADAV JUDGE, M.A.C.T. RAJSAMAND	02952	224442	224588	94139-08689
5		SMT. ABHILASHA SHARMA SPECIAL JUDGE SC/ST COURT, RAJSAMAND	02952	224165	--	94615-32271
6		SHRI SUNIL KUMAR OJHA ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, RAJSAMAND	02952	225065	222424	94608-62629
7		SHRI SANTOSH AGRAWAL SECRETARY, DISTRICT LEGAL SERVICE AUTHORITY, RAJSAMAND	02952	221000	297441	94143-59012 86194-53883
8		SMT. MAMTA SAINI SR. CIVIL JUDGE & CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE,	02952	220576	220575	80033-95880 96805-52797

		RAJSAMAND				
9		SMT. MINAKSHI AMIT CHOUDHARY SR. CIVIL JUDGE & ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, RAJSAMAND	02952	220488	220588	97607- 88405
10		SMT. MINAKSHI AMIT CHOUDHARY (Add Charge) PRINCIPAL MAGISTRATE JJB COURT, RAJSAMAND	02952	294686	294389	97607- 88405
11		SMT SAAKSHI SHARMA CIVIL JUDGE & JUDICIAL MAGISTRATE, RAJSAMAND	02952	224231	224232	90799- 40742
12		SMT SAAKSHI SHARMA (Add Charge) SPL.JUDICIAL MAGISTRATE(NI ACT CASES), RAJSAMAND	02952	221565	---	90799- 40742

भाग – III

3.1 नागरिक सुरक्षा सेवायें – नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत हवाई हमले नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (Revised Edition 2011) एवं नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त (Revised Edition 2003) के तहत हवाई हमला एवं अन्य आपदाओं के दौरान जान व माल की सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु, नागरिक सुरक्षा कार्यों को निम्नानुसार 12 सेवाओं में विभक्त किया गया है :-

क्र. सं.	सेवा का नाम	वर्तमान में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक
1.	मुख्यालय	32
2.	संचार सेवा	32
3.	वार्डन सेवा	32
4.	अग्निशमन सेवा	32
5.	प्रशिक्षण सेवा	32
6.	हताहत सेवा	32
7.	बचाव	32
8.	साल्वेज सेवा	32
9.	पूर्ति सेवा	32
10.	डिपो व परिवहन सेवा	32
11.	कल्याण सेवा	32
12.	शव निपटान सेवा	33
	योग	385

नॉट :- रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी 2009 के तहत नागरिक सुरक्षा की आपदा प्रबन्धन में अतिरिक्त भूमिका दिये जाने के उपरान्त, भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा उक्त 12 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के स्थान पर निम्नानुसार 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के गठन की सिफारिश की गयी है :-

1. मुख्यालय व संचार सेवा
2. वार्डन सेवा
3. हताहत सेवा
4. प्रशिक्षण सेवा
5. अग्निशमन सेवा
6. बचाव व साल्वेज सेवा
7. कल्याण सेवा

(इसके साथ ही उक्त 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अतिरिक्त जन-जागरुकता कार्यक्रम (Public Awareness) एवं सामुदायिक क्षमतावर्द्धन (Community Capacity Building) जैसे अतिरिक्त कार्य भी नागरिक सुरक्षा के माध्यम से संचालित किये जा सकेंगे।)

3.2 नागरिक सुरक्षा सेवा के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारियों का मनोनयन

– नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 5(I) में प्रदत्त शक्तियों नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा सेवाओं के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी मनोनित किये गये हैं :-

क्र.सं.	नाम सेवा	पद	दूरभाष नंबर	
			आफिस	घर
1.	मुख्यालय	अति० जिला कलक्टर राजसमंद		
2.	संचार सेवा	जिला सुचना अधिकारी, राजसमंद		
3.	वार्डन सेवा	जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद		
4.	अग्निशमन सेवा	आयुक्त नगर परिषद, राजसमंद		
5.	प्रशिक्षण सेवा	उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद		
6.	हताहत सेवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी		
7.	बचाव	जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद		
8.	साल्वेज सेवा	आयुक्त नगर परिषद, राजसमंद		
9.	पूर्ति सेवा	जिला रसद अधिकारी, राजसमंद		
10.	डिपो व परिवहन सेवा	जिला परिवहन अधिकारी, राजसमंद		
11.	कल्याण सेवा	संयुक्त निदेशक सामाजिक एवं न्याय विभाग, राजसमंद		
12.	शव निपटान सेवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी		

मुख्यालय सेवा (Headquarter Service) – मुख्यालय व संचार सेवा के अन्तर्गत नियंत्रक (जिला कलक्टर) द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रदत्त शक्तियों, अधिकारों व नियमों के आधार पर नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं के लिए सम्बन्धित सरकारी तन्त्र को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाकर आम जनता के मनोबल/जानमाल की क्षति को कम से कम करने के लिए कार्य विकेंद्रित कर नियन्त्रित किया जाता है।

4.1 नियंत्रक (Controller) – राज्य सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम (27) 1968 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को जिले में नागरिक सुरक्षा का “नियंत्रक” नियुक्त किया गया है। नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के कार्य निम्नानुसार हैं :-

- जिले की नागरिक सुरक्षा की योजना और उसके कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखना।
- नागरिक सुरक्षा कार्यों के तहत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक की भूमिका निभाना।
- विभिन्न उप-नियंत्रण केन्द्रों के बीच या निकटवर्ती क्षेत्रों से पारस्परिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- स्थिति की पर नियंत्रण हेतु समस्त सेवा प्रभारियों व संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देने एवं इसकी जानकारी उच्च-अधिकारियों को भेजने का कार्य।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंधन का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएं व आकड़ें तैयार रखवाना।
- बाहरी आक्रमण की स्थिति में हवाई हमले से होने वाले संभावित खतरे एवं उससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 के तहत हवाई हमले से पहले, दौरान व बाद में किये जाने वाले उपाय/कार्य।

4.2 मुख्यालय सेवा के कर्तव्य :- नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (पृष्ठ 97 से 111 तक) के अनुसार मुख्यालय सेवा के कर्तव्यों को निम्नानुसार तीन भागों में बाँटा गया है:-

(क) शान्तिकाल में कर्तव्य :-

- नागरिक सुरक्षा संबंधी योजना पूर्ण रूप से तैयार करना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के सभी उपकरण प्राप्त करना, सही रखना तथा उचित भण्डारण करना।
- नागरिक सुरक्षा की योजना के अनुसार नागरिकों का प्रशिक्षित करना, सेवाओं को तैयार करना, उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित करना।
- आवश्यक सेवाओं की आपातकालीन योजना बनाना।
- वाहनों की संख्या का आंकलन कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- वाहनों के ढाँचे में परिवर्तन आवश्यकतानुसार चाहिए तो उसका प्रबन्ध करना।
- आपातकालीन समय में डीजल,पेट्रोल ,ऑयल ग्रीस तथा स्पेयर पार्ट्स की माँग बढ़ जाती है। उनकी आपूर्ति हेतु योजना बनाना एवं नियन्त्रण में रखना।
- रोशनी पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश की आवश्यकता होने पर प्रकाश प्रतिबन्ध आदेश जी.पी.सी.डी. के पृष्ठ सं. 174 से 184 तक निर्दिष्ट है, को लागू कराना एवं उसका कड़ाई से पालन करना।
- हवाई हमलों के दौरान स्थानीय आर्मी के एक प्रतिनिधि को नियन्त्रण कक्ष में बैठाने की व्यवस्था कराना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति करना जी.पी.सी.डी में निर्दिष्टानुसार सेवा प्रभारियों को कार्य बाँटकर योजना बनाने में मदद लेना।

(ख) चेतावनी से पूर्व (प्रिकॉशनरी स्टेज) के कर्तव्य :-

- नागरिक सुरक्षा उपायों का पूर्वालोकन करना।
- जनसाधारण को नागरिक सुरक्षा प्रबन्धों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करना।
- जनता को अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित करना।
- नागरिक सुरक्षा जन आवश्यकता हेतु निर्धारित मकानों के अधिग्रहण करने की सूचना देकर कार्यवाही करना।
- एडवाइजरी कमेटी (को-ओर्डिनेशन कमेटी)/नागरिक सुरक्षा सेवा प्रभारी अधिकारियों से विचार विमर्श कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा आवश्यक सेवाओं वाले भवनों/कार्यालयों को सुरक्षित करवाना।
- टेलीफोन विभाग को नागरिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टेलीफोन की माँग देना।

- शान्ति काल मे किए गए सभी प्रयासो को मूर्तरूप मे तैयार रखना ।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं से आवश्यक सहयोग हेतु बैठक करना ।
- नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखवाना ।
- आवश्यकता पड़ने पर पास वाले नागरिक सुरक्षा नगर से सहायता लेने की योजना बनाना ।
- निष्क्रमण योजना की पूर्ण तैयारी करना ।
- नागरिक सुरक्षा भण्डार की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य सरकार से उचित बजट प्राप्त करना ।
- समयानुसार रिपोर्ट भिजवाना ।

(क) युद्ध काल में कर्तव्य :-

- समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयासों को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाना ।
- सभी वांछित वाहन, मकान आदि का अधिग्रहण करना, सभी नागरिक सुरक्षा सेवाओं के आपसी तालमेल को देखना ।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ को वांछित सामान उपलब्ध कराते रहना एवं उनका भण्डारण करना ।
- पशु पक्षी आदि की सुरक्षा व्यवस्था निश्चित कराना ।
- सभी नागरिक सुरक्षा उपायो का समय-समय पर निरीक्षण करते रहना ।
- डीजल पेट्रोल ऑयल वाहन के पुर्जे आदि का भण्डारण सुरक्षित रखना ।
- प्रकाश व्यवस्था की जनता में जानकारी देते हुए उसकी समय व्यवस्था को कडाई से लागे कराना ।
- जन कार्यो हेतु वांछित भवन, कार्यालयो की समुचित सुरक्षा कराना ।
- शैडो कन्ट्रोल रूम में आवश्यक साधनो की उचित व्यवस्था करना ।
- समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना एवं राज्य सरकार को भेजना ।


5. संचार सेवा (Communication Service)

5.1 चेतावनी प्रणाली :- नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली को दो भागों में विभक्त किया गया है।

5.2 नियंत्रण कक्ष – नागरिक सुरक्षा की विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्लापों का नियंत्रण करने के लिए, नागरिक सुरक्षा सेवाओं का आपसी सांमजस्य बनाये रखने के लिए तथा युद्ध संबंधी सूचनाएँ एकत्रित कर उच्चाधिकारियों को सूचित करने के लिए, नियन्त्रक (जिला कलक्टर) एवं अन्य नागरिक सुरक्षा सेवाओं के ऑफिसर कमान्डिंग के साथ बैठ कर युद्ध/आपदा की स्थिति की समीक्षा और उनको कार्य रूप देने के लिए इत्यादि हेतु चिन्हित स्थान में “नियंत्रण कक्ष” स्थापित किया जाता है, जहां से समस्त नागरिक सुरक्षा गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम के आधार पर जिले में नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रण केन्द्रों की स्थापन की जाती है।

5.3 चेतावनी प्रणाली – नागरिक सुरक्षा प्रयासों को सही रूप से क्रियान्वित करने के लिए चेतावनी प्रणाली का सुव्यवस्थित होना, खतरे के उद्गम स्थल में चेतावनी की प्राप्ति तथा नियंत्रण कक्ष से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों एवं जनता में आवश्यक चेतावनी का प्रसारण करना, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अभाव में समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयास एवं प्रयत्न चाहे वे कितने ही सुदृढ, समुचित एवं सुव्यवस्थित क्यों न हो, निष्प्रभावी हो जायेंगे। चेतावनी प्रणाली प्रक्रिया के माध्यम से बिना समय नष्ट किये सूचना को संबधित सेवाओं, स्वयंसेवकों तथा आमजन तक पहुंचाया जाता है। चेतावनी प्रणाली को दो प्रकार की होती हैं :-


5.3(क) बाह्य चेतावनी प्रणाली (External Warning System):- चेतावनी प्रणाली द्वारा बिना समय नष्ट किये जैसे ही शत्रु के बम वर्षक विमान हमारी वायु सेनाओं के राडारों पर नजर आते हैं, उनकी सूचना वायु सेना के नियन्त्रण कक्ष “एयर डिफेन्स डाइरेक्टिव सेन्टर, (ADDC)” से नागरिक सुरक्षा “रीजनल सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर” (RCDCC)” एवं आगे “सैकण्डरी सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर, (SCDCC)” को दी जाती है। राजसमन्द जिला अभी तक उक्त प्रणाली से नहीं जुड़ा है। इसके लिए राज्य स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।



5.3(ख) आन्तरिक चेतावनी प्रणाली – बाह्य चेतावनी प्रणाली से प्राप्त सूचनाएँ स्थानीय आमजन तक देने की विधि के लिए समस्त जिला नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केन्द्रों पर ARP यंत्र (Air Raid Precaution Instrument) किये जाते हैं। इस प्रणाली से दो प्रकार से सूचनाएँ प्रसारित की जाती है।

- (i) टेलीफोन
- (ii) विद्युत सायरन

Internal Communication Schema



Message to Civil Authorities as per Emergency Communication Plan

- District Collector
- Police authorities
- Fire services authorities
- Emergency services authorities
- Hospital authorities etc and others

5.4 नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली के साधन :- समय-समय पर भारत सरकार की संचार नीति राज्य सरकार को प्रेषित कर नागरिक सुरक्षा में संचार साधन उपलब्ध कराये जाते हैं। राज्य सरकार नीति अनुरूप संचार साधनों हेतु संचार निगम लिमिटेड में उपलब्ध नवीन तकनीक के साधनों की जानकारी एवं साधनों की उपलब्धता तथा उन पर होने वाले व्यय को मध्य नजर रखते हुए, अपने नागरिक सुरक्षा नगरों में विभिन्न साधन उपलब्ध कराती है, जो निम्नानुसार है:-

टेलीफोन :-

- बाहरी संचार व्यवस्था के तहत वायु सेना नियंत्रण कक्ष को रीजनल सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर तक एक टेलीफोन नॉन एक्सचैन्ज लाईन से जोडा जाता है।
- आर.सी.डी.सी.सी से टी.सी.डी.सी.सी. तक व आगे एस.सी.डी.सी.सी. तक चेतावनी देने हेतु टेलीफोन की एन.ई. लाईन द्वारा विशेष सुविधा 'कान्फ्रेस कॉल फेसेलिटी' प्रदत्त की जाती है।

- टेलीफोन द्वारा ही शहर में विशेष अधिकारियों/वार्डन पोस्टों, कार्यालयों को एक साथ चेतावनी सूचना देने की सुविधा "साइमलटेनियस ब्रॉड कास्ट फैसिलिटी" द्वारा प्रदत्त कराई जाती है।

वायरलैस :- नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने राज्यों में नागरिक सुरक्षा नेट पर वायरलैस उपलब्ध कराये हैं ताकि टेलीफोन लाईन में खराबी आने पर वायरलैस से सूचना दी जा सके और निर्धारित कार्य समय पर पूर्ण हो, सुनिश्चित किया जा सके।

मोटरसाईकिल :- आउट डोर संदेश स्थानीय स्तर पर भिजवाने हेतु उपरोक्त दोनों व्यवस्थायें ठप्प होने की स्थिति में नियंत्रण कक्ष से मोटर साईकिल द्वारा संदेश भेजे जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आपात समय में परिवहन विभाग से आवश्यकतानुसार वाहन की मांग की जाती है।

5.5 **चेतावनी प्रणाली के संदेश** – नागरिक सुरक्षा में समय की बचत के लिए एवं संदेश की एक रूपता बनाये रखने के लिए संचार साधनों पर सीमित शब्दों के संदेश प्रसारित किये जाते हैं। ये निम्नानुसार है :-

हवाई हमला चेतावनी संदेश	कार्यवाही	किसके लिए होगा
"पीला"	तैयारी संदेश	केवल संबंधित अधिकारियों को दिया जाना है।
"लाल"	खतरे का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
"हरा"	खतरा टलने का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
"सफेद"	हवाई हमला चेतावनी संदेशों को निरस्त करना	जिन्हें पीला संदेश की सूचना दी गयी उनको दी जानी है

6. वार्डन सेवा (Warden Service)

6.1 वार्डन सेवा संगठन – वार्डन सेवा नागरिक सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों में से योग्यता/वरिष्ठता के आधार पर उसी क्षेत्र के निवासी जो शारीरिक व मानसिक रूप से फिट/स्वस्थ हो व जिनके विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में अपराधिक मामले दर्ज/विचाराधीन नहीं हों, को संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रावधानानुसार वार्डनों (अवैतनिक ऑनरेरी पदाधिकारी) का चयन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन में उपलब्ध स्वयंसेवकों में से ही वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर वार्डनों का चयन प्रथम 03 वर्ष या उसकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता पूर्ण होने (जो भी पहले हो) तक संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जाता है। उक्त वार्डनों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर, यदि नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा उचित समझे तो उनकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता का अगले 03 वर्ष के लिए नवीनीकरण करते हुए, उसे पुनः नागरिक सुरक्षा वार्डन नियुक्त कर सकता है। युद्ध/आपदा की स्थिति में नुकसान को कम से कम करने, स्थानीय लोगों को नागरिक सुरक्षा व आपदा प्रबन्धन कार्यों में जागरूक करने व उन्हें नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनने के लिए प्रेरित करने, उनका मनोबल बनाये रखने एवं क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा कार्यों को प्रभावी बनाये रखने इत्यादि को देखते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम एवं रिवेंपिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी के तहत भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार वार्डनों को मनोनयन किया जाता है :-

क्र.सं.	वार्डन पदनाम	जनसंख्या/अन्य आधार	
		नगरीय क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1.	मुख्य वार्डन	जिलास्तर पर 01	
2.	अतिरिक्त मुख्य वार्डन		
3.	उप मुख्य वार्डन	जिलास्तर पर 02 (01 उप मुख्य वार्डन शहरी क्षेत्र व 01 उप मुख्य वार्डन ग्रामीण क्षेत्र)	
4.	डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
5.	डिप्टी डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
6.	पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01
7.	डिप्टी पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01
8.	सेक्टर वार्डन	4000 जनसंख्या पर 02	प्रति ग्राम पंचायत 02
उक्त वार्डनों में से आवश्यकतानुसार प्रति 50000 की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध वार्डनों में से ही 01 घटना अधिकारी मनोनित किया जा सकेगा।			

6.2 **वार्डन के कर्तव्य** – वार्डन अपने क्षेत्र का परिचित, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। वार्डन के कर्तव्य व कार्यों के मध्येनजर सोच समझ कर प्रभावशाली व्यक्ति का चयन वार्डन के लिए किया जाता है। वार्डन अपने व्यक्तिगत के प्रभाव से स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करता है। वार्डन का कार्य क्षेत्र नियमानुसार है :-

हवाई हमले/आपदा से पहले काय	हवाई हमले/आपदा के दौरान के कार्य	हवाई हमले/आपदा के बाद कार्य
<p>वार्डन अपने क्षेत्र की दिन के समय के लिए एवं रात्रि के समय के लिए सम्पूर्ण जानकारी रखता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र के सभी परिवार जन की सम्पूर्ण जानकारी रखता है तथा एक हाउस होल्ड, रजिस्टर तैयार करता है।</p> <p>वार्डन आपदा के समय नागरिक सुरक्षा नागरिक सुरक्षा उपायो के लिए विभिन्न स्थानो की जानकारी रखते हुए उनको वार्डन डायरी में लिखकर रिकॉर्ड तैयार रखता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र के लिए नागरिक सुरक्षा सेवाओ में स्वयं सेवक प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्र के लोगो को प्रेरित करता है।</p> <p>वार्डन अपने अधीन गृह अग्निशमन दल के लिए स्वयं सेवको का चयन कर उनको नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित करता है, नामों की सूची बनाकर प्रशिक्षण अधिकारी को देता है।</p> <p>वार्डन आमजन को किसी भी आपदा से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा उपायो की जानकारी विस्तृत से समय-समय पर देता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र में प्रशासन की सहायता पहुंचने से पूर्व कार्य प्रारम्भ करने हेतु "सैल्फ हैल्प पार्टी" तैयार करता है।</p>	<p>वार्डन नियन्त्रण कक्ष से सूचना पर अपने क्षेत्र मे स्थित वार्डन पोस्ट पर अपनी उपस्थिति देता है।</p> <p>वार्डन अपने साज सामान से लैस होकर नागरिको को अपने क्षेत्र में सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह सहायको की मदद से देता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र में साइरन नही सुनाई दिये जाने की स्थिति में अन्य साधनो से तदनुसार जानकारी देने का काम करता है।</p> <p>घटना स्थल पर नियन्त्रण के दौरान कार्य कर रहे विभिन्न दलों को कार्य क्षेत्र की जानकारी देने का कार्य, अधिकारियों व आमजन के मध्य सभी उचित सम्पर्क रखने का कार्य करते हैं।</p>	<p>वार्डन हवाई हमले के तुरन्त बाद क्षेत्र का दौरा कर विस्तृत जानकारी लेता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र में उपलब्ध/कार्यरत नागरिक सुरक्षा की राहत सेवाओं/अन्य बचाव दलों की जानकारी लेता है।</p> <p>वार्डन घटना के बाद आमजन में फैले आतंक को रोकने व स्थानीय लोगों में आश्वासन व धैर्य बनाये रखता है।</p> <p>वार्डन अपने क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं में आई रुकावटों को यथा संभव शीघ्र चालू कराने कली कार्यवाही करता है।</p> <p>वार्डन निरंतर नियन्त्रण कक्ष के सम्पर्क में रहता है।</p>

7. अग्निशमन सेवा (Fire Service) – हवाई हमलों के दौरान अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का गठन किया गया है।

7.1 गृह अग्निशमन दल (House Fire Party) – आग लगने की स्थिति में आग को प्रारंभिक स्थिति में ही नियंत्रण किये जाने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए नागरिक सुरक्षा गृह अग्निशमन दलों का गठन किये जाने का प्रावधान है जिसमें प्रति 1000 जनसंख्या पर एक 04 सदस्यीय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के गृह अग्निशमन दल का गठन किया जावेगा, जो आग को बढ़ने से रोकने में सहायक होगा। ये दल उस क्षेत्र के नागरिक सुरक्षा वार्डन के अधीन कार्य करेंगे। इसके लिए उनको आवश्यकतानुसार अग्निशामक उपकरण उपलब्ध करवाये जावेंगे।

7.2 ट्रेलर पंप पार्टी – छोटी जगह पर अग्निशमन कार्य हेतु नागरिक सुरक्षा में प्रति 50,000 की जनसंख्या के आधार पर एक 09 सदस्यीय ट्रेलर पंप पार्टी का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा के 09 स्वयंसेवक सदस्य होते हैं – लीडर – 01, फायरमैन – 06, वाहन चालक – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि।

7.3 नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा – बड़ी आग पर नियन्त्रण के लिए जिले में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के साथ ही नगरीय निकाय की फायर-बिग्रेड कार्यरत हैं।

8. प्रशिक्षण सेवा (Training Service) – किसी भी प्रकार के कार्य योजना की सफलता क्रियात्मक रूप तभी ले सकती है जब उन योजनाओं पर कार्य करने वाले व्यक्ति विधिवत प्रशिक्षित/जानकारी प्राप्त किये हुए हों। नागरिक सुरक्षा कार्यों में कुछ कार्य तकनीकी आधार पर सम्पादित किये जाते हैं, जैसे अग्निशमन, बचाव कार्य, घटना स्थल पर सर्वेक्षण दल का कार्य, प्राथमिक चिकित्सा दल का कार्य, संचार इत्यादि। नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत जनता के हित में जनता के द्वारा होने वाले कार्य में आपसी समन्वय, अनुशासन एवं राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता होती है। नागरिक सुरक्षा में संबंधित क्षेत्र इच्छुक सेवा भावी एवं कुछ तकनीकी जानकार व्यक्तियों का चयन कर उन्हें नागरिक सुरक्षा का बुनियादी व सेवा प्रशिक्षण दिया जाता है।

नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य

- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिए आम जन में सही सेवाभावी व्यक्तियों का चयन करना।
- चयनित आम जन को शान्तिकाल एवं युद्ध के समय नागरिक सुरक्षा कार्यों का विस्तृत प्रशिक्षण देकर स्वयंसेवक चिन्हित करना।
- स्वयंसेवकों को उनके कर्तव्यों व जिम्मेदारियों की जानकारी देना।

- स्वयंसेवकों द्वारा आम जनता में अपेक्षित अनुशासन, संगठन की भावना उत्पन्न कराना ताकि नागरिक, नागरिक-सुरक्षा के लिए सदस्य के रूप में सामंजस्य से काम कर सकें।
- प्रशिक्षण कार्यो को भ्रान्ति काल में उपयोगी बनाना ताकि आमजन अच्छे नागरिक के साथ-साथ नागरिक सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक भी बन सकें।
- स्वयंसेवकों को कर्तव्य निभाने के लिए अभ्यास कराना, तकनीकी जानकारी देना एवं नागरिक सुरक्षा की प्रक्रिया समझाना।
- स्वयंसेवकों की सहायता से नागरिकों में जन-जन तक स्वयं की सुरक्षा की जानकारी फैलाना।

8.2 प्रशिक्षण की नीति

जिला/नागरिक सुरक्षा ईकाइ स्तर पर	राज्य स्तर पर	राष्ट्रीय स्तर पर
बुनियादी प्रशिक्षण सेवा प्रशिक्षण सयुक्त प्रशिक्षण	<ul style="list-style-type: none"> ● नागरिक सुरक्षा संस्थान, राज. जयपुर ● हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, राज. जयपुर 	<ul style="list-style-type: none"> ● राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय/राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर ● केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा, बैंगलोर ● राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM), दिल्ली

नॉट :- इसके साथ ही पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रतिपादित होना आवश्यक है ताकि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक पहले प्राप्त प्रशिक्षण को भूले नहीं व नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन संबंधित कार्यो का अपडेशन हो सके।

9. हताहत (चिकित्सा) सेवा (Casualty Service) – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में जनता का मनोबल बनाये रखने के लिए हताहतों को तुरन्त चिकित्सा सहायता के तहत प्राथमिक उपचार देना, उन्हें नजदीकी अस्पताल भिजवाना, उनके परिवार को जानकारी देना व हताहतों का मनोबल बनाये रखना अतिआवश्यक है। इसके नागरिक सुरक्षा संगठन में चिकित्सा सेवा (हताहत सेवा) का गठन किया गया है। नागरिक सुरक्षा हताहत सेवा निम्नानुसार कार्य करती है :-

9.1 स्थायी प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट – नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रथम दो लाख के लिए 20,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से व दो लाख से अधिक आबादी की स्थिति में प्रति 40,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से स्थायी प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट बनायी जावेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :- डॉक्टर – 01, नर्स – 01, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की 04 सदस्यीय प्राथमिक उपचार दल – 03, लिपिक – 01, सफाईकर्मी – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि होगा।

9.2 प्राथमिक चिकित्सा दल (नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक) – नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार तीन दल प्रति स्थायी फस्ट एड पोस्ट के आधार पर (एक दल प्रति शिफ्ट हेतु) गठन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा प्राथमिक उपचार दल के सदस्य – लीडर – 01, प्राथमिक उपचार कर्ता – 03, वाहन चालक – 01 मय एम्बूलेंस के गठित किया जावेगा।

9.3 मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट :- नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 06 लाख की जनसंख्या के आधार/आवश्यकतानुसार 01 मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट गठित की जा सकेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :- डॉक्टर – 01, नर्स – 01, प्राथमिक उपचारकर्ता – 01, वाहन चालक – 01 एवं सफाईकर्मी – 01 इत्यादि होगा।

9.4 अस्पताल सेवायें :-आपातकाल में घायलों को सही समय पर उच्चस्तरीय इलाज देना आवश्यक हो जाता है। नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 750 नागरिक सुरक्षा व्यक्ति के लिए एक बिस्तर के अनुसार योजना बनायी जावेगी।

10. बचाव सेवा (Rescue Service) – मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं व हवाई हमलों की स्थिति में क्षतिग्रस्त/ध्वस्त हुए भवनों में फंसे/मलबे में दबे हताहतों को खोज व बचाव के तरीकों से बाहर निकालने तथा उनमें से कीमती सामान को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर रखने इत्यादि कार्य किया जाता है।

10.1 **बचाव कार्य** – हवाई हमले एवं अन्य आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त भवनों में बचाव कार्य उक्त भवनों तकनीकी (भवनों की बनावट से सम्बन्धित) पर निर्भर है। उक्त भवनों से बचाव कार्यों के दौरान राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास निर्माण से संबंधित इंजिनियर, लेबर एवं भारी मशीनरी की सेवायें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अतः नागरिक सुरक्षा बचाव सेवा के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिले में उपलब्ध अधीक्षण/अधिशोषी अभियंता को इस सेवा को प्रभारी बनाया जाना चाहिए। नागरिक सुरक्षा बचाव दल के स्वयंसेवक सदस्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देख रेख में प्रभावी बचाव कार्यों को करने में सक्षम हैं।

10.2 **बचाव दल का गठन** – जिले में बाहरी बचाव दलों के घटना स्थल पर पहुंचने से पूर्व स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले खोज व बचाव कार्यों के लिए, प्रति 50,000 की जनसंख्या के आधार पर आपदा व बचाव कार्यों में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के एक 08 सदस्यीय बचाव दल का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे – लीडर –01, बचाव कर्ता –06, वाहन चालक – 01 मय वाहन इत्यादि।

11. निस्तारण सेवा (Salvage Service) – नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य जान माल के नुकसान को कम से कम होने देना है। इसमें सफलता तभी मिलेगी जब दुर्घटना के बाद लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित रख लिया जावे।

हवाई हमले/आपदा की स्थिति में, सूचना के बाद कई परिवार अपने घरों को बन्द कर अन्यत्र चले जाते हैं। हवाई हमले/आपदाओं की स्थिति में से कई मकान ध्वस्त हो जाते हैं व मकानों में रहने वाले घायल हो जाते हैं। घायलों को अस्पताल भेज दिये जाते हैं। कई मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना क्षेत्र के परिवारों के रिश्तेदार समय की नाजुकता के कारण दुर्घटना स्थल पर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में मकान बन्द व सूने रहते हैं। उन्हें बिना सुरक्षा के छोड़ने से असामाजिक तत्वों को अपना कार्य करने का मौका मिल सकता है। नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा आपदा के समय इस समस्या से निपटने के लिए पूर्व में ही प्रबन्धन करने के लिए, निस्तारण सेवा का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य नामांकित सदस्यों की सहायता से लावारिस सामान को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाना है।

11.1 **निस्तारण सेवा के कर्तव्य** :- हवाई हमले तथा आपदा/विपदा एवं घटना/दुर्घटना की स्थिति में क्षतिग्रस्त भवनों में दबे/लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के

दल द्वारा जिला प्रशासन की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जावेगा। निस्तारण सेवा के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं :-

- सूने, घ्वस्त, क्षतिग्रस्त मकान जिनके मालिक मौजूद नहीं हैं, उन मकानों में से कीमती, उपयोगी वस्तुओं को सुरक्षित निकालना।
- अभिरक्षित वस्तुओं का उचित सुरक्षित भण्डारण करना।
- प्राप्त की गई वस्तुओं का स्पष्ट लेखा जोखा रखना।
- मालिक/वारिस की उचित पहचान के बाद नियमानुसार वापिस सामान को सुपुर्द करना।

नोट :- घटना स्थल से प्राप्त कीमती सामान को जिला प्रशासन द्वारा राजकीय कोष या अन्यत्र अभिरक्षा में रखे जाने की समुचित व्यवस्था की जावेगी।

12. **पूर्ति सेवा (Supply Service)** – नागरिक सुरक्षा संगठन की क्रियाएँ, प्रक्रियाएँ आपातकालीन समय में कई दिशाओं में भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए होती हैं, जैसे –आगजनी, मलबे में फंसे व्यक्तियों को निकालना, घायलों का प्राथमिक उपचार करना, हवाई हमले की सूचनाएँ देना, बेघर लोगों को राहत प्रदान करना आदि। इन कार्यों के लिए विभिन्न तकनीकी/साधारण सामान आदि की आवश्यकता होती है, जिनके प्रबन्धन की योजना पहले से ही तैयार करना आवश्यक है। इसके साथ ही बेघर लोगों के लिए स्थापित आश्रय स्थलों पर खाने-पीने के सामान की भी पूर्ति करना होता है। इसके लिए जिले में जिला रसद अधिकारी को नागरिक सुरक्षा पूर्ति सेवा का प्रभारी बनाया जाना उचित होगा।

13. डिपो एवं परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)

13.1 **डिपो सेवा** – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में घटना स्थल पर नियंत्रण व तत्काल नागरिक सुरक्षा की सेवाओं को भेजे जाने के लिए उक्त सेवाओं को मय आवश्यक उपकरण व वाहनों के किसी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित रखना, जहाँ से नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार घटना स्थलों पर भिजवाना होता है, इसके लिए प्रति 06 लाख की जनसंख्या/प्रति उपखण्ड स्तर पर 01 नागरिक सुरक्षा डिपो बनाया जावेगा। डिपो में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक तीन पारियों में उपलब्ध रहते हैं, जहाँ उन्हें आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वयंसेवकों के लिए सेवा वार उपकरण रखने की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाती है। स्वयंसेवकों के मनोरंजन के लिए कुछ साधनों की व्यवस्था कराई जाती है। साथ ही स्वयंसेवकों को घटना स्थल तक लाने ने जाने के लिए समुचित वाहन डिपो में रहते हैं। डिपो के स्थान का चयन करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि दुश्मन राष्ट्र के हमले के लिए टारगेट, आपदा से प्रभावित क्षेत्र, महत्वपूर्ण संस्थाओं के आस-पास डिपो स्थापित नहीं किया जावे।

डिपो में उपलब्ध सेवायें – घटना पर तुरन्त नियन्त्रण करने हेतु विभिन्न कार्यों के दक्ष स्वयं सेवक सेवा वार डिपो में तीन पारी में उपलब्ध रहते हैं। डिपो में रहने वाली सेवाएं निम्नानुसार हैं।

- प्राथमिक चिकित्सा दल मय वाहन
- बचाव दल मय वाहन
- अग्निशमन सेवा
- मोबाइल कैन्टीन सेवा
- मृतक निवारण दल मय वाहन
- साल्वेज टीम मय वाहन
- मोबाइल फर्स्ट एड पोस्ट मय वाहन
- स्थाई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के वाहन मय वाहन चालक
- घटना नियन्त्रण अधिकारी
- डिपो स्टॉफ
- यातायात सेवा का स्टॉफ
- सभी सेवाओं के लिए मैसिंग स्टॉफ

13.2 ट्रान्सपोर्ट सेवा – नागरिक सुरक्षा सेवाओं की कार्य कुशलता एवं गति युद्ध/आपदा के दौरान स्वयंसेवकों को तुरन्त घटना स्थल पर जनता की सहायता के लिए पहुंचने पर निर्भर करती है। यह कार्य उचित यातायात साधनों से संभव है। नागरिक सुरक्षा में ट्रान्सपोर्ट सेवा का गठन नागरिक सुरक्षा सेवाओं को समय पर वांछित भरोसेमन्द वाहन उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। ट्रान्सपोर्ट सेवा के मुख्य कार्य :-

- नागरिक सुरक्षा के कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार के वांछित वाहन उपलब्ध कराना।
- सभी उपलब्ध वाहनों को दुरुस्त रखना।
- सभी वाहनों में ऑयल, डीजल की नियन्त्रित व्यवस्था रखना।
- सभी वाहनों का नियमानुसार बीमा करवाना।
- वाहनों की मरम्मत का कार्य सही समय पर करवाना।
- वाहनों के आवगमन का रिकॉर्ड रखना।
- सेवाओं की आवश्यकतानुसार यदि वांछित वाहन उपलब्ध नहीं है तो नियमानुसार ढाँचे में अस्थाई परिवर्तन करना।
- इस प्रकार के वाहन प्राप्त करना जिनके मालिक अधिक से अधिक राष्ट्र सेवा हेतु योगदान देने को तत्पर हैं।

14. मृतक निपटान सेवा (Corpse Disposal Service) – हवाई हमलों/आपदाओं में कभी-कभी दुर्घटना स्थल पर अधिक संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। घटना के समय व्यक्ति अपने बचाव के लिए चिन्तित रहते हैं व मृतकों को छोड़ अन्यत्र चले जाते हैं। जिला प्रशासन व नागरिक सुरक्षा सेवाओं के सामने मृतकों के मिलने के दो कारण होते हैं—

- सीधे दुर्घटना की चपेट में सम्पूर्ण क्षेत्र का आ जाना।
- घटना के बाद व्यक्तियों का अपने बचाव के लिए दुर्घटना स्थल से सब कुछ छोड़कर चले जाना। इससे दुर्घटना स्थल के आसपास बच्चे, अपाहिज व्यक्ति, अशक्त वृद्ध रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में जनता का मनोबल कम होने की पूर्ण संभावनायें रहती हैं और महामारी फैलने का अन्देशा रहता है।

मृतकों की पहचान एक बड़ी समस्या है, जिसके मुख्य कारण शरीर का विकृत होना, शरीर जल जाना, कुचल जाना, मलवे में दबा होना, बन्द मकान में अधिक समय तक रह जाना, मृतक का अन्य क्षेत्र से आकर वहां रहना आदि। ऐसे में सभी मृतकों की पहचान न होने के बाद भी अपने प्रयासों से धर्म निर्धारण कर धर्मानुसार अन्तिम संस्कार करना इस सेवा का मुख्य कार्य है। उक्त स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन में घटना स्थल पर मृतकों के निवारण हेतु “मृतक निवारण सेवा” गठित की गई है। इस सेवा के कर्तव्य निम्नानुसार है :-

- घटना स्थल पर पूछताछ कर मृतकों की तत्काल पहचान करने का प्रयास करना।
- मृतकों का पंचनामा तैयार करवाना।
- प्रत्येक मृतक शरीर से मूल्यवान/पहचान के लिए आवश्यक वस्तु निकालकर उनका रिकॉर्ड रखते हुए संभाल कर रखना।
- प्रत्येक मृतक जिनके वारिस नहीं मिले की फोटो रिकॉर्ड में रखना।
- मृतक की पहचान के लिए निम्नानुसार बिन्दुसार रिपोर्ट रखना :-

- (अ) शव किस स्थान से प्राप्त हुआ।
- (ब) शव के वस्त्र का विवरण।
- (स) मृतक के लिंग, आयु, शारीरिक पहचान के चिन्ह, मृतक का रंग, आंखे का रंग, ऊंचाई आदि का विवरण।
- (य) मृतक की ऊंगलियों की छाप का रिकॉर्ड रखना।
- (र) जिन मृतकों की पहचान नहीं की जा सकती है, के धर्म निर्धारण का विवरण।

15. कल्याण सेवा(Welfare Service) – आपदा/विपदाओं एवं हवाई हमले की स्थिति में प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता समय पर नहीं पहुंचने की स्थिति में आमजन अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगता है और जनता के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लोग बेघर हो जाते हैं व उनका अपना सब कुछ नष्ट हो जाता है। परिवार के सदस्य बिछुड़ जाते हैं। इस प्रकार की महाविपतियों में पूरे समुदाय के जीवन को सामान्य बनाना ही प्रमुख कार्य रहता है ताकि आम जनता का मनोबल बना रहे। नागरिक सुरक्षा संगठन में इन कार्यों हेतु कल्याण सेवा का गठन किया गया है जिसके निम्नानुसार मुख्य कार्य है :-

- **सूचनाएँ एकत्रित करना** – प्रभावित लोगों की सही सूचना उनके संबंधियों देना अथवा आमजन में उपलब्ध कराई गई प्रशासनिक व्यवस्था की सूचना देना इत्यादि कार्य जिससे आमजन का मनोबल बना रहे।
- **बेघर लोगो का प्रबन्ध** – आश्रय स्थलों की स्थापना कर बेघर लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके भोजन वस्त्रादि की व्यवस्था करना।
- **निष्क्रमण की स्थिति** – ऐसी स्थिति में जहां खतरे की दृष्टि से अधिक असुरक्षा है उस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित तरीके से ले जाने के लिए तथा मार्ग में गन्तव्य तक भोजन, पानी, औषधी, वस्त्र आदि तथा आवाजाही की सहायता प्रदान करना।

15.1 कल्याण सेवा के कार्य

(अ) **सूचना एवं प्रसार :-** सूचना केन्द्र को पूर्ण रूप से सूचित बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस विभाग, थाने, चौकियों, अस्तपताल, वार्डन पोस्ट, फर्स्ट एड पोस्ट को निर्देश जारी कर संबंधित क्षेत्र की पूर्ण जानकारी सूचना केन्द्र में उपलब्ध रखी जावेगी। सभी सूचना केन्द्र अपनी सूचनाएँ मुख्य सूचना केन्द्र को देंगे।

- हवाई हमले से पहले व बाद में नागरिक सुरक्षा द्वारा किये गये सभी प्राकर के कार्यों की व्यवस्था की जानकारी जनता में देना।
- हवाई हमले के बाद की सही स्थिति से जनता को अवगत कराना, घायल व मृतकों की जानकारी प्राप्त की सूची उपलब्ध रखना तथा जनता को जानकारी देते रहना।
- विभिन्न शिविरों तथा केन्द्रों की सूचना प्रसारित करना।

(ब) **प्रसारण वाहन** – आपातकाल में सूचनार्थ लेने-देने के कार्य त्वरित गति से किए जाने हेतु प्रत्येक सूचना केन्द्र पर प्रसार वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।

(स) आश्रय स्थल – आपातकाल में बेघर लोगों के अस्थाई निवास हेतु शहर की शालाओं, धर्मशालाओं को नागरिक सुरक्षा कार्य हेतु अधिग्रहित किया जाकर जनता के लिए सुविधा मुहैया कराई जाती है। जब बड़े पैमाने पर लोग घर छोड़कर जाने लगते हैं तो आश्रय स्थल की व्यवस्था करनी पड़ती है।

(द) आपातकाल भोजन केन्द्र – प्रत्येक केन्द्र पर इसके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था बनाये रखने के लिए दुकानों/संस्थानों को चिन्हित किया गया है ताकि दुर्घटना स्थल पर भोजन सामग्री की काला बाजरी मुनाफाखोरी रोकੀ जा सके। इसके अतिरिक्त आश्रय स्थल पर भोजन बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(य) मोबाइल कैंटीन – दुर्घटना स्थल पर नागरिक सुरक्षा कार्य कर्ताओं व पीड़ित आमजन के लिए अस्थाई नाश्ते/भोजन के लिए मोबाइल कैंटीन की व्यवस्था कराई जावेगी। मोबाइल कैंटीन एक लाख जनसंख्या पर एक के हिसाब से उपलब्ध कराई जावेगी। इसके लिए निम्न स्टॉफ स्वयं सेवक उपलब्ध कराये जावेगे :-

सुपरवाइजर	–	1 प्रति कैंटीन
सहायक	–	3 प्रति कैंटीन
वाहन चालक	–	1 प्रति वाहन

(र) हाउसिंग एवं बिलेटिंग :- हाउसिंग एवं बिलेटिंग एक लाख जनसंख्या पर 01 से गणना कर संधारित किये जाते हैं।

ओवरसीयर (हाउसिंग ऑफिसर)	1 प्रति सैन्टर
लिपिक	1 प्रति सैन्टर
सन्देश वाहक	1 प्रति सैन्टर

(ल) आपातकालीन वस्त्रादि व्यवस्था – बेघर लोगों की शरण स्थल में मौसम के अनुसार सभी आयु वर्ग हेतु पहनने, ओढ़ने के लिए वस्त्रादि उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं। अतः इस हेतु अभियान चलाया जाकर पर्याप्त वस्त्रादि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है। साथ ही शान्तिकाल में स्वयंसेवी संस्थाएँ जो वस्त्रादि एकत्रित कर वितरण का कार्य करती हैं, का सहयोग पूर्णरूपेण लिया जावेगा।

भाग – IV

16. निष्क्रमण (Evacuation) – नागरिक सुरक्षा योजना का महत्वपूर्ण भाग निष्क्रमण 'Evacuation' है, जो कि अपने आप में एक सम्पूर्ण योजना है। निष्क्रमण की कार्यवाही अति आवश्यक होने पर ही की जानी चाहिए। आम जनता खतरे के स्थान से सुरक्षित स्थान की ओर मय कीमती सामान, पशु, वाहनों तथा परिवारजनों के साथ पहुंचना अथवा सरकार द्वारा सुव्यवस्थित तरीकों से पहुंचाना निष्क्रमण है। निष्क्रमण के प्रकार :- संकट से पहले व संकट से बाद।

16.1 संकट से पहले – संकट से पहले निष्क्रमण की सूचना शहर के जिन-जिन भागों से निष्क्रमण कराया जाना है जिला प्रशासन द्वारा इसकी सूचना वहां के निवासियों अवश्य दी जायेगी। प्रशासन द्वारा उस भाग में यह आदेश प्रसारित कराने होंगे कि किस भाग से, किस प्रकार, किस भाग के लिए निष्क्रमण किया जावेगा, वहाँ क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी।

16.2 संकट के बाद – घटना घटित होने के बाद दुर्घटना की स्थिति अनुसार सम्बन्धित स्थान की निष्क्रमण योजना तत्काल बनाई जाकर प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

16.3 नियन्त्रक (कलक्टर) स्थिति को मध्ये नजर रखते हुए निर्णय करेंगे कि अमुक-अमुक स्थान से जन जीवन को अल्पावधि के लिए कैम्प में ले जाना होगा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा से संबंधित धाराओं का प्रयोग करते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 6 के अंतर्गत निष्क्रमण के आदेश प्रसारित करेंगे तभी कैम्प की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। कैम्प स्थल पर सामाजिक संस्थाएँ नियन्त्रक (जिला कलक्टर) की लिखित सहमति प्राप्त करने पर ही कार्य करने के लिए सक्षम होंगी। निष्क्रमण के समय आने वाली समस्याएँ निम्नानुसार हैं :-

- जनता को पता नहीं होता है कि पलायन किस ओर करना है।
- जनता घबराहट में भगदड़ मचाकर गलत, खतरनाक व बिना सुविधा वाले रास्तों पर जा सकती है, साथ ही आवश्यक सेवाओं के आने-जाने में अवरोधक बन सकती है।
- वे आमजन जो स्वयं के वाहनों से घर बार छोड़कर निकल जाते हैं जानकारी के अभाव में सही गन्तव्य तक नहीं पहुंच सकते, भगदड़ से पुलिस प्रशासन की दुविधा बढ़ती है। यातायात धीमी गति, अधिक भीड़ व तेज गति से चलने वाले वाहन व पशुओं द्वारा बाधक हो सकता है।
- असामाजिक तत्व बढ़ सकते हैं।
- सामाजिक परिवार जन आपस में बिछुड सकते हैं, विशेषतः बच्चों का गुम हो जाना।
- मूलभूत सुविधाओं की कमी होना व उसकी व्यवस्था करना।

16.4 **रास्ता** – निष्क्रमण कराने के लिए आमजन में पी.आर.ओ द्वारा माइक पर कैम्प स्थलों पर एकत्रित होने की सूचना दी जावेगी, ताकि आमजन को निष्क्रमण हेतु एक स्थान पर एकत्रित कर साधनों द्वारा गन्तव्य तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हवा के विपरीत दिशा वाला रास्ता अपनाया जाना चाहिये।

16.5 **चैक पॉइन्ट कार्य** – स्थानीय प्रशासन द्वारा निष्क्रमण की सूचनाएँ एकत्रित करने, सरकार को सूचनाएँ देने जिसमें वाहन मय जनता के अपने निर्दिष्ट की ओर बढ रहें है व किसी प्रकार की समस्या है/नहीं है आदि सूचना एकत्रित करने के लिए चेक पॉइन्ट बनाये जावेंगे। सभी चैक पाइन्टों पर साधारण जल पान की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। मेडिकल सहायता प्रदान कराई जावेगी दवा की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित किया जावेगा।

16.6 **प्रभारीगण** – कैम्प में एकत्रित स्थान से आमजन को प्रभारी निष्क्रमण वाहनों द्वारा/रेल द्वारा रवाना करेगें। प्रभारीगण कैम्प स्थल का सम्पूर्ण लेखा जोखा रखेगें। सूचना के लिए माइक बैटरी सहित, रात्रि में प्रकाश व्यवस्था, टैण्ट आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन/स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर करेगें। कैम्प की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी की होगी। उपरोक्त कैम्प अधिकारियों के कार्य क्रमवार निम्नांकित है :-

- **कैम्प कमान्डैन्ट** :- कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था कैम्प कमान्डैन्ट करेगें। वित्त व्यवस्था की जिम्मेदारी, उच्चाधिकारियों से तालमेल रखना।
- **डिप्टी कैम्प कमान्डैन्ट** :- कैम्प कमान्डैन्ट के आदेशों की पालना में कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था योजना बनाना। कैम्प में जनता के रहने, सोने, खाने इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था योजना बनाना। कैम्प में जनता के रहने वालों की नामावली तैयार कर रिकार्ड संधारित करना, कैम्प के वाहनों की लॉग बुक का संधारण करना, उच्चाधिकारियों को सूचित रखना। इसके लिए दो नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जिन्हें लिपिकीय कार्य आता हो, उपलब्ध रहेंगे। लिपिक कैम्प के सम्पूर्ण लिपिकीय कार्य करेगें।
- **लेखाधिकारी** :- कैम्प के मद में होने वाले आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा रखना एवं समय-समय पर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- **वैलफेयर व सप्लाई अधिकारी** :- कैम्प में रहने वालों की भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था, सूचना व्यवस्था, वस्त्र/बिस्तर व्यवस्था, कैम्प आवास के लिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था मय अल्टरनेट व्यवस्था आदि कार्यों की जिम्मेदारी होगी। इनके कार्य क्षेत्र में कैम्प से संबधित सामान की आवक व्यवस्था रखने, कैम्प में सभी को आवंटित होने के लिए भोजन के कार्ड एवं राशन प्राप्त करना आदि होंगे।

- **चिकित्सा सहायता** :- सी.एम.एच.ओ. द्वारा कैम्प स्थल के लिए एक फिजीशियन, एक कम्पान्डर व एक सहायक नर्स निरन्तर उपलब्ध कराए जायेंगे। कैम्प में प्राथमिक चिकित्सा दवाएं सदैव उपलब्ध रहेंगी।

16.7 **विधुत कार्य** – कैम्प स्थल पर विधुत से संबंधित कार्य विधुत विभाग को आवंटित होंगे। संबंधित विभाग के सहायक अभियन्ता कैम्प स्थल के विधुत प्रभारी रहेगे। कैम्प स्थल के लिए एक जनरेटर प्रशासनिक/जन सहयोग से प्राप्त कर उपलब्ध रखा जावेगा।

16.8 **जलदाय** – कैम्प स्थल पर पीने एवं नहाने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जलदाय विभाग को दी जाकर पूरी कराई जावेगी। किसी भी आपातकाल स्थिति में जन जीवन के आक्रोश से बचने के लिए राष्ट्रीय हित में आवश्यकता को देखते हुए अधिक लोगों को शहर से बाहर ले जाना/भेजना/पलायन करना पड सकता है ऐसी स्थिति में कैम्प कमांडैन्ट को कैम्प लगाने के लिए नियन्त्रक (जिला कलक्टर) द्वारा आदेश प्राप्त होंगे।

17. **रिपेयर्स एण्ड डिमोलेशन्स** – किसी भी स्थान पर हवाई हमलों अथवा अन्य मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अधिक संख्या में भवन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इस प्रकार के क्षतिग्रस्त भवन अथवा क्षतिग्रस्त हिस्से यदि तुरन्त ठीक नहीं कराये जायें और उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाये, तो उनसे कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, जो निम्नानुसार है :-

- अधूरे ढहे हुए मकान अथवा उनके हिस्से भी ढह सकते हैं, इससे आस-पास में जानमाल का अधिक नुकसान हो सकता है।
- क्षतिग्रस्त मकान जो मरम्मत से ठीक हो सकते हैं, यदि उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाये तो, अधिक समय बाद वे मरम्मत के योग्य नहीं रहेंगे।
- क्षतिग्रस्त मकान रेलवे लाइनों, व्यवस्त सड़कों अथवा अन्य आवश्यक सेवाओं के भवनों के आसपास हैं, तो उनके अचानक गिरने से यातायात व आवश्यक सेवायें बाधित होंगी और दुर्घटना हो सकती है।
- क्षतिग्रस्त मकान मरम्मत के अभाव में वैसे ही रहने दिया जाये, तो जन मानस में घटना की भयानकता का अहसास निरन्तर बना रहता है एवं उनके मनोबल पर विपरीत असर होता है। जन मानस अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगते हैं तथा शत्रु की महता स्वीकार कर सकते हैं।

17.1 **रिपेयर दल का गठन** – उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए, सड़कों की मरम्मत, मलबा हटाने के लिए एवं क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग जिम्मेदार है कि वे अपने स्तर पर उपरोक्त कार्यो हेतु एक दल गठित कर उनके लिए आवश्यक साजो समान निर्धारण कर अपनी योजना नियन्त्रण (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा को भेजेंगे। इस दल में नागरिक सुरक्षा के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इस दल को

निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्य प्रारम्भ करने होंगे ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से शीघ्र सम्पन्न हो सके :-

- (क) क्षतिग्रस्त मकान (निजी/सरकारी/व्यावसायिक स्थान) की मरम्मत शीघ्रता शीघ्र कराना चाहिये। निजी मकान वाले अपने स्वयं के प्रयासों से मरम्मत करना चाहें और उन्हें रिपेयर मैटेरियल की आवश्यकता होवे तो उनकी मांग पर उन्हें सामान देना पड़ सकता है। सरकारी भवनों की मरम्मत हेतु अधिक मात्रा में सामान रिजर्व रखना होता है।
- (ख) रिपेयर दल केवल आवश्यक मरम्मत करेंगे, मकान में भीतरी सजावट अथवा कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं बनायेगें, यह बात विशेष ध्यान में रखी जानी चाहिए।
- (ग) मरम्मत तभी की जावेगी यदि :-

- क्षतिग्रस्त मकान का वास्तव में आवासीय उपयोग हेतु काम में लिया जाना है।
- क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के बाद उसमें परिवार जन आवास हेतु आने वाले हैं।
- क्षतिग्रस्त मकान कम मरम्मत में रहने योग्य बन सके।
- क्षतिग्रस्त मकान के रहवासी मरम्मत भार नहीं उठा सकते हों तो मरम्मत की सहायता की जावेगी।
- निजी एवं व्यावसायिक मकानों की मरम्मत उनके मालिकों द्वारा शान्ति कालीन व्यवस्था में जैसे करवाते हैं वैसे ही कारवाई जावेगी।
- उनके गिरने से अन्य भवन, यातायात/रेल्वे/अस्पताल प्रभावित होते हैं।

17.2 सड़कों की मरम्मत तथा मलबा हटाना – घटना स्थल के आस पास सड़क पुलिया, रेलवे पुल, रेलवे लाईन आदि क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इन स्थानों को पुनः आवागमन योग्य बनाने हेतु एक दल का गठन किया जावेगा। साथ ही सड़क/रास्तों पर एवं पुलियाओं/मकानों के गिरने से फैला हुआ मलबा भी हटाने का कार्य करेगा।

17.3 मकानों को गिराना – क्षतिग्रस्त मकान जो किसी भी प्रकार की मरम्मत के योग्य नहीं है व कभी भी अपने आप साथ वाले भवन/सड़क/रेल लाइन पर अचानक गिर कर अधिक हानि कर सकते हैं। इस प्रकार के मकानों से दुर्घटना के अन्य कारण भी बन सकते हैं। अतः इन्हें गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग एक दल बनाकर कार्य सम्पादित करवा जावेगा।

18. **आवश्यक सेवाओं का रख रखाव** – निम्नलिखित आवश्यक सेवाओं के विभागाधिकारियों द्वारा प्रत्येक के लिए मरम्मत दल नागरिक सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष के लिए नामांकित कर आपात काल में उपलब्ध कराये जायेंगे।

- दूर संचार विभाग के बाहरी लाइन मैन।
- जलदाय विभाग के पाइप लाइन पर कार्य करने वाले।
- विधुत विभाग के लाइन मरम्मत करने वाले।
- नगर निकाय द्वारा सफाई कर्मी।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गठित रिपेयर दल।

19. **पशुओं की देखभाल** – आम दिनों में भी पशु आवारा घुमते रहते हैं तो हवाई हमला व अन्य आपदाओं की स्थिति में पशुओं की देखभाल पर अधिक ध्यान रखना होगा। आपदा/विपदा के बाद पशु घायल अवस्था/मृत अवस्था में मिल सकते हैं, पालतू पशु अपने बाड़े से निकल कर भागने लगते हैं, यहा तक कि आवारा पशु एवं जगली जानवर ज्यादा डरावनी आवाजें निकालकर, अपने बचाव के लिए बेतहाशा भागते हैं। इससे मनुष्यों के अधिक घायल होने का अन्देशा रहता है। पशु अपने बचाव के लिए हमला बोल सकते हैं। अतः नागरिक सुरक्षा योजना में पशु पालन विभाग द्वारा निम्नानुसार बिन्दुवार योजना बनाकर कार्य कराया जाना आवश्यक है :-

- आपातकाल में पशु नियंत्रण, दाना चारा नियन्त्रण व्यवस्था जिला पशु पालन विभाग की होगी।
- पशु पालन विभाग द्वारा शहर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थान निश्चित कर दुधारू पशुओं के मालिकों को उन पशुओं को निश्चित स्थानों पर रखने की व्यवस्था के लिए आदेश प्रदान करेंगे।
- गम्भीर घायल जानवरों के इलाज की व्यवस्था करेंगे।
- मृत पशुओं का निपटान उचित विधि से करवायेंगे, ताकि महामारी नहीं फैल सके।
- आपातकाल में दवाओं की व्यवस्था, स्टोर रखने की व्यवस्था, कार्य के लिए आवश्यक सामान व उनकी भण्डारण की व्यवस्था, कर्मचारियों के कार्यों का बंटवारा कर उनको निर्देशित करने की व्यवस्था इत्यादि जिला पशु पालन अधिकारी द्वारा शान्ति काल में योजना तैयार की जावेगी।
- पशुओं की देखभाल योजना बनाने में आपातकालीन समय में उपरोक्त बिन्दुओं पर क्रियान्वयन करने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा अपने स्तर पर दलों का गठन करेगा। जिससे घायल जानवरों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकेगी व साथ ही मृतक पशुओं को हटाकर महामारी से बचाव किया जा सकेगा। इस हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग जिला पशु पालन विभाग से योजना प्राप्त कर अपने पास रखेगा।

20. प्रकाश नियन्त्रण – इतिहास में पिछले युद्धों में देखने में आया है कि शत्रु द्वारा हवाई हमला ज्यादातर रात्रि में ही किये गये हैं। इसके मुख्य दो कारण हैं – पहला “रात्रि के अन्धकार में शत्रु के विमानों पर मार करना अत्यन्त कठिन कार्य होता है, इससे शत्रु को उद्देश्यपूर्ति के लिए समय मिल जाता है”। दूसरा “सांयकाल/रात्रिकाल में जनजीवन के भोजन/सोने का समय होता है। अतः दुश्मन राष्ट्र को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनजीवन को अधिक से अधिक अस्त-व्यस्त करने का अवसर मिल जाता है”। शत्रु राष्ट्र के विमानों को हमले करने से रोकने के लिए वायु सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियार तैयार कर तैनात किये होते हैं फिर भी शत्रु अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शहरी सीमा की ओर बढ़ते हुए बम वर्षा करने में सफल हो सकते हैं। शत्रु के विमानों को शहर की विद्युत व्यवस्था उँचाई से उसके उद्देश्य बिन्दु (टारगेट) तक जाने में अधिक सहायक होती है। उपरोक्त कारणों के आधार पर एक राष्ट्र प्रकाश नियन्त्रण की व्यवस्था से दुश्मन राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक बन सकता है। प्रकाश नियन्त्रण व्यवस्था को निम्नानुसार दो भागों में विभाजित किया गया है।

- सम्पूर्ण ब्लेक आउट करना जिसमें उँचाई से व नजदीक से बाहर किसी प्रकार की प्रकाश की किरणें दिखाई नहीं दें।
- प्रकाश की मात्रा वोल्टेज के नियन्त्रण से उसके फैलाव एवं चमक की रेट को कम किया जाना।

20.1 भवन की प्रकाश व्यवस्था

- भवन/घर की प्रकाश व्यवस्था घर से बाहर दिखाई नहीं देनी चाहिए।
- प्रकाश व्यवस्था के लिए खिड़कियों/दरवाजों पर जो काँच के होते हैं गहरे भूरे रंग के कागज लगाने चाहिए। गत्ते/अखबारों से भी ढक सकते हैं।
- भवन/घरों के बाहर छत पर बल्ब नहीं लगायें, की व्यवस्था होनी चाहिए।
- भवन/घरों में संध्या समय के बाद कम दर की विद्युत व्यवस्था की जानी चाहिए।
- भवनों/घरों में कार्य अधिक से अधिक संध्या पूर्व निपटा लेना चाहिए ताकि कम प्रकाश व्यवस्था माकूल बनी रहे।

20.2 सड़क पर प्रकाश व्यवस्था

- सड़क पर लगी लाइटों को कम बोल्टेज में फैलाने की व्यवस्था।
- सड़क पर लगी ट्यूब लाइट आदि को कम संख्या में लगाकर व्यवस्था बनाये रखना।
- खम्भों पर लगे बल्ब/ट्यूब लाइट पर शैड का प्रयोग किया जाना चाहिए।

20.3 वाहनों की प्रकाश व्यवस्था

- चोपहिया वाहन :- किसी भी वाहन की सीधी रोशनी वाली लाइट के गिलास को दो भागों में उपर नीचे करते हुए निचले आधे हिस्से पर एक परत पतले भूरे पेपर की लगाना और उपरी आधे भाग पर दो पेपर भूरे लगाने चाहिए।
- रेलगाड़ी – रेल की हैड लाइट का एक तिहाई भाग भूरे पेपर से ढक कर कम दर की विद्युत का इस्तेमाल करना चाहिए। यात्रियों के डिब्बों में विद्युत व्यवस्था के लिए कम वोल्टेज के बल्ब प्रकाशित होना चाहिए। खिडकी के कॉच गहरे भूरे कागज/रंग से अपारदर्शी किये जाने चाहिए।
- दुपहिया/तिपहिया वाहनों की हैड लाइट एक तिहाई काले रंग की होनी चाहिए। बाजार में साइन बोर्ड की प्रकाश व्यवस्था को नियंत्रण में रखना आवश्यक है, इस हेतु स्थिति अनुसार नियंत्रक (कलक्टर) व्यवस्था बनाये रखेंगे।

भाग – V

21. रासायनिक युद्ध (Chemical Warfare) – रासायनिक युद्ध उत्प्रेरक रासायन के द्वारा फैलाया जाता है, जिसका सीधा हानिकारक प्रभाव मानव पेड़-पौधे जीव जन्तुओं पर पड़ता है। इसमें उच्च रासायनिक गैसों जैसे टैबुन सरीन, मस्टर्ड चौकिन, बायोबैन्जिल साइनाइट एवं अन्य विषैली गैसों का प्रयोग किया जाता है। इन गैसों के द्वारा शत्रु राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य जनता का मनोबल गिराना, कामदारों को अस्थाई रूप से विकलांग बनाना, पेड़ पौधों एवं जीव जन्तुओं को दूषित कर खाद्यान्न संकट पैदा करना आदि होता है।

21.1 रासायनिक गैसों का वर्गीकरण :- रासायनिक युद्ध में प्रयोग में लाई जाने वाले गैसों की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं

क्र.सं.	गैस	पहचान करने का तरीका	मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव
1.	<p>तांत्रिक</p> <ul style="list-style-type: none"> • टैबुन : सायनो फास्फोरिक अम्ल की संजात होती है रंगहीन अस्तित्व द्रव के रूप में होती है। • सरीन : फ्लोओरो फॉस्फोरिक अम्ल की संजात होती है। रंगहीन, अस्थिर द्रव के रूप में होती है। 	<p>अत्यधिक मन्द फल जैसी गंध/सामान्यत गंध द्वारा पहचान नहीं होती पर रासायनिक परीक्षणों से पहचान हो जाती है।</p> <p>गंधहीन होती है, विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पहचान की जाती है।</p>	<p>देखने में परेशानी होती है। गला और छाती भारी हो जाती है। फेफड़े का शोफ होना (लंग ईडीमा), नीलापन परसीना आना, अतिसार, मृत्यु होना।</p>
2.	<p>व्रण गैस (बिलिस्टर गुप)</p> <ul style="list-style-type: none"> • मस्टर्ड गैस,तेलिय द्रव के रूप में होती है। गहरे भूरे से लेकर हलके पीले रंग की होती है रबर, चमड़े, कपड़े लकड़ी में छेद कर देती है, चिर स्थायी होती है। क्लोरिन (अर्थात् – विरंजक चूर्ण) (ब्लिचिंग पाउडर) द्वारा आसानी से निष्प्रभावित हो जाती है। 	<p>लहसून प्याज या मूली या सरसों की गंध के समान गंध होती है।</p>	<p>वाष्पन, प्रभाव, आंखे जलने लगती है और सूज जाती है त्वचा लाल हो जाती है और उस पर फफोले पड जाते है खॉसी उठती है आवाज नहीं निकलती और बाद में श्वसनी शोथ (ब्रॉन्काइटिस) या न्यूमोनिया हो जाता है द्रव प्रभाव आंखों पर तत्काल किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडता पर कुछ घण्टों में अति गंभीर लक्षण दिखाई पडने लगते है त्वचा दो घण्टे में लाल हो जाती है और</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● लेविसाइट (आर्सेनिक योग) : शुद्ध रूप में होने पर रंगहीन द्रव की तरह होती है पर अशुद्ध रूप में होने पर भूरे रंग की होती है। एक अदृश्य गैस छोड़ती है। अत्यधिक प्रभावशाली और चिर स्थायी होती है पर पानी और अम्लों द्वारा आसानी से समाप्त हो जाती है। 	जिरेनियम (फूलों) की गंध की तरह गंध होती है।	फफोले 12 से 24 घण्टों में पडते हैं। वाष्पन : नाक, आंखों और फैफड़ों में क्षोभ उत्पन्न होता है। मस्टर गैस की तुलना में त्वचा को कम प्रभावित करती है। द्रव : आंखों पर तत्काल और गंभीर प्रभाव डालती है। मस्टर्ड गैस की तुलना में इससे त्वचा पर अधिक तेजी से फफोले उत्पन्न हो जाते हैं।
3.	<p>श्वास रोधी गैसे</p> <ul style="list-style-type: none"> ● फॉस्जीन : प्रायः अदृश्य गैस होती है, धातुओं को संक्षारित करती है। चिरस्थायी नहीं होती। ● डाइफॉसजोन : रंगहीन द्रव्य के रूप में होती है। अर्द्धस्थायी होती है। ● युक्सोरीन : हरे रंग की गैस होती है, धातु को संक्षारित करती है, चिर स्थायी नहीं होती। ● क्लोरोपिक्रिन : रंगहीन होती है, वाष्पील द्रव के रूप में होती है, अर्द्ध स्थायी रूप में होती है। 	<p>गीली घांस के सडने की गंध की तरह गंध होती है। धूम्रपान अरुचिकर हो जाता है।</p> <p>फॉस्जीन की तरह इसकी पहचान की जाती है।</p> <p>विरंजक चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर) की गंध की तरह गंध होती है।</p> <p>तीखी गंध होती है।</p>	<p>जीवन के लिए अत्याधिक हानिकारक होती है। पहले प्रभावों में खॉसी उठती है, आँसू निकलते रहते हैं, छाती में दर्द होता है, वसन में कठिनाई होती है। बाद में फुफ्फुस शोफ (पल्मोनरीईडीमा) हो जाता है। इसके प्रभाव 24 घण्टे में दिखाई पडने लगते हैं। फॉस्जीन की तरह प्रभावित करती है।</p> <p>इसके प्रभाव भी फॉस्जीन की तरह होते हैं पर अधिक होते हैं पर अधिक क्षोभ उत्पन्न करते हैं और कम जहरीलें होते हैं। इसके प्रभाव क्लोरीन की तरह होते हैं अधिक हानिकारक होते हैं।</p>
4.	<p>अश्रु गैस</p> <ul style="list-style-type: none"> ● के.एस.के : गहरे भूरे द्रव के रूप में होती है, गैसीय अवस्था में अदृश्य होती है। चिर स्थायी होती है। 	प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है। फल जैसी गंध होती है।	सी.ए.पी.(नीचे उल्लेख किया गया है) की तरह प्रभावित करती है पर त्वचा पर इसका प्रभाव नहीं होता।

<ul style="list-style-type: none"> ● बी.बी.सी. (ब्रोमोबेन्जिल सायनाइड) : पीले भूरे क्रिस्टलो मे शुद्ध रूप मे होती है। लेकिन सामान्यतः भरे द्रव मे चिरस्थायी रूप से प्रयोग मे लायी जाती है। ● सी.ए.पी (क्लोरिन फेनॉन) इसके रंगहीन क्रिस्टल होते है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है, चिरस्थायी नही होती । ● नासिका को प्रभावित करने वाली :डाइफेनाइल क्लोरसाइन (डी.ए) (डी.ए) (डी.एम.और डी.सी) सामान गैसे होती है। रंगहीन या चमकदार पीले क्रिस्टल होते है। गर्म किए जाने पर गंधहीन धुआ निकलता है। अदृश्य है, पास के स्थान को छोडकर, चिरस्थायी नही होती। 	<p>प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। तीखी चुभने वाली गंध होती है।</p> <p>प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है</p> <p>केवल प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है</p>	<p>इसके प्रभाव उपर्युक्त के.एस. के.की तरह होते हैं (जीवन को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता)।</p> <p>आंखो मे जलन होती है, त्वचा पर काफी मात्रा मे तत्काल और गहरा क्षोभ होता है।</p> <p>छीके आती है, जलन होती है और छाती, गले, नाक और मसूडों मे दर्द होता है। बाद मे मानसिक दबाव होता है। लेकिन 5 मिनट में ही इसके प्रभाव होते है।</p>
---	---	---

22. जैविक युद्ध (Biological Warfare) – जैविक युद्ध में किसी शत्रु के लोगों को उसके पालतू और अन्य पशुओं को मारने, उन्हें विकलांग बनाने या उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए या फसलों को नष्ट करने के लिए रोग उत्पन्न करने वाले जीवित रोगाणु या उनसे उत्पन्न होने वाले रोगाणु का सप्रयोजन प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणु स्वतः ही कम समय में अधिकाधिक संख्या में उत्पन्न होते रहते हैं तथा महामारी का रूप ले लेते हैं।

22.1 जैव युद्ध का उद्देश्य :-

- मनोबल गिराने और आतंक फैलाने के लिए।
- चुने हुए लोगों जैसे औद्योगिक कामगारों आदि को विकलांग बनाने के लिए।
- लोगों पर किए जाने वाले सामान्य आक्रमण के एक भाग के रूप में।
- फसलों और पशुओं पर आक्रमण करके खाद्य पदार्थों की कमी उत्पन्न करने के लिए।

22.2 नागरिक सुरक्षा में जैव युद्ध से बचाव – किसी भी राष्ट्र में युद्ध के हमलों को रोकने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है फिर भी तोड़फोड़ जैव युद्ध की आशंका के बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना आवश्यक है। नागरिक सुरक्षा द्वारा प्रशासन की सहायता से रोग फैलने के तरीकों एवं उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी का कड़ाई से पालन नागरिक सुरक्षा कार्यों के माध्यम से कराई जावेगी। प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग की सहायता से पानी खाद्य पदार्थों की जांच का कार्य समय-समय पर किया जाते हुए पुलिस और सेना की सहायता से साथ ही आमजन के सहयोग से पानी और खाद्य पदार्थों का रोगाणुओं से बचाव कराया जावेगा। पानी का जीवाणविक विश्लेषण बचाव में सहायक हो सकता है, साथ ही पानी का समुचित क्लोरीनीकरण भी कराना आवश्यक है।

22.3 जैविक युद्ध से सामान्य बचाव

- रोग का पता शीघ्रता से प्रारंभिक चरण में लगाना।
- आम जन को एक दूसरे के सम्पर्क में आने से रोकना।
- दूषित खाद्य पदार्थ, पानी के नमूनों की जाँच हेतु अतिरिक्त प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध कराना।
- सम्बन्धित रोग के टीकों की समुचित व्यवस्था करवाना तथा सूचना विभाग द्वारा टीके के प्रति सक्रियता जागृत करना।
- संक्रमणित फसलों व पशुओं को नष्ट करना।
- अस्पताल/प्राइवेट क्लिनिकों में रोगाणुओं को निष्प्रभावित करने हेतु पर्याप्त औषधियों का भण्डारण करवाना

- रोगाणु श्वॉस द्वारा त्वचा के सम्पर्क में आने पर एवं कीटों के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं इस रोगाणु रोधक “नासा पैड” प्रयोग में लाना।
- आश्रय स्थलों को समुचित प्रतिरोधक बनाना एवं दूषित वस्तुओं की सूची बताते हुए उनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध की चेतावनी देना।
- चिकित्सा विभाग औषधियों के समुचित वितरण एवं भण्डारण के लिए योजना बना कर कार्यवाही करना।
- नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जानकारी के अनुसार वार्डन के माध्यम से जैव युद्ध एवं उसके बचाव की जानकारी आमजन तक पहुँचाने का कार्य करेगा।

22.4 जैव युद्ध से मनुष्य, पशुओं व पौधों तथा फसलों पर रोगाणुओं का प्रभाव

मनुष्य पर रोगाणुओं का प्रयोग	पशुओं पर रोगाणुओं का प्रयोग	पौधों और फसलों पर रोगाणुओं का प्रयोग
<p>जीवाणु :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वैसीलस एन्थ्रेसिस (गिलटी) ● साल्मोनेला टाइफॉस (टाइफॉइड) ● पास्चुरेला पेस्टिस (प्लेग) ● थिब्रियो कॉमा (हैजा) <p>विषाणु (वाइरस) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● एन्फ़ल्यूएंजा विषाणु (एन्फ़ल्यूएंजा) ● संक्रमी यकृत शोथ का विषाणु (पीलिया) (वाइरस ऑफ़ इन्फ़ेक्टिव हेपाटाइटिस) ● मसूरी का विषाणु (चेचक) (वैरिऑला वाइरस) <p>रिकेट्रिसिया : रिकेट्रिसिया प्रीवेजकी (महामारीवाला टाइफस)</p> <p>जीवविष (टॉक्सिन) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● बॉटुलिन जीवविष (बाटुलिज्म) ● स्टेफिलोकॉकस जीवविष (अन्नविषाक्तता) 	<p>जीवाणु :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वैसीलस एन्थ्रेसिस (गिलटी) ● ब्रुसेला ग्रुप ब्रेसेलारूग्णता (ब्रेसेलोसिस) <p>विषाणु (वाइरस) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● मुख पाद रोग विषाणु ● पशुप्लेग विषाणु (कैटल प्लेग) (रिंडरपेस्ट वाइरस) 	<ul style="list-style-type: none"> ● हैलमिन्थोस्पोरियम ऑरिजेई (चावल पर) ● पाइरिकुलेरिया ऑरिजेई (चावल पर) ● कार्नीलैक्टीयरियम सेपेडॉनिकम (आलू पर)

23. **परमाणु युद्ध (Nuclear Warfare)** – परमाणु बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की जब न्यटानों से बमबारी की जाती है तो उसमें से ऊष्मान गामा किरणों, एक्स किरणों और कौंध के रूप में दिखाई देने वाले प्रकाश के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु निकलती हैं। तापमान लगभग दस मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को वास्तव में पिघला देता है और कई मिलियन वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है। परमाणु बम के विष्फोट से प्रकाश और ऊष्मा विकिरण, विष्फोट एवं तत्काल और विलंबित विकिरण इत्यादि प्रकट होते हैं।

23.1 **ऊष्मा के प्रभाव** – जब कोई न्यूक्लीय अस्त्र अधिस्फोटित होता है तो कुल ऊर्जा का 35 प्रतिशत तेज ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलता है। यह ऊर्जा आग के गोले के रूप में निकलती है। किसी भी परमाणु बम ऊष्मा की लहर लगभग 1, 1/2 सैकंड तक रहती है पर बड़ी क्षति पहले आधे सैकंड के दौरान होती है। यह कौंध के रूप में होती है और इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। ऊष्मा की लहर के बने रहने की अवधि अनुमाप विधि के अनुसार बढ़ती है। किसी 10 मेगाटन के बम से निकलने वाली ऊष्मा 20 सैकंड तक रहती है और इसके कारण बड़ी क्षति पहले 10 सैकंड के दौरान होती है।

23.2 **प्रारंभिक और द्वितीयक आग** – घटना स्थल के आसपास कुछ दूरी तक प्रत्येक वस्तु आग द्वारा पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। इससे लगभग 01 मील क्षेत्र में आग लग जाती है, जिसे प्रारंभिक आग के रूप में जाना जाता है। द्वितीयक आग की स्थिति में इमारतें गिरने, घरेलु आग लगने, गैस के पाइप फटने और बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट हो जाने इत्यादि कारणों से आग लग जाती है।

23.3 **परमाणु बम के विष्फोट का प्रभाव** –

- इससे कुल ऊर्जा का 45 प्रतिशत विष्फोट झटके के रूप में होना।
- उक्त झटके दो चरणों में होते हैं – 1. दाब और 2. चूषण।
- इमारत का विष्फोट के झटके सहन करने का सामर्थ्य जिसमें इमारत की मजबूती, आकार और खुले भागों (दरवाजे व खिड़कियां आदि) पर निर्भर करता है।
- The effects of Nuclear explosion can conveniently be divided into followings: -

(a) Blast effect	-45%
(b) Heat effect	-35%
(c) Radiation effect	-20% (5% Initial & 15% Residual Radiation)

Three Friends of Nuclear Warfare	Three Rules for Protection Against External Radiation	Three Rules to Prevent Intake of Radioactive Materials.	Effects on Human Body	Full Turnout Gear.
<ul style="list-style-type: none"> • Time • Distance • Radiation 	<ul style="list-style-type: none"> • Time - Keep exposure time as short as possible • Distance - Keep as far away as possible from the source • Source - Shield body from source wherever possible 	<ul style="list-style-type: none"> • Use B. A. (Breathing Apparatus) sets • Do not eat, drink & smoke in contaminated area • Withdraw from radiation area if you sustain open wounds 	<ul style="list-style-type: none"> • Radiation sickness • Delayed effects • Long term effects • Genetic effects 	<ul style="list-style-type: none"> • Helmet • B.A. (Breathing Apparatus) set. • Turnout coat. • Gloves. • Turnout paint. • Rubber boots. • Radiation Survey Meters. • Eye shield.

23.4 मनुष्य के शरीर पर विष्फोट के प्रभाव – मानव शरीर इमारतों की तुलना में दाब को अधिक शक्ति के साथ सहन कर सकता है, जिससे सीधे विष्फोट के कारण लोगों को अधिक चोट नहीं पहुंचेगी पर विष्फोट के अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण कई लोगों को चोट लगेगी, जैसे – इमारतें ढहना, मलवा गिरना, शीशे के टुकड़ों का उड़ना इत्यादि। इससे लगभग 02 मील के क्षेत्र में प्रभाव होंगे।

23.5 परमाणु युद्ध – विकिरण प्रभाव – जमीन पर या जमीन के निकट किसी भी परमाणु अस्त्र के अधिस्फोटित होने पर ऊपर उठने वाला आग का गोला जमीन से बहुत सारी मिट्टी और अन्य सामग्री अपने साथ ऊपर ले जाता है। यह समस्त सामग्री रेडियोधर्मी हो जाती है और किसी ऐसे बड़े क्षेत्र में गिरती है जिसके ऊपर छत्रक रूपी बादल चलते रहते हैं। रेडियोधर्मी सामग्री के गिरने से उसके बड़ी मात्रा में फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

23.6 मनुष्यों पर विकिरणों का प्रभाव – परमाणु विकिरणें मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं को मारकर उसके शरीर को हानि पहुंचाती हैं। मनुष्य के समस्त शरीर पर होने वाले विकिरण के जैविक प्रभाव क्रमशः निम्नलिखित चार दशाओं में स्पष्ट हो जायेंगे :-

- विकिरण के कारण बीमार पड़ जाना – इसमें थकावट, मतली, अपाचन, भूख न लगना आदि इसके प्रारम्भिक लक्षण होते हैं जो उल्टी, अतिसार (दस्त की बीमारी) का रूप ले सकती है।
- विलंबित प्रभाव – त्वचा के नीचे रक्तस्राव होने के कारण रक्त के दाग उभर आने से शरीर से बालों का झड़ना जैसे विलंबित प्रभाव लगभग चार सप्ताह तक होते हैं।

- **दीर्घकालिक हानियां** – अरक्तता (अनीमिया), रक्त कैंसर, अस्थि या ऊतक विकिरण कैंसर और ट्यूमर इत्यादि जो सामान्यतः विकिरण होने के कई वर्ष बाद होती है। इसमें मनुष्य आयु से पहले वृद्ध हो सकता है।
- **आनुवांशिक हानि** – यदि जनन-द्रिया और जनन कोशिकाएं जो आने वाली पीढ़ियों की वंशागत विशेषता को आगे बढ़ाती हैं, विकिरण से प्रभावित होती हैं व आनुवंशिक हानि होती है।

23.7 परमाणु बम के विष्फोट के कारण विकिरण से उत्पन्न होने वाले खतरे

- **प्रारम्भिक विकिरण** – ये विष्फोट के केन्द्र से गामा किरणों के रूप में बाहर निकलती हैं व भेदक होती हैं :-

खाली जमीन (ग्राउण्ड जीरो से दूरी)	कुल मात्रा	मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव
1/2 मील पर	5000 आर	यह स्थिति निश्चित रूप से विघातक होती है।
3/4 मील पर	500 आर	50 प्रतिशत घातक।
1 मील पर	100 आर	1 प्रतिशत लोगों का बीमार पड़ना।
1-1/2 मील पर	5 आर	कोई प्रभाव नहीं

- **अवशिष्ट विकिरण** – उसका अवपात (फाल आउट) – परमाणु बम के हवा में विष्फोट होने के बजाय यदि वह भूमि तल के निकट विष्फोटित होता है तो रेडियोधर्मी कण मिट्टी आदि के बड़े और भारी कणों को संदूषित कर देते हैं और ये तेजी से जमीन पर जमा हो जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में विकिरण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसमें शरीर या कपड़ों के संपर्क में आने से त्वचा जल सकती है। सांस लेने या अंतग्रहण द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर घातक विष का कार्य करती है, जिससे तेज विकिरण रोग, आनुवंशिक रोग या मृत्यु हो जायेगी। जमीन पर जमा रेडियोधर्मी कण खुले खाद्य पदार्थों, पानी और फसलों को संदूषित कर सकते हैं।

23.8 रेडियोधर्मी सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए संरक्षण –

- **समय** – रेडियोधर्मिता तेजी से क्षीण हो जाती है। यह लगभग 2 दिन के अंदर इसके मान का 1/100 भाग हो जाती है।
- **दूरी** – किसी भी एक समान संदूषित क्षेत्र से कुल मात्रा का 1/3 भाग 12-1/2 फुट के घेरे से प्राप्त होता है, कुल मात्रा का आधा भाग 25 फुट के घेरे से प्राप्त होता है और कुल मात्रा का 3/4 भाग 100 फुट के घेरे से प्राप्त होता है। यदि इन घेरों के भीतर दीवारें, रुकावटें या अन्य हो तो यह मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए भीतर रहना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक होगा।

- **आड़ बनाना** – रेडियोधर्मिता की मात्रा कम करने के लिए विभिन्न सामग्रियों द्वारा की गई स्क्रीनिंग की व्यवस्था उन सामग्रियों के घनत्व के आधार पर की जाती है।
2.2 इंच कंकरीट इस मात्रा को आधा कम कर देती है

23.9 Suggested Role of District Magistrates of the Districts.

During Peace Conditions	<ul style="list-style-type: none"> ● Assess the effects that could take place during an attack. ● Prepare teams to work during disasters. ● Educate the public ● Evaluate resources available ● Demand for extra resources from the Govt ● Train the teams of officers/men from within the District for Disaster Management ● Liaise with the neighboring Districts/States ● Prepare the Evacuation Plans ● Carryout periodical rehearsals of the Disaster Plans
During an Attack	<ul style="list-style-type: none"> ● Proper Warning System ● Taking of Shelter ● Arrangement of First Aid to the victims ● Control Rumors & give positive information ● To arrange proper NBC kit to the teams to work in NBC affected area
After the Attack	<ul style="list-style-type: none"> ● After the blast wave had passed, there would be ample time before the start of fallout (about half an hour in the case of a large bomb). Instruct people to get into a prepared refuge against the fallout ● After the blast wave had passed people should quickly inspect all rooms in the house or building, including spaces under the roof for proper sealing ● Advise people to extinguish fires after the blast wave ● Nagar Nigam Jaipur and Nagar Parisad/Nagar Palika of towns are responsible for disposal of dead bodies with the help of local people ● Arrange for urgent repairs or weatherproofing which could be completed within half an hour. Curtains or sheets should be tacked over broken windows to keep gross amounts of fall out from being blown into the rooms. There would be no cause to worry about small amounts of fall out getting into damaged parts of the house provided it was not allowed to get into food or water consumed in the refuge room. If dust was visible later in any room it should be swept and dumped outside ● Except possibly in the area damaged by a nuclear explosion, a fall out warning would be given, to indicate that fall out was imminent. After the blast wave had passed and until the imminent warning was received all necessary help and first aid should be given to neighbors.
Work of Radiological	<ul style="list-style-type: none"> ● Remove all outer clothing and place it in a room or cupboard separate from your refuge room. It would be useful to have bags of polythene or

Unit and Decontamination unit	<p>similar material into which contaminated articles could be placed since the bags could be handled later with a much smaller risk or spreading the contamination. In removing the outer clothing care should be taken not to shake it, as this would disperse radioactive dust unnecessarily into the atmosphere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The hands, head and neck should then be thoroughly washed and scrubbed with soap and warm water while handing over a hand basin. This washing should be repeated at least once, taking care to brush water the nails thoroughly • Removal of dust from the clothing by means of an efficient household vacuum cleaner • Seeking & stirring the clothing in a solution of household detergent either 5 minutes in a washing machine or 5 minutes vigorous stirring (with a suitable stick) in a bath bucket followed by thorough rinsing in clean water
Metrological Deptt	<ul style="list-style-type: none"> • One should remain in the refuge for the first 2 days after the explosion or until you had been told that your district was free from radioactive fallout. If you did not receive any instructions you should stay in your refuge as long as possible (i.e. you should not remain any longer than was necessary in other parts of your house. Above all you should not go out of doors until you receive further instructions. A small transistor would be handy and useful • If you do not receive instructions before the end of the third day, it might be because you were in an area of high dose rate. If so, it would be all the more necessary for you and your family to remain in your refuge room, to spend as little time as possible in other parts of the house and to avoid outdoor exposure until you had been told what you might safely do • If the dose rate in your area were above certain intensity you would be told exactly when and where you would be collected. You would have to be ready at the exact time and place; otherwise, you might imperil not only your own life but also the lives of those who were accepting heavy risks carefully calculated in time, in trying to remove you and your family and neighbors

1.10 EVACUATION AGAINST A NUCLEAR ATTACK

The present day potential of nuclear weapons warrants the use of all possible means of protection against a nuclear attack. Education of the population, achieving the best possible protection factor in shelters, early warning system and evacuation of the population from target areas forms the mainstay of the protection. Traffic problems and mode of conveyance poses the toughest problem. To assess the same the following must be assessed: -

- (a) An estimate of the number of individuals who could be moved to practicable locations under variable conditions.
- (b) Techniques and measures of control, supervision, and management needed to affect the movement of the population;
- (c) Specific recommendations for improving the facilities available, for the purpose of accelerating the evacuation; and
- (d) A suggested procedure and standards for use as a prototype in the conduct of comparable studies in other communities.

1.11 **BASIC REQUIREMENTS AND ASSUMPTIONS**

1. **Map Study.** A detailed map, study of the city and area is the logical starting point for staff consideration of evacuation problems. Features of topography that will hinder traffic will be identified, as well as natural barriers that limit direction. Highways routes should be shown in some detail and tentatively rated for adaptability to evacuation. Nearby cities, which are potential targets, should be related to the area. All staff members should be familiar with the study.
2. **Definition of Evacuation Area.** The size of the area to be evacuated in and around an urban target area is dependent upon the size and importance of the target. An evacuation movement study must be predicted on a realistic estimate of probable damage. Therefore an evacuation area would be a target area and the reception area necessary to support its evacuees.
3. **Vulnerable Urban District.** A vulnerable urban district exists under either of the following conditions of industrialization or population: -
 - (a) **Industrialization.** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there are enough industrial plants (having a total of 100 or more workers on all shifts) to total combined employment of 16,000 workers.
 - (b) **Population.** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there is a resident or daytime population of 200000 persons.

Within the 10-mile buffer zone outside of and surrounding the vulnerable urban district protective construction is a requirement for new hospitals.

4. **Reception Area.** The areas to which people must be moved must lie beyond the outer limits of the evacuation zone. Planning of reception areas is beyond the scope of a traffic movement study and, as has been pointed out earlier, may probably be best done by city and State Civil Defence agencies concerned with health and welfare. The traffic movement plan should, however, take into account some of the requirements of reception areas. For example, evacuation routes should be checked and designated far enough into

the safe area to insure connection with an adequate highway system. This facilitates radial or lateral secondary movement of evacuation traffic. The movement study should also include data on places and volume of discharge into the overall reception area, on which detailed support planning may be based.

5. **Psychological Assumptions.** The question of how people will behave during evacuation has been the subject of much speculation. Questions frequently raised are: Will all the people be willing to leave the city? Will people leave if they are separated from the families? Will the behavior of drivers be rational? The committee on Disaster Studies of the National Research Council of the USA is studying disaster behavior. It is assumed then, that if a plan for evacuation traffic is adopted and thoroughly publicized, people generally will follow the plan. There is little basis yet, however, for the conclusion that emergency conditions will result in a general increase in normal abilities and skills.

6. **Effectiveness.** At an early stage in evacuating planning the need is evident for a means of measuring the effectiveness of the plan developed. Such a basis for appraisal furnishes an index of effectiveness. The basic quantities to be checked by use of the effectiveness index are time, distance, and people. The distribution of people under normal circumstances, movement distances required to reach safety, land rate of movement can thus be determined. Since warning time is unknown, the entire range is time from zero (in case of complete surprise in attack) to that required for persons to reach safe areas should be plotted. Several factors influence making an index. One is the availability of information necessary to carry out computation or estimation of the factors. Another is the index used in other evacuation studies; the effectiveness of several cities, evacuation plan is more easily compared if they have common indices. Individual civil defence functions such as rescue, medical, engineering and welfare might find special information in these indices useful in planning details of operation. Some indices of effectiveness are listed below: -
 - (a) Total number (or percent) of survivors expressed as a function of warning time (i.e. time from warning until explosion).
 - (b) Number of persons reaching the safe area expressed as a function of warning time.
 - (c) Number of persons in each damage zone expressed as a function of warning time.
 - (d) Number of uninjured survivors expressed as a function of warning time.
 - (e) Number of uninjured survivors who will be in the safe area at some arbitrarily selected time (say two hours) after the explosion.

7. **Preconditioning.** It is assumed that the Civil Defence warning system is or will be effective, that all responsible persons within the evacuation area are familiar with the warning system, and that people know what they should do under the evacuation plan at any given time. This implies the existence of a simple, well-publicized plan with operating guidelines such as route markers and necessary control points adequately manned.

8. **Delay Time**. It is assumed that some period, probably less than a half hour elapses between the warning signal and the time evacuation movement reaches full effectiveness. During this period people will stop their normal activities, leave their homes or places of employment, and proceed to their designated transportation.

9. **Direction of movement**. The Administrative Authorities at district level will be held responsible to give direction for movement during evacuation as per the wind directions/weather report received from the Metrological Department.

10. **Traffic Drainage Areas**. It is assumed that for each one-way evacuation route passing from the city into the reception zone there is a corresponding drainage-area, or sector of the city whose traffic is tributary to that route. The area should be so selected that its generated traffic is within the capacity of the route. Stated another way, drainage areas should be designated so that all routes will be equally overloaded. This will result in the most efficient use of the route system. Neither evacuation routes nor boundaries between drainage areas should be crossed, except by authorized emergency vehicles. This does not preclude movement of vehicles by other than primary routes (i.e. streets other than the final exit from the evacuation area) from the A and B zones to C and D zones or beyond, thus moving a large percentage of the total population to areas of less hazard from the primary weapons effects.

11. **Route Capacity**. It is assumed that the route capacity, under ideal conditions is 1,000 vehicles per lane per hour that the probable capacity under average conditions is 800 vehicles per lane per hour and that such capacity will be reduced to 500 vehicles per lane per hour under emergency conditions. For different routes capacity may vary widely, depending on different roadway and traffic conditions. Capacity is the product of traffic density and speed of movement. Possible capacity is expressed as the maximum number of vehicles that can pass a given point on a lane or roadway during 1 hour under the prevailing roadway or traffic conditions. There is substantial evidence that the largest number of vehicles that can pass a point one behind the other in a single traffic lane, under ideal conditions, is between 2,000 and 2,200 passenger cars. Sustained hourly volumes in this range have rarely been observed, although the traffic demand has been sufficient to exceed them on many occasions. This ideal capacity can be approached only under the following conditions: -

- (a) That there are at least 2 lanes for the exclusive use of vehicles traveling in 1 direction.
- (b) That all vehicles travel 30 to 40 miles per hour.
- (c) That there is adequate width of traffic lanes, shoulders, and clearance of vertical obstructions.
- (d) That there are no restrictive sight distances, grades, improperly super elevated curves, inter-sections, or interference by pedestrians.

12. **Conditions.** The evacuation traffic movement plan should be able to function effectively at any time it might be put into operation. To assure this, it must be designed to cover a range of conditions, including those prevailing when the warning would probably be received. Examination of the plan in light of several variable conditions may reveal the need for special provisions or even complete changes in the plan.
13. **Time.** Because of movement of people to and from areas by night and day, both distributions of people and vehicles should be examined. Areas of the city, which are deficient in transportation during either of these times, should be given supplemental arrangements under the plan.
14. **Strategic Evacuation.** Individuals might undertake this type of evacuation voluntarily on a limited scale recommended by local governments in case of threat of attack.
15. **Route Improvements.** Improving highway routes can accelerate evacuation of an area. Varying stages of improvement can be expected. A quantitative appraisal of their extent and effectiveness will indicate the degree of acceleration of evacuation they add to the plan.
16. **Wind Directions.** The Metrological Department will be held responsible for intimating about wind directions regularly to the Administrative Authority and Shelter Manager.

भाग – VI

25. जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची :-

क्र सं.	संस्थान का नाम	प्रस्तावित श्रेणी	(VAs/VPs) स्थानों की नवीनतम सूची जाने के उपयुक्त कारण।
1.	श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा	ए	वैष्णव सम्प्रदाय का प्रधानपीठ तथा प्रसिद्ध मंदिर/धार्मिक स्थल जिसमें प्रतिदिन काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु राज्य एवं राज्य के बाहर से आते हैं।
2.	400 के.वी. पावर ग्रिड कॉ. आफ इण्डिया महासतियों की मादड़ी	ए	केन्द्र सरकार का प्रमुख ऊर्जा उपक्रम
3.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा माईन्स, सिन्देसर खुर्द माईन्स एवं जिंक स्मेल्टर	बी	प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान
4.	श्री द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली	बी	वैष्णव सम्प्रदाय का तृतीयपीठ तथा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल
5.	श्री चारभुजा जी मंदिर गढबोर	बी	प्राचीनतम मंदिर व प्रमुख धार्मिक स्थल
6.	220 के.वी. ग्रिड कांकरोली व बामणटुकडा	बी	प्रमुख उर्जा संस्थान
7.	कुम्भलगढ किला	बी	विश्व धरोहर में सम्मिलित प्रमुख ऐतिहासिक स्थल
8.	राजसमन्द झील, राजसमन्द	बी	प्रमुख पेयजल/सिंचाई परियोजना/ऐतिहासिक कृत्रिम झील
9.	जे.के. टायर फैक्ट्री कांकरोली	बी	प्रमुख औद्योगिक संस्थान
10.	हल्दीघाटी, चेतक स्मारक, रक्ततलाई व महाराणा प्रताप म्यूजियम खमनोर	सी	प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं आधुनिक संग्रहालय
11.	महाराणा प्रताप स्मारक दिवेर "मैराथन ऑफ मेवाड़"	सी	ऐतिहासिक युद्ध स्थल
12.	चिकलवास बाँध	सी	प्रमुख बाँध परियोजना
13.	कलेक्ट्रेट कैम्पस	सी	प्रमुख सरकारी भवन

14.	जिला कोषागार राजसमन्द	सी	प्रमुख सरकारी भवन
15.	पुलिस वायरलैस स्टेशन राजसमन्द	सी	प्रमुख दूरसंचार केन्द्र
16.	प्रधान डाकघर, राजसमन्द	सी	प्रमुख सरकारी भवन
17.	मिराज प्रोडक्ट, नाथद्वारा	सी	प्रमुख औद्योगिक संस्थान
18.	नन्दसमन्द बाँध, चिकलवास एवं बाघेरी का नाका नाथद्वारा क्षेत्र	सी	प्रमुख पेयजल/सिंचाई परियोजनाएँ

25. नागरिक सुरक्षा जिलों में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची

S.no.	Volunteer name	father name/Husband name	cd enroll number	mobile number
1	Karan singh panwar	Kalu singh panwar	5	9602329855
2	Arshad mohammad shorgar	Taj mohammad shorgar	6	9664031921
3	Vijay Kumar Sanadhya	Krishna Chandra Sharma	7	7737077736
4	Govardhan das	Saligram vaishnav	8	7425038274
5	Avinash sanadhya	Prahlad sanadhya	9	9950773950
6	Kostubh sanadhya	Chagan lal	10	9511535817
7	NarendraThakur	Vishnu Singh	11	89559 56567
8	Harun mohammad	Salim mohammad	13	7976228035
9	DEVI LAL GURJAR	AMAR CHAND GURJAR	14	8875649427
10	Shankar Lal gayri	Varda lal gayri	16	9929631844
11	Pawan Kumar yadav	Subhash Chandra yadav	17	9772417305
12	Parveen singh	Abhay singh	18	7877272482
13	Sonu paliwal	Suresh paliwal	19	9772111909
14	Arif	Nanhe khan	20	9571295586
15	Kanhaiya lal aheer	Amra aheer	21	9783608023
16	Mukesh kumawat	Ratan kumawat	22	8619332922
17	moti lal regar	Shankar lal ji regar	25	7597765255
18	Mangi lal kumawat	Banshi Lal kumawat	26	8302823931
19	Jagdish Chandra Kumawat	Ramesh Chandra Kumawat	27	8302823931
20	Mahesh Kumar khatik	Shri kishan lal	28	9828584820
21	Vikram Singh Chundawat	Arjun Singh Chundawat	30	9001460704
22	Mohit paliwal	Rakesh Ji paliwal	32	8949194951
23	Vijay Singh Chouhan	Parwat Singh Chouhan	34	6376715160
24	Kiran Singh	Onar singh	35	8779021493
25	Prayag panwar	Karan singh panwar	37	7339797354
26	Pankaj paliwal	Chandra Shekhar paliwal	38	6350286004

27	Nitin kumawat	Uday lal kumawat	39	7737556407
28	Ankit gurjar	Girdhar gurjar	40	8955963244
29	Yash vaishnav	Govardhan das vaishnav	41	8005510321
30	Govind sanadhya	Satynarayan sanadgya	42	99295068881
31	Harul sharma	Dhirendra sharma	44	7014743483
32	Shantanu sanadhya	Kamlesh kumar sanadhya	45	6378094809
33	Chandresh Vyas	Dilip vyas	46	9829329900
34	Anirudh joshi	Durgashanker paliwal	47	9414232371
35	Chetan bandhu	Dwarkesh bandhu	48	9461259251
36	Nana Lal gadri	Bhera gadri	50	9509542464
37	PARDEEP ACHARAYA	RADHAYSHYAM ACHARAYA	54	9784192207
38	Ram Singh dewda	Mohan singh dewda	55	9521255649
39	Dhan singh derva	Hari singh devra	56	9001506736
40	Sunil Kumar Sharma	Rajendra Kumar Sharma	58	8503850332
41	Bihari Lal sen	Dhul chand sen	59	6376842925
42	Prakash Chandra Sharma	Ghanshyam Sharma	60	9660180288
43	Tejpal Khatik	Bhagwan lal Khatik	61	9772190165
44	Saif Ali Sheikh	Mansoor Ali Sheikh	63	6377760168
45	Aslam Mohammed mansuri	Azad Mohammed mansuri	64	9783781399
46	Lokesh jat	Heera lal jat	65	9982637533
47	Shivdayal Rajak	Shantilal Rajak	66	8696597661
48	Kamlesh Dhobi	Shanti Lal Dhobi	67	7568529555
49	Mukesh kumawat	Kishan lal Kumawat	68	8114409142
50	Devi singh Rathore	Himat singh Rathore	69	7014410626
51	Dileep Singh Chouhan	Laxman Singh Chouhan	71	8955311313
52	sajjan singh	Kishan singh	72	9587142998
53	Chandra singh	Arjun singh	74	8560969470
54	Anil Kumar jat	Govardhan lal	75	9982983660
55	Dhruv Sharma	suresh ji pipla	76	7976670138
56	govardhan lal jat	Dal chand jat	78	9828335350
57	Santosh Shakdwipi	Mahaveer parsad sharma	79	9672570442
58	Tushal Shrimali	Prakash cyhandra Shrimali	80	9928436379
59	HANSA RANI PIPLIWAL	KAILASH PIPLIWAL	81	8239947230
60	Dinesh Meena	shambhu lal meena	82	6350440355
61	Durgesh sain	Bhanwar lal sen	83	9784634893
62	suresh Chandra kumawat	nathu Lal Kumawat	84	8769092767
63	Vinod Kumawat	Heera lal kumawat	85	9772240749
64	Ayub Husain Mansuri	Shabbir Husain Mansuri	86	9001430904
65	Mukesh Kumawat	Mohan lal Kumawat	88	8890464040

66	Sohan Lal Gurjar	Oga ram gurjar	89	7000588284
67	Abrar khan	Akhalak khan	90	9799855629
68	Bahadur Singh	Chandra singh	91	9829387704
69	Ajaz mhammad khan	Anwar Khan silawat	92	8949041037
70	Narpat Singh Chundawat	Man Singh	95	9928966529
71	Rekha Jatiya	Sohan lal jatiya	96	7742846467
72	Hemant Sharma	Ganshyan sharma	97	8094734473
73	Chetan kumar jat	Prabhu lal jat	98	6350650153
74	Mohammad Yaseen Mev	Mohammad Sareef mev	99	9887744276
75	Prithviraj regar	Harlal	101	8003878891
76	Ganesh lal gayari	Uday ram gadri	102	8114452423
77	jitendra kumar vyas	leeladhar vyas	103	7665837593
78	Mahaveer Singh Rathore	Shiv Singh Rathore	104	9950270393
79	Lakshmi lal gurjar	Shankar lal gurjar	105	9571955561
80	Vinod Sen	Kanhaiya Lal Sen	106	9664160122
81	Bhavani Shanker Kumawat	Ratan lal Kumawat	109	8503980925
82	Nana Lal Kumawat	Kalu ram kumawat	110	9351028690
83	PRABHU SINGH	Dinesh singh	111	9660954699
84	Narendra kumar prajapat	Vardi chand	113	9001527276
85	Kailash chandra joshi	Shankar lal joshi	115	9694127091
86	Raghuveer Singh rajput	Shanker singh rajput	116	9414170949
87	Vinod Kumar Lohar	Hari Ram Lohar	117	9782166921
88	Meena Kumawat	Kamal kishor Kumawat	118	8386992428
89	Govind lal sharma	Shankarlal sharma	120	8209120166
90	Laxman singh	Chuni singh	131	9784392364
91	dayal Singh	Shravan singh	132	8955796839
92	Panchu singh	Shayar singh	133	7988396865
93	Mukesh Bhai tailor	Vijay ram	134	8005525679
94	Manju Kumari	Ram Singh	135	7878794115
95	SHAKIR MOHMMAD	RAMJUDDIN MOHMMAD	136	6375931725
96	suman kumari	sohan singh	137	7340222759
97	Vinita kumari	Yogendra Singh	138	8302897590
98	Babita kumari	Mohan singh	139	9828487553
99	Geeta Prajapat	Gopal Prajapat	141	8233910414
100	Nirbhay singh rathore	Bhanwar Singh Rathore	142	9057289476
101	Anil Kumar Acharya	Devilal ji Acharya	144	7300397876
102	Banshi Lal Gurjar	Heera lal	145	7023903420
103	Nan singh	Saval singh	146	9680423661
104	Ganpat Singh Solanki	Rai singh solanki	148	9636372404
105	Bharat kumar meghwal	Dolatram ji	150	9799361397
106	Babu singh odd	Noja singh odd	152	8003955535

107	Vijay ram bhil	Nena ram	153	9521305210
108	Prabhu lal meghwal	Mega ram Meghwal	154	7742715033
109	Rekha devi	Shanker das	155	9587275233
110	Shankar Singh Rawat	Chun singh rawat	156	9521139618
111	Dinesh Chandra Meghwal	Swroop lal Meghwal	157	9462623042
112	Suresh kumar balai	Sawroop lal	159	8302390853
113	Anop lal	Bhima ram	160	7339918159
114	Jamna Salvi	Daya Ram salvi	161	8058496853
115	Meera Kumari sharma	Satyanarayan sharma	162	8003365030h
116	Praveen kumar soni	Jagdish chandra soni	163	9783833535
117	Ishwar Singh Solanki	Chaman Singh	164	7426087606
118	Uday lal kumawat	Hariram kumawat	165	8441922386
119	Rahul sen	Hari shanker sen	166	7610031077
120	Chaudhary sanket madhavlal	Madhavlal	167	7877626867
121	Kanhaiya Lal Sharma	Kailash Ji Sharma	168	9928154124
122	Om prakash dhobi	Vardi chand dhobi	170	8239083881
123	Deepak Kumar Dhobi	Ramchandra dhobi	171	7568392386
124	rahul sargara	shyam lal	173	9529050375
125	Ratan lal keer	Bhura lal ji keer	174	8209314562
126	Rajesh Banjara	Mr. Bihari Lal Banjara	175	9079863470
127	Ladu lal jat	Rameswar lal jat	176	9309305340
128	Ratan Lal jat	Roshan Lal jat	177	9799943798
129	Ramchandra jat	Bhuralal	178	9982520090
130	Kailash choudhary	Roshan lal jat	179	9428634119
131	GOPAL LAL REGAR	Bhanwar lal regar	180	9460030737
132	Lalit Dhobi	Magniram	182	9530471377
133	Nirav khatik	Rajesh Ji Khatik	183	8696874882
134	Neeraj paliwal	Mangilal paliwal	184	9782034688
135	Bunty Regar	Dhanraj Regar	185	8947007838
136	Bansi Lal Gurjar	Har LAL Ji gurjar	186	7568023765
137	Mukesh sen	Ram lal sen	187	8114402722
138	Jamna shankar paliwal	Gehari lal paliwal	188	8890470965
139	Kishan lal gadri	Nathu lal	189	9929631845
140	Bhavesh bagora	Upesh	191	8239453780
141	Govind singh	Lahar singh dulawat	192	9166786192
142	Raju lal dangi	Moti lal dangi	193	8619002142
143	Bheru Singh	Kishan Singh	194	8003246904
144	DEEPU KUMAWAT	PAPPU LAL KUMAWAT	195	8619175202
145	Kishan Singh Chundawat	Bheru Singh Chundawat	196	9636158855
146	Vijay Kumar Paliwal	Bheru Lal Paliwal	199	9001027707
147	Gourave bagora	Leharu lal ji bagora	200	6376270723
148	Mangu singh	Shiv Singh Chundawat	202	7568667115

	chundawat			
149	Jitendra sanadhya	Radheshyam sanadhya	203	9782715776
150	Laxman Salvi	Kanhaiya Lal salvi	204	7568866909
151	Riyaz khan mev	Shabbir mohammad	205	8769669588
152	Govind Lal	Pannalal	206	9001520205
153	Mahesh Kumar Jeengar	Ghanshyam jeengar	207	6378840868
154	LAXMAN PAL	MANGI LAL	208	8107367627
155	Vinodkumar Jeengar	Parasmal jeengar	209	6376752186
156	Dinesh Kumar Regar	Mittha lal Regar	210	9672004834
157	kailash singh	lal singh	211	8306629050
158	Dharm lal kumawat	Ram lal kumawat	212	8440039158
159	Himmat Das Vaishnav	Shanker Das Vaishnav	213	8233241800
160	Gopal Lal Kumawat	Bhanwar Lal Ji Kumawat	214	8107107218
161	Narpal Singh Rajput	Dunger Singh Ji	215	6375157184
162	Kavita kumawat	Ramchandra kumawat	216	9828613022
163	dinesh Bhat	BANSI lal bhat	217	8890014793
164	kanhaiya lal kumawat	mathura lal ji kumawat	219	9875057809
165	narendra porwad	parasram porwad	220	9784461315
166	Manoj Paliwal	Vikram Paliwal	221	9829402500
167	Sanju Kunwar	Prakash Singh Ji	222	6375199704
168	POONAM KUMAWAT	PAPPU LAL KUMAWAT	223	9024846263
169	Usha Sharma	Murlidhar Sharma	225	9413463680
170	Ishwar lal dhobi	Gopi lal dhobi	226	9784677756.../7014142284
171	Prem Kumawat	Hari Vallabh Kumawat	227	9829955912
172	Narayan lal bhil	Sohan lal bhil	228	8387854416
173	Kusum meena	Ram Lal meena	229	8504831792
174	LAXMAN SINGH RAJPUT	SHANKER SINGH RAJPUT	230	8949007017
175	Shankar.lal.kumawat	Kalu lal.kumawat	231	9950130311
176	Dinesh chandra kumawat	Ramlal ji kumawat	232	8005919220
177	Naresh meena	Govardhan lal meena	234	9001986740
178	Dipendra sing charan	Prahlad sing charan	235	8955951652
179	Pooran Puri Goswami	Bhanwar Puri Goswami	236	9079361792
180	Pavan Kumar Tripathi	Prem Shanker Tripathi	237	9602209058
181	Ravi choubisa	Dinesh Chandra choubisa	238	7014309131
182	Akash Mali	Sohan lal mali	239	8875657124
183	DHARMESH KUMAWAT	NANA LAL KUMAWAT	240	6378965240
184	SHARVAN KUMAR	GAJU RAM	241	8302789889
185	Nilesh Salvi	Bhagwaan lal salvi	242	9024679965
186	Hemraj kumawat	Kishan lal kumawat	243	6367033704
187	Suresh singh madrecha	Takhat singh	244	9784133690
188	Bhawani Singh	Fateh singh	245	8949446571

189	Devi lal sargara	Gopal lal	246	7300402854
190	Pradeep gharu	Ramesh Chandra gharu	247	7976736420
191	Kishan Singh rajpoot	Takhat singh	248	7597800616
192	Dalchand jingar	Jama a lal	249	9079640421
193	Amar singh jatav	Hari Prasad yadav	250	7878746072
194	RAHUL DHOBI	RAMESH CHANDRA DHOBI	251	894977042
195	Manish purohit	Premshankar purohit	252	8890344727
196	Poonam Singh	Jugraj Singh	253	9602733100
197	Kushal singh	Narayan Singh	254	7014557748
198	Chandra singh	Jugraj Singh	255	8690324458
199	yogita kumari	bhanwar singh	256	8094568304
200	Narendra singh	Nanha Singh	257	8290626544
201	Sonu Kumar	Babu lal	258	7014051171
202	Yuvraj singh	Bhupendra singh	259	9351296824
203	Virendra Singh Panwar	Madan Singh Panwar	260	8955469516
204	PUSHPENDRA SINGH	AJAYPAL SINGH	261	8385838603
205	Arwind singh chouhan	Panna singh	262	7976765206
206	Prem kanwar	Arjun Singh	263	9351677824
207	Bhawana prajapat	Chhagan Lal Prajapat	264	8094097228
208	Priya prajapat	Prakash chandra Prajapat	265	8824014116
209	Jitendra Singh	Bahadur Singh	266	8949873560
210	Seema prajapat	Ladu lal prajapat	267	7240527580
211	Satya prakash	Laxman das Vaishnav	268	8949897374
212	Mordhwaj Singh Chundawat	Hanuman Singh Chundawat	269	9024935691
213	Krishma panwar	Shyam singh	270	8387840327
214	Sunil Kumar	Mahavir Singh	271	9680718716
215	Govind bhand	Bheru Lala bhand	272	8302260091
216	Mahipal Singh	Chaman Singh	273	9082680288
217	Sunil garg	Sargar garg	274	7733884981
218	Pooja bhand	Bheru lal	275	8955095225
219	Kishor bhand	Bheru lal	276	8955608758
220	Govind singh chauhan	Kishor singh chauhan	277	8561057367
221	Mamta salvi	Laxman lal salvi	278	9610605797
222	Mahendra Nath Chouhan	Himmat Nath Chouhan	279	9680618332
223	Dilip Meghwal	Sajjan lal meghwal	280	6378653699
224	devendra meena	indra lal meena	281	6378066262
225	Narayan Lal Gurjar	Shanker Lal Gurjar	282	9587404811
226	Arvind singh chundawat	Bheru Singh	283	7877735070
227	Lal singh sankhala	Kishan singh	284	8619674283
228	Kiran meena	Hemraj meena	285	8107151820
229	BHASKAR BAGORA	SHIVRAJ BAGORA	286	9799561266

230	Geeta Kumari Jat	Ratan Lal Jat	287	9982032315
231	RAM LAL BHEEL	BHAGWAN LAL BHEEL	288	9024211683
232	Govind Bagora	Durga shankar	289	9001594039
233	Amara lal meena	Lalu ram gameti	290	9351445731
234	Radhulal lohar	Bhanwarlal lohar	291	9636999784
235	Kavita yadav	Narendra yadav	292	7023602309
236	MAHIPAL SINGH RANAWAT	MAHENDRA SINGH RANAWAT	293	8503896100
237	Bhupendra Bhil	Shantilal bhil	294	8302993221
238	Lalu ram gurjar	Devi lal gurjar	295	9521109634
239	Bhuvan Mochi	Gopal ji	296	7737485796
240	Amit Regar	Vijay Kumar Regar	297	9462713627
241	Kishanlal gurjar	Bhimraj gurjar	298	9680832228
242	Rajendra singh	Sultan singh	299	9024244880
243	Prakash Bairwa	Roshan lal Bairwa	300	6376794016
244	Manju Kumari kumawat	Dal chandar kumawat	301	8302372475
245	Mahendra Prajapat	Heera lal prajapat	302	8385946461
246	Pyar chand suthar	Satyanarayan suthar	303	9784470021
247	Ganpat Lal Banjara	Ram lal Banjara	304	7728859053
248	Rahul banjara	Ram lal Banjara	305	9950903421
249	Jagjeevan khichi	Kishan ji	306	9460330345
250	Kishan lal gurjar	Mangi lal gurjar	307	7014145514
251	shreekrishan gurjar	mohan lal gurjar	308	9521536321
252	Tilak sen	Mahesh sen	309	9602139299
253	Hemlata jeenger	Heera lal jingar	310	9680237125
254	Nirmala gadari	Matura lal ji gadri	311	6350362718
255	Hemlata kumawat	Shankar lal ji kumawa	312	8003264895
256	SAMPAT LAL BAIRWA	BHERU LAL	313	9166742149
257	Deepak saragara	Shankae lal saragara	314	7357224215
258	KISHAN LAL BHIL	MAGAN LAL BHIL	315	6376184915
259	DHARMENDRA SHRIMALI	VIJAYSHANKER SHRIMALI	316	8741081886
260	Kamlesh Khatik	Radhe shyam Khatik	317	9521129703
261	DEVRAJ SEN	HUKAMI CHAND	318	6376023019
262	GAJENDRA SEN	AMBA LAL	319	9929980057
263	Kailash kumawat	Mathura lal kumawat	320	6378523290
264	PANKAJ LOHAR	SHANTI LAL LOHAR	321	8905344996
265	Madan sargara	Sohan lal sargara	322	7878730768
266	Suneel Salvi	Kailash Chandra Salvi	323	7568196090
267	Ratan lal kumawat	Khemraj kumawat	324	9024950278
268	Girja shankar Paliwal	Khubi lal ji Paliwal	325	8955912137
269	Krishan Kumar yadav	Rajesh Kumar yadav	326	8209908463
270	Avinash yadav	Mahesh yadav	327	7737835508
271	Parvati kumari gorana	Gehari lal lohar	328	7742126431

272	Jitender kumawat	Jagdish Kumawat	329	9928627168
273	Narayan Lal gameti	Mana Ram	330	7877851505
274	Sangeeta kumawat	Amba lal kumawat	331	6378256874
275	Vinod Kumawat	Amba Lal Kumawat	332	7726893613
276	kailash kumari regar	toli ram regar	333	9785757253
277	Himanshu Paliwal	Ramesh Kumar Paliwal	334	7073562594
278	Narayan Laxkar	Devi Lal Laxkar	335	7426008115
279	Pushkar gavariya	Shankar lal gavariya	336	6375219678
280	YOGESH ACHARYA	Prem shankar acharya	337	8529689770
281	Manju bairwa	Kastur bairwa	338	7877434174
282	Dhanraj regar	Devi Lal regar	339	9828357262
283	Seema kumari yadav	Hariprasad	340	7665883987
284	Chanchal sen	Laxmi lal sen	341	7976351168
285	Bheru das kamad	Kishan dasji	342	8278623007
286	Jyoti yadav	Bhagat ram yadav	343	8696027737
287	Farukh mohmmad	Abid mohmmad	344	6377296574
288	Deepak Chundawat	Ganapat Singh	345	8302427931
289	Yugal Kishor Pareek	Bheru Lal Pareek	346	9414608048
290	Rakesh Regar	Mukesh Regar	347	7877916008
291	Kanhaiya Lal sen	Ramchandra sen	348	8560897972
292	Pavan Kumar regar	Pratap lal	349	8890103516
293	Kalu Singh Chundawat	Jabbar Singh Chundawat	350	9649028370
294	Kailash Chandra Kumawat	Amar Chand Kumawat	351	9828486766
295	Maya Gadri	Madhav lal Gadri	352	9024953577
296	Devilal ahir	Lobha Lal ahir	353	9928216295
297	Narayan Singh	Partap Singh	354	6367582897
298	Lokesh prajapat	Prabhu lal prajapat	355	8114465354
299	BHAVESH PANWAR	DASHRATH VARI	356	9602492002
300	Miru bhoi	Chatra lal ji	357	9672657582
301	Parash ram bunkar	Kishan lal	358	9799179725
302	Kamlesh Kumar	Prakash chandra	359	6376414352
303	Jaipal Singh	Bhim singh	360	6375999546
304	Ummad Singh	Ganesh singh	361	6378683458
305	Saroda devi	Govind singh	362	9351856858
306	Rinku nath	Ratan lal nath	363	9799216794
307	Bhanwar singh	Asu singh	364	9636612063
308	AKASH KUMAR	PRAKASH CHAND	365	6376215133
309	Vinod Singh	Kishan singh	366	9119278782
310	Kalyan singh	Kishan singh	367	7976908279
311	Gajendra tailor	Dharmesh kumar tailor	368	8005538943
312	Kushal singh	Parimal singh	369	8233471362
313	Rajesh kumar	Goma ram	370	7357291498
314	MAHENDRA SINGH	RAM SINGH	371	8107341813
315	NEELAM MEGHWAL	DEVA RAM	372	9982949849

316	Jashoda kumari	Bheru singh	373	7023479566
317	Shiv nath	Madan nath	374	8209913026
318	Indrajeet Singh Solanki	Lalit solanki	375	9588280609
319	Naina Singh Chouhan	Keshar Singh	376	9116018320
320	Laxman lal meghwal	Swaroop lal meghwal	377	9610849943
321	Sonal meghwal	Shankar lal Meghwal	378	8875493042
322	Ram singh	Bhur singh	379	9799891153
323	Rajendra paliwal	Bhanwar	380	9571560156
324	Shakti singh borana	Bhur singh borana	381	9950808815
325	Salveer Singh borana	Bhur singh borana	382	6350083362
326	Rinku kunwar	Nahar singh	383	8005644178
327	Himmat singh sonigara	Hari singh	384	9057515406
328	Rajendra Singh Sonigara	Hari Singh	385	9587703154
329	Krishna kunwar	Nahar singh	386	7849911621
330	RADHIKA SALVI	GOVERDHAN LAL	387	8955668801
331	Koushalya salvi	Heera lal	388	9983393490
332	Kishan Singh	Bheru Singh	389	9558360173
333	Pushpa kunwar	Fateh Singh	390	+91 78776 87352
334	Shankar Singh madrecha	Dule singh	391	8905570902
335	Nitesh Acharya	Shyamsundar Acharya	392	9057248745
336	Chanda prajapat	Ganesh lal	393	8947863915
337	Shambhu Lal Meena	Uday Lal Meena	394	9636671124
338	Laxman lal meghwal	Babur lal	395	9549334267
339	MOHIT SHRIMALI	DILIP SHRIMALI	396	9511506006
340	Khemraj Gameti	Bhagawati lal	397	7425885810
341	Kamlesh Balai	Khuman Lal	398	8504823172
342	DEEPAK PALIWAL	ARJUN LAL PALIWAL	399	7877857089
343	Jitesh prajapat	Rajkumar Prajapat	400	9024814395
344	Harshad choudhary	Bhagat singh choudhary	401	8875197758
345	Sagar choudhary	Bhagat Singh choudhary	402	8890748423
346	Pankaj lohar	Bheru lal gi lohar	403	7665974675
347	Yashwant salvi	Mahendra Kumar salvi	404	7976018757
348	Gajendra Meghwal	Mangi Lal Meghwal	405	8000750684
349	Chetan Kumar Meena	Nandkishor Meena	406	6376333402
350	Shiv lal gameti	Prem lal gameti	407	8000351781
351	ganpat singh deora	pratap singh dewda	408	9413772652
352	Omprakash Regar	Bheru Lal Regar	409	8441919785
353	Mukul shrimali	Chandra Shekhar shrimali	410	8769442929
354	Basanti Regar	Mohan Lal Regar	411	7627020886
355	Nirmal Salvi	Shankar Lal Salvi	412	7976237172
356	Narendra singh jhala	Bhagwat singh jhala	413	7726991534
357	Gopal Meghwal	Tulsiram Meghwal	414	8107976849

358	Vijay Kumar khatik	Devilal	415	6367075389
359	Anusuya Sanadhya	Mangilal Sanadhya	416	9079347191
360	Tarun joshi	Krishna Kant Joshi	417	9660309940
361	Ishwar Singh chundawat	Prem singh chundawat	418	7742840070
362	sunny meena	indra lal meena	419	7665817715
363	Diksha paliwal	Dinesh Chandra paliwal	420	8058283984
364	chandan meghwal	girdhari lal meghwal	421	8347631818
365	Kishan lal keer	Naru lal keer	422	9680969758
366	Chetan prakash verma	Mitha lal verma	423	8003128317
367	Vikram Singh sonigara	Gopal singh sonigara	424	9166036772
368	bindu kunwar chouhan	Durga nath chouhan	425	8890904302
369	Manju kunwar dewada	Bheru singh dewada	426	7877370715
370	Laxmi kunwar chundawat	Mohan singh chundawat	427	7427812180
371	Pavan Paliwal	Govind Paliwal	428	9660765135
372	Anjana verma	W/O chetan prakesh verma	429	7023885317
373	Chandra prakash purohit	Bhagawati lal purohit	430	9636111997
374	Prem Shankar Balai	Ram Lal Balai	431	7023189948
375	Kundan acharya	Shyam sundar acharya	432	8003359345
376	Nathu lal gayari	Mohan lal gayari	433	7426934630
377	JITENDRA SINGH JHALA	GOVIND SINGH JHALA	434	8949705206
378	KAMAL DEVDA	SADUL RAM	435	8949998054
379	pushpendra joshi	ramchandra joshi	436	9799367174
380	Prhalad Gurjar	Roshan lal Gurjar	437	9166013024
381	Uday Singh	Parkash Singh	438	7627079433
382	Rohit purbia	Kailash chandra purbia	439	8107208822
383	Arjun singh gorwa	Krishna Kant gorwa	440	9571111867
384	Mohammad irfan	Aziz mohammad	441	9001958538
385	Chhavi Gurjar	Ravi Gurjar	442	6375184989

26. नागरिक सुरक्षा जिलों में उपलब्ध बचाव उपकरणों व अन्य संसाधनों की सूची

नागरिक सुरक्षा अनुभाग राजसमन्द में उपलब्ध संसाधनों की सूची निम्नानुसार है—

1. नागरिक सुरक्षा बचाव/रेस्क्यू उपकरण सूची—

क्र.स.	सामग्री का नाम	संख्या
01	Life Jacket	08
02	Life Bouy	06

03	BOB Rope 12mm (60Mtr)	03
04	BOB Rope 14mm (60Mtr)	01
05	Gum Boot	12
06	Helmet	12
07	Full Body Harness	02
08	Stretcher Folding D Type	02
09	Stretcher Spine Board Fiber	02
10	Carabimer	02
11	Hand Gloves	04
12	Mask (Multipurpose)	02
13	Hand Tool Set	01
14	Mega Phone	02
15	Plastic Rope	100 Mtr
16	Cotton Rope	4.5 Kilogram

2. अतिरिक्त सामग्री सूची-

क्र.स.	सामग्री का नाम	संख्या
01	टोर्च	03
02	लोहे की बलाई	04
03	रबर ट्यूब्स	03
04	रस्सा	02
05	वेलफेयर रसीद बुक	11
06	मास्क सर्जिकल एवं अन्य	उपलब्ध मात्रानुसार
07	हैण्ड सैनीटाईजर	उपलब्ध मात्रानुसार